खण्ड-439, अंक-4
शुक्रवार, 4 ज्येष्ठ, शक संवत् 1923
(25 मई, 2001 ई0)

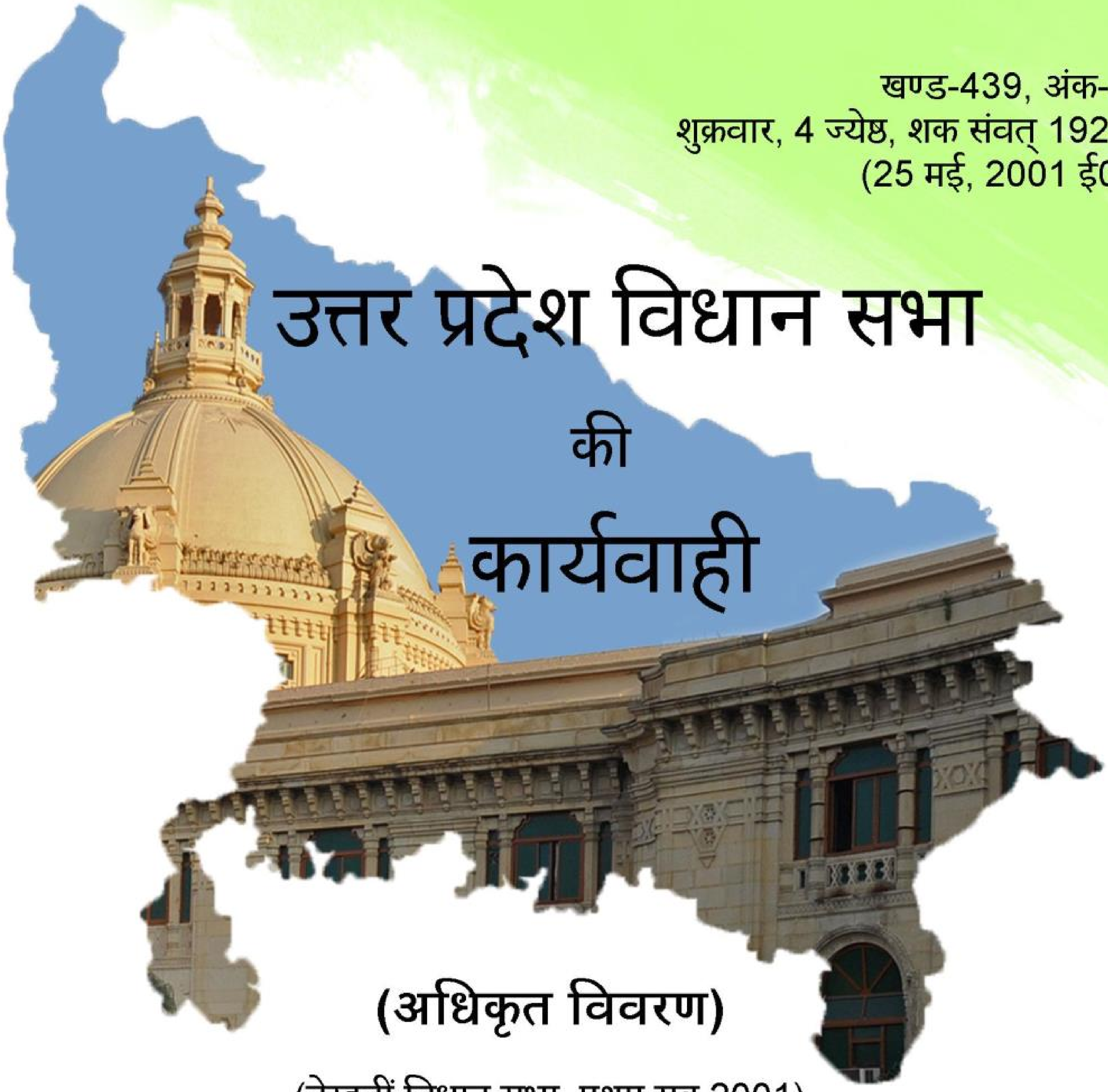

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 439 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
जनपद वाराणसी में बावतपुर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में किसानों का उत्पीड़न किये जाने विषयक नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शासन से स्पष्टीकरण की मांग (जारी) ...	1
प्रश्नोत्तर	2–62
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	62
जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत तीन विकास खण्डों के कतिपय गांवों में भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता देने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	62–63
जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्र में विद्युत समस्या का निदान कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	63
गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज लखनऊ के निदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	63–64
जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकरन नाथ में गोला बाईपास एवं अलीगंज रोड रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनवाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	64
सत्र के दौरान जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीतिगत घोषणाएं सदन से बाहर किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	64–65
श्री रामवीर उपाध्याय सदस्य, विधान सभा को प्राप्त गनर न हटाये जाने तथा उनकी पत्नी को भी सुरक्षा प्रदान किये जाने की मांग के संबंध में औचित्य का प्रश्न...	65–66
बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	66–68
जनपद वाराणसी में बावतपुर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में किसानों का उत्पीड़न किये जाने विषयक नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शासन से स्पष्टीकरण की मांग	68–75
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीवन अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2001 (असरकारी) (पुरःस्थापित) ...	76
उत्तर प्रदेश उच्चतर एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में उत्पीड़न (रैगिंग) का प्रतिषेध विधेयक, 2001 (असरकारी) (पुरःस्थापित)	76
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण का स्थगन...	76
उत्तर प्रदेश उच्चतर एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में उत्पीड़न (रैगिंग) का प्रतिषेध विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण का स्थगन	76

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	77
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ...	77
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) ...	78
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	78
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	79
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	79
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	80
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	80
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–22 खेल विभाग (स्वीकृत)	80–81
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	81
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण का स्थगन	81
प्रदेश में नई औद्योगिक नीति के संबंध में चर्चा (जारी)	81
कानपुर विकास प्राधिकरण के हजारों करोड़ रुपये मूल्य की भूमि लुप्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र स०वि०स० द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)...	82
राज्य के अनेक जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास निधि के गठन के संबंध में बालचन्द्र मिश्र द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी) ...	82
"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गंभीर विद्युत कमी को देखते हुये सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में वातानुकूलन संयंत्रों को बन्द कर दिया जाय" विषयक नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	82
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	82–83
जनपद बांदा में तैनात मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा की जा रही तानाशाही से बन्द हो रहे सिनेमाघरों के संबंध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	83–84

विषय	पृष्ठ-संख्या
डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध वी०एस०ए० कालेज, मथुरा में स्वीकृत सीटों के स्थान पर दुगने प्रवेश एवं अवैध धन की वसूली किये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	85–86
नवीन मण्डी स्थल सहारनपुर को आदर्श मण्डी के रूप में विकसित करने हेतु श्री संजय गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	86
प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस विभाग में बारी से पहले प्रोन्नति दिये जाने के संबंध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	86–87
जनपद मिर्जापुर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वस्थ नगर (हैल्दी सिटी) अंगीकृत किये जाने के संबंध में डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	87–88
मेरठ नगर निगम द्वारा नालों की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	88–89
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां के अन्तर्गत एकनईया नाले पर पुलिया निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कैलाश यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	89–90
जनपद जालौन में आगजनी की घटनाओं में फसलों के जल जाने से पीड़ित किसानों को राहत दिये जाने के संबंध में श्री श्रीराम पाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित केवल वक्तव्य का स्थगन	90
जनपद वाराणसी के बेसेन्ट थियोसोफिकल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमच्छा से संबद्ध प्राइमरी विभाग के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन का भुगतान न किये जाने के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	90–92
जनपद गाजियाबाद में उ० प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि० में हो रही अनियमितता के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	92–93
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमानीगंज फैजाबाद के भवन विहीन होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	93
प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अनियमित एवं मानक के विरुद्ध अध्यापकों की तैनातियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	94–95

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में "अ" श्रेणी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित केवल वक्तव्य का स्थगन ...	95
जनपद बलरामपुर में जिला योजना व दीनदयाल सम्पर्क मार्ग योजना में स्वीकृत मार्गों को पूरा कराये जाने के संबंध में श्री बिन्दु लाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	95
जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत बहमन शोरा ग्राम में हुई युवक की हत्या की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराकर वास्तविक दोषियों को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में डा० बी०पी० सिंह एम०एस० द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	95–96
राजकीय इण्टर कालेज बलिया में वर्ष 2001 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	96–97
जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत कप्सा राजवाहा की पटरी पर चेतवा तक सड़क बनाये जाने के संबंध में श्री वसीम अहमद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	97–98

विधान सभा प्रदेश उत्तर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 25 मई, 2001

निम्नलिखित मा० सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
2–अजय राय, श्री — वाराणसी
3–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
4–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
5–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
6–अमरमणि, श्री — महराजगंज
7–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
8–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
9–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
10–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
11–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
12–आर्य राम शरन, श्री — हाथरस
13–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
14–ओइम्वेश, स्वामी — बिजनौर
15–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
16–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
17–कासिम हसन, श्री — फतेहपुर
18–कौकब हमीद, श्री — मेरठ
19–गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
20–गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
21–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री — भदोही
22–चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री — झांसी
23–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
24–चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
25–चौधरी बाबू लाल, श्री — आगरा
26–छब्बू पटेल, श्री — वाराणसी
27–छोटे लाल राजभर, श्री — बलिया
28–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
29–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
30–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
31–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
32–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री — गोरखपुर
33–दयाशंकर, श्री — जालौन
34–दिलीप कुमार, श्री — बहराइच
35–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
36–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
37–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
38–नन्दराम, श्री — बरेली
39–नरेन्द्र सिंह, श्री — आजमगढ़
40–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
41–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
42–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
43–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
44–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
45–बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
46–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
47–बाबू राम, श्री — जालौन
48–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
49–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
50–भगवती प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
51–भगवान सिंह शाक्य, श्री — बदायूं
52–भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
53–मंगल सिंह सैनी, श्री — मुरादाबाद
54–मंजू, श्रीमती — बलिया
55–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
56–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
57–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
58–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
59–मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
60–मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
61–मुराद लारी, श्री — देवरिया
62–मुस्लिम, डा० — रायबरेली
63–मोती लाल, श्री — खीरी

64–यशवन्त, श्री — आजमगढ़
65–रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
66–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
67–रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी
68–राकेश त्यागी, श्री — बुलन्दशहर
69–राजधारी, श्री — बलिया
70–राजनाथ सिंह, श्री — बाराबंकी
71–राजा गज़नफर अली खां, श्री — बिजनौर
72–राजाराम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
73–राजाराम पाल, श्री — कानपुर देहात
74–राजेन्द्र यादव, श्री — गाजीपुर
75–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
76–राजेश कुमार सिंह, श्री — मुरादाबाद
77–राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात
78–राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
79–राम आसरे सिंह कुशवाहा,डा० — कानपुर नगर
80–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
81–रामजग, श्री — आजमगढ़
82–राम नक्षत्र, श्री — पडरौना
83–राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
84–राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
85–राम नाथ, श्री — प्रतापगढ़
86–रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
87–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
88–रामबाबू हरित, डा० — आगरा
89–राम रतन यादव, श्री — सुल्तानपुर
90–राम लखन, श्री — सुल्तानपुर
91–राम ललित चौधरी, श्री — बस्ती
92–राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
93–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
94–रामाधार सिंह, श्री — हमीरपुर
95–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
96–लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
97–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
98–लोकपति त्रिपाठी, श्री — मिर्जापुर
99–विक्रमाजीत मौर्य, श्री — इलाहाबाद
100–विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
101–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
102–विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री — गोण्डा
103–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
104–विभूति प्रसाद निषाद, श्री — आजमगढ़
105–विरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
106–विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
107–विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
108–वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
109–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
110–शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
111–शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
112–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
113–शिव शंकर, श्री — बांदा
114–शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकर नगर
115–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
116–श्रीराम, श्री — मऊ
117–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
118–संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
119–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
120–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
121–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
122–समरपाल सिंह, श्री — मेरठ
123–सरदार सिंह, श्री — मथुरा
124–सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
125–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
126–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
127–हरिनारायण, श्री — बलिया
128–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
129–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
130–हरि शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 25 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 2 घण्टे विलम्ब से आरम्भ हुई)

जनपद वाराणसी में बावतपुर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में किसानों का उत्पीड़न किये जाने विषयक नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना व शासन से स्पष्टीकरण की मांग

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, कल वाराणसी की घटना के संदर्भ में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया था, वह स्पष्टीकरण सत्य से परे और सदन को गुमराह करने वाला था, जिसकी वजह से सदन स्थगित हुआ था। आज पुनः मैंने कल की सारी बातों को रखकर नियम 311 में इसी उद्देश्य से पुनः सूचना दी है। मैंने कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर उस घटना से संबंधित दो-तीन बिन्दुओं पर मांगा था। पहला बिन्दु तो रिपोर्ट लिखाये जाने के लिये था। दूसरा मुआवजा देकर ही बाउन्ड्रीवाल बनाई जाय और तीसरी मांग थी कि जिन लोगों ने यह काम किया है, वह अपराधी हैं और ऐसे लोगों को सस्पेन्ड किया जाय। भारतीय जनता पार्टी के केशो मेहरा जी ने भी कहा कि वह लोग अपराधी हैं, दोषी हैं। श्रीमन् इस प्रकार मेरा कहना सत्य हो गया। जो हम कहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी का जांच दल भी कहता है, तो अब फिर आपत्ति क्या रह गई है, रिपोर्ट दर्ज करवाने में और जो घायल हुये हैं, उनको सहायता देने के लिये। मैंने कहा था कि जो मृतक हैं उनके आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय तथा एक मृतक आश्रित को नौकरी दी जाय। इसके अलावा जो घायल हैं, जिसमें से एक को आज भी नाक से आक्सीजन दी जा रही है, उनके अन्दर की गोली को अभी निकाला नहीं जा सका और वह जिन्दगी मौत से झूल रहे हैं, उनको एक लाख रुपया इलाज के लिये दिया जाय, कई लोग अपना खेत गिरवी रखकर अपना इलाज करवा रहे हैं, श्रीमन् गरीब लोग कहां से पैसा लायेंगे, ऐसे सभी घायल लोगों को पैसा दिया जाय और जब तक मुआवजा न दे दिया जाय, तब तक बाउन्ड्रीवाल न बनाई जाय, इसके अलावा मंगारी गांव के लोग किस रास्ते से आयेंगे, जायेंगे, उनका रास्ता न बन्द हो, इन सारी बातों पर स्पष्टीकरण आ जाय। हमें सदन चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि सदन चलना चाहिये और सदन का समय बेकार में व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यहां लाखों रुपये जनता का खर्च हो रहा है। हम लोग सदन चलाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित करिएगा।

श्री अध्यक्ष–

मा० संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के इस आश्वासन के साथ कि सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए, अभी इस संबंध में कुछ कहना चाहते हों तो कह दें।

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, अभी तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं बाहर चला गया था, सीधा आ रहा हूं, इसके लिए हमें 2 घण्टे का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी तुरन्त बाहर से आ रहे हैं इसलिए हम इसे नियम–56 से पहले ले लेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला पंचायत परिषद् अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने संबंधी जानकारी

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पंचायतों के चुनाव की पवित्रता एवं पारदर्शिता बनाने हेतु ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत परिषद् अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

पंचायतीराज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

इस बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद–243–ग–(5)–ख में यह व्यवस्था है कि मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०–

माननीय अध्यक्ष जी, सारे सदन को पता है और पूरा प्रदेश चिन्तित है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में गिनती के वोट होने की वजह से पैसे का बहुत दुरुपयोग हो रहा है और एक विकृति आ गयी है तो क्या इस धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए और जो इस चुनाव प्रक्रिया में विकृति आयी है उसको दूर करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराया जाये, जैसे ग्राम प्रधानों और बी०डी०सी० सदस्यों का होता है । इस तरह से चुनाव कराने के लिए क्या प्रदेश सरकार कोई संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजेगी ?

श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, यह प्रपोजल केन्द्र सरकार की परिधि का विषय है । इस संशोधन विधेयक को केन्द्र सरकार ने 1987 में प्रस्तावित किया था । इसके लिये हमने विचार किया । हमारा अभिमत एक महती विषय है । हमने 2 सितम्बर को इसे कैबिनेट के समक्ष उपस्थित किया । 26 सितम्बर को इस संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिला पंचायत और क्षेत्र समितियों के अध्यक्ष पद का चुनाव सीधे जनता से कराये जाने हेतु क्या प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति भारत सरकार को भेजी है और अपनी अनापत्ति दे दी है कि चुनाव सीधे जनता से कराया जाय ?

श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं पुनः स्पष्ट कर दूं यह अत्यन्त लोकहित का प्रश्न है । जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हम भारत सरकार के प्राविधानों के अधीन हैं । विधान मण्डल का अधिकार केवल ग्राम प्रधानों की चुनाव प्रक्रिया तक सीमित है । मान्यवर, 243–ग, 2(क) में प्राविधान है कि ऐसी किसी बात के होते हुये राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा ....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव किया है क्या आप अपनी सहमति और अनापत्ति भेज रहे हैं ?

श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, केन्द्र सरकार का जो प्रपोजल था उस पर हमारी सरकार, कैबिनेट ने 2 सितम्बर को विचार करके उसको उचित मानकर अनापत्ति व सहमति भेजी है । 26 सितम्बर को केन्द्र सरकार को अनुरोध भेजा है ।

प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु साठ वर्ष करने संबंधी जानकारी

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा श्री अम्बिका चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में शीघ्र निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न है और जैसा उसका उत्तर है इन दोनों से ही यह स्पष्ट है कि अभी सरकार ने निर्णय नहीं लिया है या नहीं लेगी, यह तो स्पष्ट है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पर कोई विचार किया है कि यदि 60 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु कर दी जाती है तो जो इसके लाभार्थी होंगे उनको क्या लाभ और क्या नुकसान होने वाला है और सरकार को भी क्या नुकसान और लाभ होने वाला है, क्या इस पर कोई कैलकुलेशन किया है ? यदि हां तो बताने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष–

अभी तो निर्णय ही नहीं लिया है तो क्या बतायेंगे ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, उत्तर से स्पष्ट है कि इन्कार नहीं है, जैसा मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य देखने को मिले थे कि सरकार इस पर विचार कर रही है । मान्यवर, अभी इन्कार नहीं है, इसलिए यह जानने का औचित्य बन जाता है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि इस पर विचार चल रहा है, निरन्तर विचार चलता भी रहा है और इस तारतम्य में हमने राज्यों से भी जानकारी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करने का कारण भी यही था कि 58 वर्ष से 60 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु करना उपयुक्त रहेगा या नहीं रहेगा और मुख्य कारण यह था

कि कान्टीन्यूटी बनाने के लिए और उनके अनुभवों का लाभ उठाने की दृष्टि से विचार हो रहा है लेकिन अभी इस पर निर्णय हुआ नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी जायेगी तो जिस वर्ष यह नियम लागू होगा, उस वर्ष रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सेवा की अवधि दो वर्ष बढ़ जायेगी और उस वर्ष कोई भी सेवानिवृत्ति नहीं होगी तो जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन, जी०पी०एफ० आदि का भुगतान होता है, इस पर कितना व्ययभार होगा जिसकी तत्काल बचत हो जायेगी और इसके चलते दो वर्ष बाद एकुमुलेटेड बढ़ेगा क्योंकि दो साल बाद जिनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है उनकी भी हो जायेगी । दो साल टालने के कारण जो वित्तीय भार बढ़ेगा वह कितना बढ़ेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी तक हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं । हमने अन्य राज्यों से जानकारी प्राप्त की है, केन्द्र सरकार ने इसे लागू किया है तो कोई न कोई कारण बना होगा । जहां तक निर्णय की बात है अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जिन बातों पर विचार होना है उसमें सबसे बड़ा बिन्दु यह है और इस बार चर्चा भी हो चुकी है । अगर इस विषय पर सरकार ने विचार नहीं किया है तो अन्य किन बिन्दुओं पर सरकार विचार कर रही है, उस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मनुष्य की औसत आयु बढ़ी है, उसी हिसाब से एफीसियेन्सी भी बढ़ी है तो क्षमता को ध्यान में रखते हुये इस बात पर विचार कर रहे हैं कि दो साल बढ़ाया जाये या न बढ़ाया जाये । फाइनेन्सियल मामला तो अन्त का मामला है, इसके पहले न जाने कितने बिन्दु हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से 60 साल करने पर विचार कर रही है तो अवश्य कुछ बिन्दु रहे होंगे । ऐसा करने से क्या-क्या लाभ होंगे और क्या नुकसान होगा ? क्या विचार में यह बिन्दु भी सम्मिलित रहा है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चला रही है जो राजस्व व्यय बढ़ा है उसको कम करने के लिए यह निर्णय लिया जा चुका है कि सरकार प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या कम करेगी । एक तरफ आप संख्या कम करने की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ 58 से 60 साल करने पर विचार कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में 2 साल तक एक भी आदमी रिटायर नहीं होगा और जहां आवश्यक होगा भर्ती जरूर होगी । ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी न कि कम होगी । जो सरकार ने 2 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष कम करने का निर्णय लिया है क्या इस तरह से संख्या कम होगी क्या सरकार ने इस बिन्दु पर विचार किया है या करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वर्मा जी ने जो बातें कहीं वह आयु न बढ़ाने के पक्ष में एक तर्क है, निश्चित रूप से सभी बातों पर विचार होगा और उसमें एक तर्क यह भी होगा । सबसे पहले केन्द्र सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया उसके बाद कुछ बड़े-बड़े राज्यों ने बढ़ाया । जो आपने कहा है निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बिन्दु तो है ही, इस पर विचार किया जायेगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चहाता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बात स्वीकार की है कि शासन में गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार किया जा रहा है कि अधिवर्षता आयु 58 साल से 60 साल किया जाये और यह भी बताया कि तमाम सारी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं । यह एक बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा हुआ है । पिछले 50 वर्षों से सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष रही है । क्या इसके पुनर्निधारण पर शासन कोई निर्णय लेने पर विचार कर रहा है तो क्या है ? मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर केवल कार्यपालिका द्वारा निर्णय लिया जाना पर्याप्त होगा । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुये सदन में विधायिका की सहमति प्राप्त करने पर विचार करेगी, चाहे प्रस्ताव या संकल्प के रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत करके सदन का अभिमत जानने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह नीतिगत व्यवस्था है, किसी दल विशेष के आधार पर इसका निर्णय नहीं लिया जायेगा, यह प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा प्रश्न है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसे सरकार को संकल्प अथवा बिल के रूप में उपस्थित कर सदन की सहमति प्राप्त करने में क्या कठिनाई है ? जनतंत्र में विधायिका सर्वोपरि है तो क्या सरकार निर्णय लिये जाने से पूर्व विधायिका की सहमति लेने का कष्ट करेगी ? माननीय मंत्री जी बता दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सदन में संकल्प लाने के लिए सभी माननीय सदस्य स्वतंत्र हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, जैसा कि संसदीय कार्य-मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि यह केन्द्र द्वारा किया गया है और उसके बाद अन्य कई राज्यों में भी रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गयी है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर विचार कर रही है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस काम का निरीक्षण-परीक्षण करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है जो समय-समय पर इसका निरीक्षण-परीक्षण करेगी और अपना प्रतिवेदन देगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसके लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया है हमने केवल इसकी अन्य राज्यों से जानकारी प्राप्त की है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर जब रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में पहले से ही एक बड़ी फौज बेरोजगारों की तैयार है और अगर सरकार द्वारा इसमें दो वर्ष की और बढ़ोत्तरी की गयी है तो इससे तो बेरोजगारों की संख्या में और बृद्धि होगी । क्या सरकार ने जो यह नीति बनायी है इससे बेरोजगारों को रोजगार देने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या इसकी गारन्टी सरकार देगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस नीति से जो बेरोजगार है, उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव आने वाला नहीं है । इसमें कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति है । अगर कर्मचारियों की कार्य-क्षमता ठीक है और यह हित में है तो इसको देखते हुए दो वर्ष बढ़ाने पर विचार करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बढ़ायेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह जो उत्तर है उसमें यह कहा गया है कि जी नहीं और पिछले दिनों वित्त मंत्री ने एक औचित्य के प्रश्न पर यह कहा था कि इस पर 28 तारीख को बैठक होने जा रही है । मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा है उससे मत विभेद आ रहा है और भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है । अगर विचार नहीं हो रहा है तो 28 तारीख को बैठक बुलाने की बात कैसे कही गयी है । जो सत्य है वह बतायें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न पूछा गया है क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है ? इसका उत्तर दिया है जी नहीं । आगे पूछा है कि यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में शीघ्र निर्णय लेगी ।

मैंने उत्तर दिया है कि "प्रश्न नहीं उठता" । सभी सदस्यगणों ने इस पर चिन्ता प्रकट की है और अपने विचार दिये हैं । मैंने खुद कहा है कि इन बातों के परिपेक्ष्य में विचार करके निर्णय लिया जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न पर इसके पहले वित्त मंत्री जी ने कहा था 28 तारीख को बैठक करने जा रहे हैं और मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि निर्णय नहीं लिया गया है, इसमें विरोधाभास है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई अन्तर्विरोध नहीं है 28 को बैठक होगी बैठक के बाद ही तो इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हम और आप अभी निर्विचार की स्थिति में आये नहीं हैं । हम चिन्तनशील प्राणी हैं, विचार करते रहते हैं । कब तक हो जायेगा, देखेंगे कि कब तक हो जायेगा ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु नीति का निर्धारण

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय (अनुपस्थित)

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों हेतु 10 घन्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)–

जी हां ।

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों हेतु 10 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विधायकों के प्रस्ताव पर पांच गांवों का विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में जानकारी

*2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विधायकों के प्रस्ताव पर क्या प्रति वर्ष पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण करने की स्थाइ नीति बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए स्थाई नीति बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, क्या गांवों को ऊर्जीकृत करने के लिए कोई स्थायी नीति बनायी जायेगी । प्रायः देखा जाता है कि भेदभाव करके गांव का विद्युतीकरण किया जाता है और संतुलित विकास नहीं होता है । माननीय मंत्री जी के हरदोई जिले में 24 घंटे बिजली आ रही है और शाहजहांपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में बिजली नहीं आ रही है । क्या संतुलित और समन्वित विकास के लिए विधायकों के प्रस्ताव पर कोई नीति बनायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन् गांवों के विद्युतीकरण का सवाल नहीं है पिछली कुछ सरकारों ने बंदिश लगा दी थीं और विधायक के चयन का अधिकार समाप्त हो गया था । जब से यह सरकार आयी है तो विधायकों के सम्मान को रखने के लिए निर्णय लिया है । इसलिए सदन में घोषणा की गयी थी कि सभी विधायकों के 5–5 गांवों का ऊर्जीकृत कर देंगे । पिछले वर्षों में धन की कमी रहीं है । इस पर शासन से वार्ता चल

रही है । विधायक जो डिस्ट्रिक्ट प्लान में गांव चयन करेंगे उनका विद्युतीकरण कराया जायेगा । जब तक हमारी सरकार है यह नीति लागू रहेगी आर फिर आगे कहां नीति बदलेगी हम नहीं कह सकते ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में कहा गया है कि जी नहीं और बाद में कहा है कि वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए स्थायी नीति बनाया जाना सम्भव नहीं है । मान्यवर, 5–5 गांवों के विद्युतीकरण की जो बात है उसके बारे में सदन में कहा है । संसाधन नहीं है, नहीं करेंगे । तो क्या पिछले वित्तीय वर्ष के जो गांव बाकी हैं उनका विद्युतीकरण आप करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले जो सरकार थी उसने स्थायी नीति को लागू किया था और जो गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ने तथा विद्युतीकरण करने का कार्य किया गया था । यह निर्णय लिया गया था कि जहां पर शेड्यूलकास्ट की आबादी ज्यादा है वहां हर विधान सभा क्षेत्र में 10 गांवों में बिना किसी भेदभाव के उनको चयनित किया गया था । डा० अम्बेडकर विकास योजना के अन्तर्गत अम्बेडकर गांवों के रूप में चयन किया गया था तथा उनको सड़क से जोड़ा गया था और विद्युत व्यवस्था की गयी थी और इस प्रकार से इन गांवों का संतुलित विकास किया गया था । उस समय यह हिसाब लगाया गया था कि 8 वर्षों में प्रदेश का एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जो सुविधाओं से संतृप्त न हो जाय । केन्द्र सरकार ने भी प्रधान मंत्री ग्रामीण सम्पर्क मार्ग योजना चलायी है जिसके अन्तर्गत 5 सौ आबादी के गांवों को 2007 तक सड़कों से जाड़े ने की योजना पूरे देश तथा प्रदेश के लिये बनायी गयी है । जो मूलभूत सुविधायें हैं सड़क तथा बिजली इनके लिये स्थायी नीति बनाकर क्रमबद्ध आबादी के हिसाब से 2005-2010 तक सभी गांवों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार किया जायगा ताकि हर साल कुछ गांवों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हो जायं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पूर्व की सरकारों की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के 50 हजार गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है । इसके लिये हम दोषी नहीं हैं । आदरणीय प्रधान मंत्री जी की इस चिन्ता को देखते हुए प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना में 5 साल का लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेश के सभी गांवों का विद्युतीकरण हो जाय । पहले बिना विधायक से पूछे गांवों का विद्युतीकरण होता था, हमने विधायकों का सम्मान रखने के लिये विधायकों की सहमति के आधार पर 5 गांवों के विद्युतीकरण की योजना बनायी थी जो चालू है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, बताया है कि यह व्यवस्था चालू रहेगी, तो फिर विद्युतीकरण करा क्यों नहीं रहे हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय मौर्या जी कुछ कन्फ्यूज लगते हैं । हमने स्पष्ट कहा है कि विधायकों के सम्मान के लिये जो नीति बनायी है उसको चालू रखेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी ने बड़ा भ्रामक बयान दिया है कि चालू रखेंगे । आज प्रदेश में 60 हजार गांव ऊर्जीकृत नहीं हैं । यह चिन्ता का विषय है और आप भी इससे सहमत होंगे कि 5 गांवों को

ऊर्जीकृत करने के लिये कहा गया था 2001-2002 में । आप ऊर्जीकृत करायेंगे इसके बारे में "हां" या "ना" में बताने का कष्ट करें ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अगर प्रधान मंत्री जी की योजना में ज्यादा धन उपलब्ध हो जायेगा तो 5 से संख्या ज्यादा बढ़ जायेगी । धन की उपलब्धता के आधार पर विधायकों का सम्मान रखते हुए उनके क्षेत्र में जो भी गांव वह कहेंगे उनका बिधायकों की सहमति से विद्युतीकरण कराया जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मंत्री जी अपने उत्तर से भ्रम पैदा कर रहे हैं । आपने कहा कि यह सतत् योजना चालू रहेगी जब तक हम ऊर्जा मंत्री रहेंगे यह कार्यक्रम चालू रहेगा । मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं आप हां या न में उत्तर दें । पांच गांव का इस साल विद्युतीकरण विधायकों के प्रस्ताव पर करायेंगे कि नहीं करायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, 50 हजार गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो सका है इनके बारे में एक लक्ष्य रखा गया है कि 5 साल में इनका विद्युतीकरण करायेंगे । अगर सहायता ज्यादा आ गई तो पांच से ज्यादा गांव भी हो सकते हैं और कम आई तो कम भी हो सकते हैं । विधायकों का क्षेत्र में सम्मान किया जाएगा ।

डा० वेद प्रकाश एम० एस०–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि विधायकों के सम्मान के लिये पांच-पांच गांव बिना किसी नीति के बिना किसी योजना के उनको देते हैं । मुझे एक चिट्ठी प्राप्त हुई थी जिसमें लिखा था यह आपके विभाग द्वारा भेजी गई थी कि इन पांच गांवों में 2 गांव वह होंगे जो अम्बेडकर गांव हों । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ कहते हैं कि विधायकों के कहने से बिना किसी भेदभाव के वह गांव कराये जायेंगे दूसरी तरफ प्रतिबन्ध लगाया गया । मैं मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी इच्छा से यदि गांव देने हैं तो उसमें कंडीशन न लगाई जाए ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जो दो अम्बेडकर गांव देने की बात कही गई वह विधायक के क्षेत्र के ही गांव हैं तीन अन्य गांव दे सकते हैं । यह एक मानक रखा गया है इस प्रतिबन्ध को नहीं हटाएंगे ।

डा० वेद प्रकाश एम०एस०–

बिना किसी नीति के बिना किसी योजना के पांच गांव विधायकों को देने की बात कही बाद में एक शर्त लगा दी कि एक गांव ऐसे होने चाहिये फिर तो बरखूराम जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, एक तरफ विधायकों को पांच गांव देने की बात कही गई बाद में प्रतिबन्ध लगा दिया कि दो गांव अम्बेडकर गांव होने चाहिये । मैं विद्युत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष

1998-99 और 1999-2000 में पांच गांव दिये थे उसमें अम्बेडकर गांव भी हैं बलरामपुर, पिपरा (खुदार) वहां पर तार खिंचे होते हैं खम्भे खुदे हैं लेकिन विद्युतीकरण नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अध्यक्ष जी मूल प्रश्न है क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विधायकों के प्रस्ताव पर क्या प्रतिवर्ष पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण करने की स्थाई नीति बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? उत्तर आया जी नहीं । अनुपूरक उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि जब तक सरकार चलती है व जब तक वह ऊर्जा मंत्री हैं पांच पांच गांव की नीति चलती रहेगी इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है । क्या सरकार वर्ष 2000-2001, 2001-2002 के अन्तर्गत प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव पर उसके विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच गांव विद्युतीकरण कराये जाने को सरकार सुनिश्चित करेगी ? मंत्री जी इस बात का स्पष्ट उत्तर 'हां' या 'नहीं' में दें । अगर मंत्री जी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो विस्तृत सूचना देकर इस पर चर्चा करा ली जाए । इस पर स्पष्ट उत्तर आना चाहिये ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हमने बहुत स्पष्ट किया है कि हमारी कोई नीति नहीं है कि पांच-पांच गांव अवश्य की दिये जायं । यह तो विधायकों की सुविधा के लिये किया गया है । धन की उपलब्धता के आधार पर जितने गांव आयेंगे उसमें हम विधायकों को प्राथमिकता देंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधान मंत्री योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध होने पर पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण करेंगे तो जो शहरी विधायकों को 15 लाख के काम कराने की सुविधा प्रदान की गई थी उसके लिये किस योजना का धन प्रयोग में लायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से हट कर है, मंत्री जी चाहें तो जवाब दे दें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सुविधा का मतलब यह नहीं होता अधिकार है । जितना सहयोग देंगे उतना सहयोग पायेंगे । हमने शहरी क्षेत्रों के विधायकों को सुविधा दी थी अब इस पर आगे विचार किया जायेगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, संरक्षण चाहिये । यह स्पष्ट उत्तर नहीं है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । प्रधान मंत्री ग्राम विकास योजना का जो जिक्र किया गया उसमें अंकित सभी गांवों को ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य है तो जितने गैर ऊर्जीकृत गांव है उनको ऊर्जीकृत करने के लिये कितनी धनराशि व्यय होगी और इस वर्ष में कितने गांव ऊर्जीकृत कर लेंगे आप ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से हटकर सवाल है । सवाल गांवों से संबंधित था ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह प्रश्न सही है मंत्री जी ने स्वीकार किया है अब यह बात बता दें कि 2001-2002 में पांच-पांच गांव के ऊर्जीकरण में कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रधान मंत्री जी की योजना में जो धन आवंटन किया गया है उसमें छः बिन्दु हैं जिसमें ऊर्जा भी है । 35 प्रतिशत निर्णय इसका राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा गया है । निर्णय होते ही बता देंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि प्रदेश के गांवों को ये बिजली नहीं देना चाहते, गांव की जनता को अंधियारे में रखना चाहते हैं । यह सरकार किसान मजदूर की दुश्मन है । अतः मैं इस सरकार की गलत नीतियों के विरोध में अपने दल के साथ इस सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न पर कई अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं लेकिन स्थिति साफ नहीं हुई, भ्रम की स्थिति है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मेरी निश्चित जानकारी है कि 2000-2001 के लिये जो घोषणा की गई थी कि 5-5 गांव विधायकों के प्रस्ताव पर ऊर्जीकृत करेंगे । मान्यवर, इसमें कुछ विधायकों के प्रस्ताव पर धन दे दिया है और कुछ को नहीं दिया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सामान्य नीति के आधार पर जिनको धन दे दिया, और जिनको धन नहीं दिया उनके लिये इस वर्ष धन की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है । स्पैसिफिक बता दें कि किसको दिया है तो ठीक है नहीं तो आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं है ।

*3–श्री जगदम्बिका पाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।

प्रदेश में अम्बेडकर ग्रामों में अधूरी पड़ी योजनाओं को पूर्ण करने की मांग

*1–श्री राम विशुन आजाद–

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अम्बेडकर ग्रामों में धनाभाव के कारण बहुत सी विकास योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु प्राथमिकता के आधार पर धन आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां, कतिपय मदों में वांछित धनराशि की कमी के कारण कार्य शेष है ।

अम्बेडकर ग्रामों की कार्ययोजना के अनुसार जो कार्यक्रम अपूर्ण है, उन्हें पूरा कराने का प्रयास अनवरत जारी है ।

समस्त कार्यक्रमों से अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त करने हेतु बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है । इस हेतु आगामी वर्षों की जिला योजनाओं से धनराशि जुटाने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

कल जिस बात पर यहां विचार हो रहा था, उसका आज प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिल गया कि कितनी अभिरुचि है, माननीय मंत्रियों की प्रश्नों का उत्तर देने में । फिर भी चूंकि कलेक्टिव रिस्पोंसबिल्टी है, संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देने के लिये तैयार हैं । मैं उनसे जानना चाहूंगा । उत्तर में कहा गया है कि समस्त कार्यक्रमों से अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त करने हेतु बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है । आखिर कुछ तो निश्चित धनराशि होगी, क्या है, कितनी है, कुछ तो स्पेसिफिक होना चाहिये ? जो 12 योजनायें हैं, उन 12 योजनाओं में किस योजना के लिये कितना पैसा लगाया गया है, कितने पैसे की अभी और आवश्यकता है, यह आना चाहिये । यह कह देना कि बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है, ठीक नहीं है । मैं जानना चाहूंगा कि कितने-कितने धन की आवश्यकता इन योजनाओं को पूरा करने के लिये है ? और उसके सापेक्ष जो इन्होंने कहा कि जिला योजना से धनराशि दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है उसके सापेक्ष जिला योजना से इनको कितनी धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है या व्यवस्था है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह 11 कार्यक्रम हैं जो अम्बेडकर गांवों में विकास करने के लिये, चलाने जाने की योजना बनायी गयी है । इन कार्यक्रमों में मान्यवर, वर्ष 1999-2000 में जो लक्ष्य रखा गया था वह 927.41 करोड़ का था । 98-99 में 703.83 करोड़ और वर्ष 97-98 में 777.17 करोड़ का लक्ष्य था । उसके सापेक्ष वित्तीय उपलब्धि 97-98 में 478.33 करोड़, वर्ष 98-99 में 406.26 करोड़ और 99-2000 में 236.21 करोड़ रही । इस प्रकार से टोटल मिलाकर लक्ष्य था 2108.41 करोड़ का और वित्तीय उपलब्धि थी 1120.80 करोड़ रुपये । इस प्रकार इसमें 987.61 करोड़ का गैप था । वही मैंने कहा कि धनराशि उपलब्ध नहीं थी और इसलिये कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सके । हमने स्वयं स्वीकार किया कि इन वर्षों के जो कार्यक्रम थे वह पूरे नहीं हो सके थे । इसलिये आगे नये ग्रामों का चयन न करके वहीं के पुराने कार्य को पूरा करने का प्रयास है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि कितनी धनराशि आवश्यक है थी, और जैसा बताया गया कि मान्यवर, 987 करोड़ की अभी और आवश्यकता है तब यह जाकर के योजनायें जो अधूरी रह गयी हैं वह पूरी हो पायेंगी यह कैसे उपलब्ध होगी धनराशि ? मान्यवर, जैसा पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, मान्यवर, मायावती जी की सरकार ने भी जो टोटल प्लान है उसके अतिरिक्त अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के लिये पैसा अवमुक्त किया था, कितना डिस्ट्रिक योजनाओं से और कितना अन्य से प्राप्त करके इसे पूरा करेंगे ?

टिप्पणी–यह प्रश्न मा० सदस्य श्री बी० आर० वर्मा की रुचि पर लिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

इस[illegible] प्लान है, प्रदेश स्तर पर 10-15 प्रतिशत अंश मिलता है, बाकी स्पेशल कम्पोनेंट डिस्ट्रिक प्लान से ही आता है। यह कार्यक्रम तो पहले से ही चल रहा है कि कितना कहां से मिलेगा, राज्य सेक्टर का तो 10-15 प्रतिशत पहले से ही है तो कठिनाई तो है कि 987 करोड़ कहां से उपलब्ध करायेंगे और इस कठिनाई को देखते हुए कि बजाय गांव सभा बढ़ाने के, यह उचित होगा कि जिन गांवों का चयन हो गया है और कार्य अधूरे रह गये हैं उन गांवों को ही पहले संतृप्त कर दिया जाय।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, चयनित अम्बेडकर ग्रामों में तीन वर्षों में किसी एक में भी न सड़क बनी है और न विद्युतीकरण हुआ है तो मान्यवर, इन दो योजनाओं को पूरा करने के लिये कितना धन देकर सरकार इन्हें पूरा करा लेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रतिशत तो वही है, मेरे पास जानकारी उपलब्ध है मान्यवर, कहिये तो मैं ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में बता देता हूं। लक्ष्य तो हमारा 11342 गांवों का था उसके मुकाबले हमारी उपलब्धि 1786 गांवों की है। मान्यवर, गैप बहुत है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, 11 हजार के सापेक्ष एक हजार।

जनपद आगरा/फिरोजाबाद में पूर्व से ही प्रतिबंधित अवैध पशुवध

*2–श्री विजय पाल सिंह (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा तथा फिरोजाबाद में पशुवधशाला के कितने लाइसेंस जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2000 तक प्रदान किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त दोनों जनपदों में अवैध तरीके से किये जा रहे पशुवध पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जनपद आगरा तथा फिरोजाबाद में पशुवधशाला के कोई लाइसेंस जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2000 तक प्रदान नहीं किये गये हैं।

अवैध पशुवध पूर्व से ही प्रतिबंधित है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के नगरों में मवेशियों को पालने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने हतु आवश्यक निर्देश

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों में मवेशियों के पालने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने और इन्हें नगर सीमा से बाहर पाले जाने का कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? उसे कब तक अमल में लाया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–2373/नौ-आ–1–1998, दिनांक 24 जून, 1998 द्वारा प्रदेश के शहरों को घनी आबादी से मवेशियों को स्थानान्तरित किये जाने के उद्देश्य से शहर की बाहरी परिधि पर कैटिल कालोनी का निर्माण कराये जाने और उसमें मवेशियों को स्थानान्तरित करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

लखनऊ नगर निगम में विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत कैटिल कालोनी का निर्माण किया गया जिसमें 10 मी० x 15 मी० के 458 भूखण्ड प्राविधानित है जिसमें से 419 भूखण्डों के कब्जे आवंटियों को दिये जा चुके हैं जिस पर पशुपालकों द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है ।

*2–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 18-5-2001 को नियम 29(4) के तारांकित प्र० सं०–3 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में किसानों को सस्ते दर पर बिजली की आपूर्ति

*3–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये कृषि उपज को बढ़ाने के लिये किसानों को सस्ते दर पर समुचित मात्रा में बिजली आपूर्ति करने की कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

प्रदेश में किसानों को पूर्व की भांति वर्तमान में भी सस्ते दर पर विद्युत आपूर्ति कराई जा रही है । अतः किसी अन्य नीति की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

किसानों को पहले से ही विद्युत मूल्य से कम दर पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है जिसके कारण पावर कारपोरेशन को होने वाली वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में की जाती है । विद्युत दरें और अधिक कम करने के फलस्वरूप पावर कारपोरेशन को दी जाने वाली सब्सिडी की धनराशि बढ़ाना राज्य शासन की विषम वित्तीय स्थिति के कारण सम्भव नहीं है ।

नगर निगम मेरठ की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु स्वीकृत योजना

*4–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरों के समन्वित विकास हेतु दिनांक 17-8-2000 को मंत्री जी की अध्यक्षता में योजना भवन में बैठक हुई थी ? यदि हां, तो क्या उस बैठक के निर्णय के क्रम में रुपये 677.80 लाख का प्रस्ताव दिनांक 28-8-2000 को मेरठ नगर निगम से शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर हुई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

जी हां ।

जी हां ।

नगर निगम मेरठ के उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में मेरठ नगर की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रु० 502.80 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है, जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में पृथक-पृथक कार्यों हेतु रु० 287.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है । उक्त अवमुक्त धनराशि के अन्तर्गत स्वीकृत विकास कार्य प्रगति पर है और अन्तिम चरण में कार्य चल रहा है ।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रुपये 677.80 लाख का जो प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था उसमें से मंत्री जी ने अपने [illegible] बताया कि 502.80 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह किस-किस योजना में की गई है कितनी-कितनी धनराशि अवमुक्त कर दी गई है । दूसरा प्रश्न यह है कि शेष योजनाएं कौन-कौन सी बाकी रह गई वह तो 175 लाख रुपये की हैं, इनकी स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ? तीसरा प्रश्न यह है कि 677.80 लाख का प्रस्ताव था 502.80 लाख स्वीकृत हुआ तो 215.30 लाख बच गया है, यह कब तक अवमुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री सतीश महाना–

नगर निगम मेरठ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था 677.80 लाख रुपये का । 502.80 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से 287.50 लाख रुपये अवमुक्त कर दिये गये । जो कार्य वहां पर किये गये उसकी सूची मेरे पास है माननीय सदस्य चाहें तो इन्हें उपलब्ध करा दूंगा । कहें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

सूची उपलब्ध करा दीजियेगा । मैं पूछ रहा था कि जो शेष धन बचा रह गया है वह कब तक अवमुक्त हो जायेगा ? एक तो मैं यह कह रहा था कि 175 लाख रुपये की शेष योजनाएं रह गई हैं, कब तक स्वीकृत हो जायेंगी और दूसरा यह कि स्वीकृत योजना में से जो 215.30 लाख रुपये बकाया है वह कब तक अवमुक्त हो जायेगा ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, बजट के बाद यथाशीघ्र इसको कर दिया जायेगा ।

विकास प्राधिकरणों में जनता की शिकायतों को दूर करने हेतु प्रभावी कार्य योजना

*5–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों द्वारा कार्य निस्तारण हेतु समय सारिणी तथा उनकी जवाबदेही निर्धारित करने हेतु कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विकास प्राधिकरणों में जनता की शिकायतों को दूर करने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

शासन द्वारा विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद् में नागरिकों के कार्य निस्तारण हेतु नागरिक अधिकार-पत्र जारी किया गया है । जिसमें विभिन्न कार्यों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए समय-सीमा निर्धारित की गयी है । साथ ही नागरिकों अथवा आवंटियों द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान हेतु शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रक्रिया बनायी गयी है । जारी किये गये नागरिक अधिकार-पत्र की 05 प्रतियां † मा० अध्यक्ष, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में रख दी गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नागरिक अधिकार-पत्र के माध्यम से विकास प्राधिकरणों में जनता की शिकायतों को दूर करने हेतु विभिन्न कार्यों के समयबद्ध निस्तारण व अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस देश और प्रदेश की सर्वोच्च सत्ता है जनता, देखा यह जाता है कि जो जनता के सेवक हैं नौकरशाही के आगे तानाशाही के आगे, बेबस और लाचार एवं नतमस्तक हैं । ऐसी स्थिति में 52 सूत्री अधिकार-पत्र शासन ने निर्गत किया है इसके लिये मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि 52 सूत्री अधिकार-पत्र नागरिकों के लिये निर्गत किया गया है इसमें क्या कोई शासनादेश भी निर्गत किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन अधिकारों के हनन के लिये जो दोषी होंगे उनके लिये क्या दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की गई है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसी सोमवार को 21 तारीख को नगर विकास एवं आवास का बजट पेश करते समय माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी, कि पहली बार नागरिक अधिकार-पत्र जारी किया गया है, इसके अन्तर्गत हमने जिम्मेदारी तय की है विकास प्राधिकरण की अनेक शिकायतें जनप्रतिनिधियों की है वहां पूरी तरह से बात नहीं सुनी जाती है । समयबद्ध सीमा में काम नहीं किया जाता है अधिकार-पत्र से यह सुनिश्चित किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

क्या इस संबंध में शासनादेश जारी हुआ है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी माननीय मंत्री जी की घोषणा के पश्चात् 24 तारीख को शासनादेश जारी हो गया है, नागरिक अधिकार-पत्र जारी किये जाने और उनका अनुपालन किये जाने हेतु जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और उनको ट्रेनिंग देने की

† छापी नहीं गयी ।

व्यवस्था की गई है, जिम्मेदार अधिकारियों को ट्रेंड किया जाएगा यदि वह उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो उनको दण्डित किया जायेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मंत्री जी ने बताया प्राविधान कर दिया गया है, शासनादेश जारी कर दिया गया है, इस प्रकार के अधिकार-पत्र विभिन्न प्रकार की सेवाओं के संदर्भ में निर्गत करते रहे हैं । यह दन्त नख विहीन हैं । जो अधिकारी कर्मचारी इस अधिकार-पत्र के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं उनको कठोर दण्ड दिया जाएगा ? अधिकार-पत्र जारी कर दिया शासनादेश जारी कर दिया तो क्या उस शासनादेश में इस बात का उल्लेख है कि इस अधिकार-पत्र का उल्लंघन करने वाले या नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री अध्यक्ष–

अभी कल ही तो शासनादेश जारी हुआ है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह शिकायतें नई नहीं हैं कोई विकास प्राधिकरण ऐसा नहीं है जिससे लोग परेशान न हों अब लोग बचने लगे हैं जिस प्रकार से अनियमितताएं हो रही हैं मेरा ही प्लाट अधिकारी के नाम कर दिया गया, मैं भुक्त भोगी हूं तो क्या इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है दण्ड का प्राविधान है ?

श्री सतीश महाना–

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं हमने जो नगरीय अधिकार-पत्र जारी किया है उसके द्वारा हमारा उद्देश्य नागरिकों को सुविधा का प्राविधान करना है । हमारी प्राथमिकता दण्ड तय करने की नहीं है, प्राथमिकता नागरिकों को अधिकार देने की है । जब शासनादेश जारी कर रहे हैं किसी भी कानून के पालन की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है अगर वह अनुपालन नहीं करते हैं तो दण्ड दिया जाएगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो शासनादेश हैं उसका दिनांक और नम्बर क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

दिनांक तो उन्होंने बता दिया है । नम्बर प्राप्त करके क्या बल मिलेगा ? यह अनावश्यक है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जो 52 सूत्रीय अधिकार-पत्र सरकार ने निर्गत किया है और जनता को दिया है, तो क्या आम जनता या लाभार्थी को इसकी जानकारी हो इसके लिये सभी विकास प्राधिकरणों में इस प्राधिकार-पत्र को डिस्प्ले करने के लिये आदेश देंगे ? क्योंकि हमको तो इस उत्तर के माध्यम से जानकारी हो गयी है उनको कैसे जानकारी हो ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विकास प्राधिकरण के माध्यम से यह इन्क्वायरी काउन्टर के माध्यम से जानकारी मिलेगी । इसको हम नोटिस बोर्ड में भी प्रदर्शित कर देंगे ।

प्रदेश में जनपदवार जिला योजनान्तर्गत संबंधित विभागों को वित्तीय स्वीकृतियां

*6–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के संतुलित और चहुमुखी विकास हेतु निर्दिष्ट मानकों पर प्रतिवर्ष जनपदवार जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को धन प्रदान किया जाता रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 में जिला योजना को अब तक धन प्रदान न करने का क्या कारण है ? क्या जिला प्लान समाप्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)) (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 की जिला योजनाओं हेतु आवंटित परिव्यय रु० 1800 करोड़ के सापेक्ष उपलब्ध सूचना के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा रु० 1654.92 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, मैंने एक मोटा सवाल रखा है, कहना चाहता हूं कि यह 1654.92 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी 2000-2001 के लिये । लेकिन जो बजट है वह जिलों में नहीं पहुंचा है और न ही कोई काम हो पा रहा है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह किस तारीख में अवमुक्त हुआ ? और जिलों में पहुंचा है कि नहीं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह तो अलग-अलग विभागों द्वारा स्वीकृतियां जारी की जाती है । हमारे पास खर्चे का तो विवरण है लेकिन डेट्स नहीं है और यह बताना भी मुश्किल होगा क्योंकि इसके लिये हमें जानकारी करनी होगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जिलों में गत वर्ष एक भी काम नहीं हुआ है और न ही रुपया वहां पहुंचा हैं । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह धन किस तारीख को अवमुक्त हुआ ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो विभिन्न विभागों से सूचना आयी है उसके अनुसार धन अवमुक्त किया लेकिन तारीख बताना इस समय संभव नहीं हो पायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, 1654.92 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई और धन अवमुक्त कर दिया जिसकी सूचना माननीय मंत्री जी ने दी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि 1654.92 करोड़ में से ग्रामीण

विद्युतीकरण के लिये ऊर्जा विभाग को कितना पैसा और पी० डब्ल्यू० डी० को सड़क और पुल बनाने के लिये कितना पैसा जारी हुआ ?

*श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, वर्ष 2000-2001 में जो रोड का पैसा है वह मान्यवर, अधिष्ठान व्यय इसमें शामिल नहीं है । 261.8 करोड़ रुपये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

कितना परिव्यय अनुमोदित था और कितना आवंटित किया गया ? ऊर्जा विभाग का भी बता दें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, लगभग 333 करोड़ रुपये की पी० डब्लू० डी० में और 260.53 करोड़ रुपये की विद्युत में सेक्शन जारी हुई हैं ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि ....

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, ऊर्जा विभाग को 75 करोड़ रुपया मिला है ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, 261 करोड़ रुपये के बारे में बताया कि यह इन्होंने लोक निर्माण विभाग के लिये अवमुक्त किया है मान्यवर, सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि कहीं एक भी पैसा गया नहीं है । माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि लोक निर्माण विभाग की योजनाओं की जो बात है वह धनाभाव के कारण उसकी व्यवस्था शीघ्र करेंगे उन्होंने स्वयं कहा था कि वह पैसा खर्च नहीं हुआ है । तो वह 261 करोड़ रुपया कहां गया यह गम्भीर प्रश्न है यह कह रहे हैं कि अवमुक्त किया और वे कह रहे हैं कि हमें पैसा मिला नहीं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पी० डब्लू० डी० द्वारा जो पेपर तैयार किया गया है कल शाम ही हमने मंगाया है ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, इसमें थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाये ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, 31-3-2001 तक 139.6 और 112.1 करोड़ रु० का व्यय हुआ । यह फीगर उनके पेपर में है मान्यवर, जो 2000-2001 की कन्टीन्यूयिंग स्कीम है उसके तहत 59.44 करोड़ रुपये का शासनादेश जारी हुआ है यह पी० डब्लू० डी० विभाग का पेपर है उनके द्वारा ही सूचना दी गयी है कि इतना-इतना पैसा गया है ?

विधान सभा

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरे जिले की निश्चित जानकारी है कि एक भी पैसा नहीं गया है । इसमें चर्चा हो जाये और इसी सत्र में हो जाये ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिये चर्चा करा लेते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इसकी चर्चा कब करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अगले सप्ताह, अगर माननीय सदस्य उपस्थित रहेंगे तो सार्थक चर्चा हो जायेगी ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग के जिला योजना के संबंध में जानकारी दी, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि लोक निर्माण मंत्री ने स्वीकार किया था कि 2000-2001 की जिला योजना का पैसा नहीं दे सके और मंत्री जी ने 75 प्रतिशत धन उपलब्ध कराये जाने की बात कही ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मान्यवर, इस संबंध में केवल लोक निर्माण विभाग का ही नहीं 1981-82 में यह विकेन्द्रित व्यवस्था के लिये जिला योजना निर्धारित की गयी थी और स्थानीय नियोजन और उसके तहत जिला योजना के मामले में जिले के कार्यों के लिये धन अवमुक्त हो जाता था, स्वीकृति होती थी लेकिन 2000-2001 में शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और तमाम विभागों का पैसा अवमुक्त नहीं हुआ है । इसलिये जो स्वीकृतियां वर्ष 2000-2001 की थी, धन अवमुक्त न होने कें कारण वह सारे कार्य अधूरे पड़े हैं जो क्या माननीय मंत्री जी जो दूसरे विभागों के कार्य हैं 2000-2001 के, तो क्या इस वित्तीय वर्ष में उन्हें पूरा कराने का वचन देंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो संबंधित विभागों से सूचना मिली है, इतना-इतना पैसा इस शासनादेश के अन्दर भेज दिया । हर विभाग नियोजन विभाग से गवर्न नहीं होता ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों का निर्माण होना था, स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण होना था, समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीबों के पेंशन की व्यवस्था होनी थी, वह पैसा गया नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

क्रियान्वयन के बारे में नियोजन मंत्री कैसे सूचना देंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह सरकार के मंत्री हैं जो भी उत्तर दे रहे हैं वह सरकार की तरफ से दे रहे हैं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मूल प्रश्न से हटकर मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी यह कह रहे हैं कि विभाग ने लिखकर दे दिया है वही मंत्री जी रख रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियोजन मंत्री यह कैसे बता पायेंगे कि जो धन 56 विभाग में अवमुक्त किया गया, वहां कार्य हुआ अथवा नहीं, क्रियान्वयन हुआ अथवा नहीं, यह मंत्री जी कैसे बतायेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि माननीय मंत्री जी ने यह धन अवमुक्त किया, जिले में जिला वाइज प्लान बनकर आता है तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसका पूरा विवरण आपके कक्ष में उपलब्ध करा दें जो माननीय सदस्य इसके लिये इच्छुक होंगे वह अपने जिले का देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों को अगले मंगलवार तक सभी जिलों को जो धन अवमुक्त हुआ है, उसे सूचित कर दिया जाय।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिला वाइज यह सूचित कर दिया जाय ताकि जिलों में जाकर विधायक उसको देख सकें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, दो दिन समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वृहस्पतिवार तक कर दें।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो धन जनपदों में विभागवार गया था, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग में एक पैसे का कार्य नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष–

वृहस्पतिवार तक आपको सूचना मिल जायेगी उसके बाद पता लगायें ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, जो 2000-2001 की धनराशि बताई है, न तो उसके अवमुक्त होने की तारीख मंत्री जी बता पा रहे हैं और किस विभाग ने कब अवमुक्त किया, यह भी नहीं बता पा रहे हैं ? जिला प्लान का गत वर्ष का पैसा धनाभाव के कारण किसी विभाग को अवमुक्त नहीं हुआ । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि अब जो विभागों में पैसा अवमुक्त होकर पहुंचा है, उससे काम कब तक शुरू करवाने का आदेश करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है, उसमें 1311 करोड़ के खर्च की भी सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी वृहस्पतिवार तक सूचना उपलब्ध करा देंगे । उसी दिन चर्चा भी निर्धारित कर देते हैं ।

ओबरा बिजली घर की इकाइयां बन्द होने से आपात कटौती व बिजली आयात करने संबंधी विवरण

*7–श्री जगदम्बिका पाल (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 अप्रैल, 2001 से 15 अप्रैल, 2001 तक ओबरा बिजली घर की कितनी इकाइयां बन्द हुई हैं ? उक्त स्थिति से निपटने के लिए कितने मेगावाट की आपात कटौती हुई तथा कितने मेगावाट बिजली आयात की गयी तथा उस पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

1 अप्रैल, 2001 से 15 अप्रैल, 2001 तक ओबरा बिजली घर में उपलब्ध 12 इकाइयों में से 8 इकाइयां एक अथवा अधिक बार बन्द हुई तथा पुनः चालू की गयी । 4 उत्पादन इकाइयां अनुरक्षण/वृहत अनुरक्षण के कारण लम्बी अवधि के लिये बन्द हैं ।

उक्त स्थिति से निपटने के लिये औसतन 448 मेगावाट की आपात कटौती की गयी तथा औसतन कुल 2265 मेगावाट बिजली आयात की गयी जिस पर प्रश्नगत अवधि में 14.64 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 12 इकाइयां बन्द हैं । प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति न हो पाने के कारण कई-कई घण्टे तक बिजली की कटौती हो रही है । माननीय मंत्री जी ने बताया कि 4 उत्पादन इकाइयों का अनुरक्षण और वृहद अनुरक्षण चल रहा है, 12 में से केवल 4 में चल रहा है । इसके लिये आपको कितना धन चाहिये था और कब से काम प्रारम्भ किया है और कब पूरा हो जायेगा ? दूसरे यह बताया कि 448 मेगावाट की कटौती करनी पड़ी । यदि अनुरक्षण का काम 12 इकाइयों में पूरा हो जाय, फिर कटौती नहीं करनी पड़ेगी यह मानता हूं । मंत्री जी यह बता दें कि अनुरक्षण कार्य पूरा होने के बाद कटौती करनी पड़ेगी या नहीं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, 4 इकाइयों कोई लम्बे समय तक के लिये बन्द किया है क्योंकि काम ज्यादा है । 8 इकाइयां कोई एक दिन, कोई दो दिन के लिये बन्द रहें । ब्वायलर की खराबी के कारण 2-3 दिन तक बन्द रही । केबिल गैलरी में आग लग गयी थी मगर हमने उसे ठीक कर लिया है । आज भी ओबरा में जो उत्पादन क्षमता है, उसका पी० एल० एफ० अच्छा हुआ है लेकिन इसको ठीक करने से विद्युत की कमी पूरी हो जायेगी यह ठीक नहीं है । अगर 100 प्रतिशत पी० एल० एफ० पर चले तो विद्युत की

कमी पूरी होगी क्योंकि यह इकाइयां 20 से 30 साल पुरानी हैं । इसलिये इनका पी० एल० एफ० कमी है ओबरा का नवीनीकरण किया जा रहा है । पूर्ण रूप से नवीनीकरण करके पी० एल० एफ० 85 प्रतिशत पर पहुंच जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, कहां से धन प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है और यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, पी० एफ० सी० ने योजना स्वीकृत की है । 5 इकाइयों का नवीनकरण कर रहे हैं । इसमें 700 करोड़ रुपया खर्च होगा । गवर्नमेंट ने गारण्टी दे दी है, अब रुपया ड्रा किया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं । माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न किया था । उसके उत्तर में मैंने बताया था कि 11342 गांवों का वित्तीय लक्ष्य था और 2418 के सापेक्ष उपलब्धि 210 की हुई है । इस प्रकार भौतिक उपलब्धि 9 प्रतिशत की है । मान्यवर, यह मैं ठीक कर दे रहा हूं ।

जनपद कानपुर में गंगा नदी में डाला जा रहा फैक्ट्रियों/टेनरियों का कचरा रोकने के उपाय

*8–श्री राम कुमार एड्वोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गंगा नदी में कानपुर की फैक्ट्रियों/टेनरियों का लगभग दस एम० एल० डी० कचड़ा एवं गन्दा कीचड़ युक्त पानी प्रतिदिन डाला जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

जी नहीं । कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में स्थित टैंनरियों से निकलने वाले लगभग 9 एमएलडी औद्योगिक दूषित जलमल का शोधन 36 एमएलडी क्षमता के निर्मित संयुक्त शोधन संयंत्र द्वारा किया जाता है जिसका रखरखाव उ० प्र० जल निगम द्वारा किया जा रहा है । इस प्रकार दूषित औद्योगिक उत्प्रवाह को गंगा नदी में गेरने से रोका जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता

श्री राम कुमार एडवोकेट–

मान्यवर, जो 5 नाले जाजमऊ में हैं, यह सीधे गंगा नदी में जाते थे, इसके लिए पम्पिंग स्टेशन लगाये गये हैं जिसके माध्यम से 36 एम०एल०डी० क्षमता के निर्मित संयुक्त शोधन संयंत्र द्वारा पानी का शोधन होता है, लेकिन वहां जो बिजली की स्थिति है, उसके हिसाब से प्रतिदिन सुबह 4-5 घण्टे बिजली जाती है और बीच-बीच में भी जाती रहती है । जब बिजली नहीं होती है तो पम्पिंग स्टेशन पर जल का शोधन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और डीजल जनरेटर सेट की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसे में मैकूपुरवा, वाजिदपुर, शीवान्स टेनरी, शीतला बाजार, बुढ़िया घाट नालों का गन्दा पानी सीधे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है । इसके लिए कोई कदम उठायेंगे, क्योंकि इससे उच्चतम न्यायालय के निर्देश की भी अवहेलना हो रही है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारे पांच पम्पिंग स्टेशन हैं, वहां जनरेटर सेट की व्यवस्था कर दी गयी है, वह इन्स्टाल हो गये हैं और चालू स्थिति में हैं।

प्रदेश में विभागीय कार्यशालाओं में ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत

*9–श्रीमती कृष्णा राज (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत तहसील स्तर पर कराये जाने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत हेतु एक महाप्रबन्धक ट्रान्सफार्मर मरम्मत इकाई का गठन उ० प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा किया गया है जिनके अन्तर्गत 56 कार्यशालायें कार्यरत हैं तथा ट्रान्सफार्मरों की विभागीय मरम्मत इन्हीं कार्यशालाओं द्वारा सुचारु रूप से किया जा रहा है।

श्री बी आर० वर्मा–

मान्यवर, नत्थी (ग) के पहले प्रश्न में मेरी रुचि है। इसको कृपया ले लें। वैसे माननीय मंत्री जी भी उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश में पत्रकारों हेतु गठित पालेकर/बछावत वेतन मण्डल द्वारा संस्तुति वेतनमान समाचार-पत्रों में लागू सम्बन्धी जानकारी

*10–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना (अनुपस्थित)–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पत्रकारों एवं गैर-पत्रकारों के लिए गठित हैं पालेकर वेतन मंडल एवं बछावत वेतन मंडल द्वारा घोषित तथा सरकार द्वारा अधिसूचित वेतनमान प्रदेश के कितने समाचार-पत्रों पर लागू है ? क्या सरकार ने इसे लागू कराने के लिए कोई प्रयास किये हैं ? यदि हां, तो क्या ? दैनिक जागरण, आज एवं अमर उजाला जैसे प्रदेश के प्रमुख हिन्दी दैनिकों के किस-किस संस्करणों में वेतन मण्डलों द्वारा निर्धारित किस-किस ग्रेड का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)––

प्रदेश में कुल 640 समाचार-पत्र प्रतिष्ठान हैं। इनमें 430 समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। 65 प्रतिष्ठान बन्द हैं। प्रदेश में कुल 143 प्रतिष्ठानों में वेतन मण्डल की संस्तुतियां लागू हैं। मात्र दो समाचार-पत्रों मे० जनवार्ता वाराणसी एवं इलाहाबाद पत्रिका में संस्तुतियां लागू नहीं हैं।

टिप्पणी :–नत्थी (ग) का प्रश्न सं० 1 का प्रश्नोत्तर क्रमानसार यथास्थान छपा है।

समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिष्ठानों की जांच कर विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये जिसके फलस्वरूप उक्त दोनों समाचार-पत्रों के विरुद्ध नियमानुसार प्राभियोजन दायर कर भुगतान कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

किस-किस संस्करण में किस-किस ग्रेड का वेतनमान दिया जा रहा है से सम्बन्धित सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

बदायूं के दरगाह हजरत गूंगे शाह रमजानपुर का प्रकरण के मा० उच्च न्यायालय लखनऊ के स्थगन आदेश से अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) बदायूं को अवगत कराने की जानकारी

1–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० सुन्नी सेण्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ, लखनऊ के अन्तर्गत वक्फ नं० 286 दरगाह हजरत गूंगे शाह रमजानपुर (बदायूं) के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा श्री सलमान जमीर पिटीशनर/अध्यक्ष, मैनेजमेंट कमेटी द्वारा दायर रिट पिटीशन संख्या 37(एम/बी) आफ 2001 पर दिनांक 05-01-2001 को स्थगन आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या चेयरमैन व मुख्य कार्यपालक अधिकारी वक्फ बोर्ड ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में जिलाधिकारी, बदायूं आदि को श्री सलमान जमीर पिटीशनर/अध्यक्ष मैनेजमेंट कमेटी के स्थगन आदेश के बावत अवगत करा दिया है ? यदि हां, तो किस पत्र संख्या व दिनांक को अवगत कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (राजा गजनफर अली)–

जी हां ।

जी हां ।

अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) बदायूं को पत्र संख्या–8339/286–बदायूं–2001, दिनांक 16-1-2001 द्वारा अवगत कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ को भंग करने के सम्बन्ध में जानकारी

2–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या अल्प-संख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ के भंग होने की कार्यवाही उत्तरांचल राज्य बन जाने के कारण शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या बोर्ड कब तक भंग कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गजनफर अली–

उत्तरांचल राज्य का गठन हो जाने के कारण वक्फ बोर्डों को भंग करने का निर्णय लिए जाने का क्षेत्राधिकारी वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–102 के तहत भारत सरकार का है ।

उपरोक्तानुसार ।

3–श्री फरीद महफूज किदवई–

[दिनांक 18-5-2001 को अता० प्र० सं०–85 द्वारा उत्तरित]

जनपद वाराणसी नगर में गतवर्ष सूडा द्वारा कराये गये कार्यों की जानकारी

4–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में वर्ष 2000-2001 में "सूडा" द्वारा किन क्षेत्रों में कौन से कार्य कराये गये और उन पर कितना व्यय हुआ ? वर्ष 2001-2002 में कराये जाने हेतु कहां और कौनं-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में जल निगम द्वारा निर्मित नलकूप की खराबी के सम्बन्ध में जानकारी

5–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कोतवाली थानान्तर्गत दलहट्टा में जल निगम द्वारा निर्मित नलकूप का डिस्चार्ज दोषपूर्ण निर्माण के कारण अत्यन्त कम हो गया है जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिष्ठापित नये नलकूप में आयी हुई खराबी को दुरस्त कर सही प्रेशर और मात्रा में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में सूडा/डूडा की योजनाओं के अन्तर्गत नगर पंचायत बिल्थरा रोड को आवंटित धनराशि के उपयोग का विवरण

6–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सूडा/डूडा की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में कार्य कराने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 में नगर पंचायत बिल्थरा रोड को कितना धन उक्त योजना के अन्तर्गत मिला है ? उसका उपयोग कहां-कहां पर हो रहा है क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत जिले स्तर से ही ठेकेदारों को धन व कार्य आवंटित कर नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों को नजरअंदाज कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । केवल नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों में कार्य कराये जाने का प्राविधान है ।

वर्ष 2000-2001 में बालिका समृद्धि योजनान्तर्गत रु० 9000 की धनराशि उपलब्ध कराये गयी और वित्तीय वर्ष 2000-2001 में निम्नलिखित रूप से धनराशि का उपयोग/व्यय किया गया :–

(अ) बालिका समृद्धि योजना रु० 18000.00

(ब) कौशल सुधार योजना के अन्तर्गत

(I) प्रशिक्षण पर रु० 2700.00

(II) टूल किट पर रु० 5400.00

(स) मार्ग सुधार एवं निर्माण पर रु० 100188.00

जी नहीं । जिला नगरीय विकास अभिकरण, बलिया के माध्यम से कार्य किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, क्षेत्र पट्टी के विकास कार्यों हेतु प्रस्तावों की स्वीकृति

7–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी०एम०/वि०को/एम/32846 एवं 32870 दिनांक 13-04-2000 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विकास कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध था, पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां, उक्त पत्रों में उल्लिखित प्रस्तावों पर विचारोपरान्त कुल रु० 106.60 लाख के प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

8–श्री श्याम किशोर यादव–

[दिनांक 17-5-2001 के अता०प्र० सं०–7 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ, अधिशासी अभियन्ता विद्युत भण्डार खण्ड अलीगंज से सेवानिवृत्त श्री परशुराम सिंह के समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

9–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री परशुराम सिंह पुत्र स्व० लक्ष्मण सिंह, ड्राइवर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, एक्सटेंशन अलीगंज, लखनऊ अगस्त, 2000 को सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें पेंशन, जी०पी०एफ० तथा ग्रेच्युटी आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कर्मचारी के समस्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

उक्त श्री सिंह के पेंशन, जी०पी०एफ० तथा ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु आदेश निर्गत हो चुके हैं तथा भुगतान हेतु कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद उन्नाव विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम मुठवा खेड़ी में विद्युतीकरण

10–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम मुठवा खेड़ी मजरे कुरसठ ग्रामीण जिसकी आबादी एक हजार से ऊपर है और जहां अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के ही लोग निवास करते हैं, का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

इस गांव को इस क्षेत्र के मा० विधायक सफीपुर द्वारा वर्ष 98-99, 99-2000 एवं 2000-2001 के विद्युतीकरण हेतु संस्तुति नहीं किया गया है । अतः किसी योजना में आच्छादित नहीं होने के कारण इस ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है ।

मा० विधायक द्वारा संस्तुति किये जाने पर इसके विद्युतीकरण की कार्यवाही की जायेगी । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ग्राम के विद्युतीकरण कराने हेतु समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद सीतापुर में विकास प्राधिकरण की स्थापना

11–श्री राधेश्याम जायसवाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर में विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-2-2001 रजिस्टर्ड डाक द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

विकास प्राधिकरण के गठन हेतु जो मानक निर्धारित हैं, उनमें जनसंख्या एक प्रमुख बिन्दु होता है । वर्ष 2001 की जनगणना का परिणाम आने तक विकास प्राधिकरणों के गठन पर विचार स्थगित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल में विद्युत अप्रेन्टिस, डिप्लोमाधारियों की ली गयी सेवाओं के मानदेय भुगतान की जानकारी

12–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान फरवरी सन् 1999 में विद्युत अप्रेन्टिस व आई० टी० आई० डिप्लोमाधारक की सेवायें 14 जनवरी, 2000 से विद्युत उपकेन्द्र बिलग्राम, माधोगंज तथा मल्लावां जनपद हरदोई में ली गयी थी ? क्या उक्त विद्युत उपकेन्द्रों पर लगाये गये विद्युत अप्रेन्टिसों व आई० टी० आई० डिप्लोमाधारकों को मानदेय का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान 14 जनवरी, 2000 से जनपद हरदोई के विद्युत उपकेन्द्र बिलग्राम, माधोगंज तथ मल्लावां में मात्र आई०टी०आई० डिप्लोमाधारक की सेवायें ली गयी थी।

जी हां, उक्त डिप्लोमाधारक के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में उपखण्ड अधिकारी विद्युत द्वारा रखे गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन की जानकारी

13–श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के 33 के०वी० विद्युत सब स्टेशन जालौन व नगरीय क्षेत्रों में उपखण्ड अधिकारी विद्युत द्वारा विद्युत व्यवस्था को ठीक बनाये रखने हेतु दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लगाया गया था ? यदि है तो क्या अधिक समय तक लगातार कार्य करने वाले कर्मचारियों को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट याचिका सं०–55652/2000 रूपसिंह आदि बनाम उ०प्र० विद्युत कारपोरेशन में पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं को रिक्त पदों पर अधिशासी अभियन्ता विद्युत उरई/जालौन द्वारा सेवायोजित/समायोजित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

मा० न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में याचीगण के प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत मृतक आश्रितों के सेवायोजन हेतु नीति निर्धारण

14–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत मृतक आश्रितों के सेवायोजन हेतु क्या नीति निर्धारित की गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक (वितरण) फैजाबाद क्षेत्र फैजाबाद का पत्र संख्या–1069म०प्र०/पै० दिनांक 8-02-2001 जो कि निदेशक, कार्मिक एवं प्रबन्धन, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 एवं उसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में कारपोरेशन के सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन किये जाने की व्यवस्था है।

जी हां।

मृतक आश्रित द्वारा चपरासी पद पर सेवायोजन की प्रार्थना की गयी थी, जिस पर नियमानुसार सेवायोजित करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत वितरण खण्डों में कार्यरत कर्मचारियों के सीट परिवर्तन की नीति के अन्तर्गत प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

15–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत वितरण खण्डों में बिल लिपिक, हेड बिल लिपिक, अनुबन्ध लिपिक एवं कैशियर के स्थानान्तरण की क्या नीति है ? क्या इस नीति का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में उप महाप्रबन्धक विद्युत वितरण मण्डल, सुल्तानपुर का पत्र संख्या–1292वि०वि०मंसु०/3बी–1दिनांक 27-5-2000 जो कि महाप्रबन्धक लखनऊ क्षेत्र लखनऊ एवं महाप्रबन्धक फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वितरण खण्डों में स्थानान्तरण/सीट परिवर्तन की नीति है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

उक्त पत्र में प्रस्तावित लिपिकों के स्थानान्तरण का प्रकरण महाप्रबन्धक, लखनऊ क्षेत्र/मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को उचित कार्यवाही हेतु सन्दर्भित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से गत वर्ष जनपद चित्रकूट में आवंटित धनराशि का विवरण

16–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से वर्ष 2000-2001 में जनपद चित्रकूट में कुल कितना धन किस कार्य के लिए दिया गया है ? क्या उक्त कार्यों के प्रस्ताव जनपद के विधायकों एवं विधान परिषद् के सदस्यों की सहमति से जिलाधिकारी को भेजे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त क्षेत्रीय विकास निधि से क्षेत्रीय विधायकों की परामर्श से कार्य योजना बनाये जाने का शासनादेश जारी किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

चित्रकूट में पर्यटन विकास हेतु 25 परियोजनाओं के लिए "चित्रकूट पैकेज" के अन्तर्गत रु० 499.89 लाख तथा लघु सिंचाई के अन्तर्गत पन्हाई टैंक परियोजना मानिकपुर के लिये रु० 108.73 लाख एवं भौरी से हरदौली सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु रु० 99.35 लाख स्वीकृत किये गये हैं ।

केवल एक प्रस्ताव "भौरी से हरदौली सम्पर्क मार्ग" नामक योजना मा० विधायक कर्वी, श्री आर०के० सिंह पटेल की संस्तुति पर भेजा गया है तथा अन्य प्रस्ताव क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप चिन्हित कर भेजे गये हैं ।

बुन्देलखण्ड विकास निधि की राज्यांश की योजनाओं को जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर ही शासन द्वारा स्वीकृत किए जाने की अनिवार्यता नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निधि के राज्यांश से पोषित योजनायें अन्तर–क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के उद्देश्य से स्वीकृत की जाती हैं तथा जिलांश में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी का प्रविधान पूर्व से ही विद्यमान है ।

जनपद इलाहाबाद में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने की हेरा-फेरी की जांच

17–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी की जांच इलाहाबाद नगर निगम के अपर मुख्य नगर अधिकारी द्वारा की गयी है ? क्या उक्त जांच आख्या दि० 14 मार्च, 2001 को मुख्य नगर अधिकारी को प्रस्तुत की गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

अपर मुख्य नगर अधिकारी द्वारा नजूल भूखण्ड साइट सं० 'डब्लू' सिविल स्टेशन, नजूल साइट सं०–9/1, नजूल साइट सं०–149/5 सिविल स्टेशन, नजूल भूखण्ड सं०–बी० 8 बेली मुख्तखारजा, नजूल साइट सं०–30/1 सिविल स्टेशन को अनियमित ढंग से फ्री-होल्ड किये जाने विषयक शिकायतों की जांच की गयी है ।

जी हां ।

इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम इलाहाबाद के कार्यालय पत्र दिनांक 19-4-2001 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है । स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त यदि दोषी पाया जाता है तो नियमानु..ार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के मदरसा अलजा मेंअतुल गौसिया उतरौला हेतु पूर्व की भांति शासनादेश अनुसार धनराशि उपलब्ध कराने की जानकारी

18–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मदरसा अलजा मेंअतुल गौसिया अरबी कालेज, उतरौला, जनपद गोण्डा/बलरामपुर में वर्ष 1995-96 से एक विज्ञान अध्यापक के वेतन की स्वीकृति शासनादेश संख्या–जी–48 दिनांक 31 मार्च, 1996 द्वारा प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त विज्ञान अध्यापक

का वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक का वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गजनफर अली खां–

केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–जी–48/15-5-96–170/93, दिनांक 31-3-1996 द्वारा मदरसा अल्जामेतुल गौसिया उतरौला गोण्डा को स्वीकृति प्रदान की गयी थी । वर्ष 1997-98 से भारत सरकार द्वारा मदरसे के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं को गयी है । मदरसे की योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में भारत सरकार से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है । भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् मदरसे को धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी ।

लखनऊ जल संस्थान की भांति नियुक्त नान आई०टी०आई० नियमित एस०एस०ए०/पम्प आपरेटर को अर्ह वेतनमान दिये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

19–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 के पूर्व के नियुक्त नान आई० टी० आई० नियमित एस०एस०ए०/पम्प आपरेटर को लखनऊ जल संस्थान की भांति अर्ह वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी वाराणसी जल संस्थान का पत्रांक सं० 838/11/ज०स० दिनांक 8-9-98 तथा पत्रांक सं० 1720/2/ज०स० दिनांक 30-3-2001 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-4-2001 शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में गोदौलिया विद्युत उपकेन्द्र की दुर्व्यवस्था ठीक करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

20–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 41/प्रा०स०/2000 दिनांक 10-5-2000 तथा पत्र दिनांक 4-7-2000 जो वाराणसी में गोदौलिया विद्युत उपकेन्द्र की दुर्व्यवस्था को ठीक करने एवं इसमें 5 एम०वी०ए० का एक नया ट्रान्सफारमर स्थापित कर विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

गोदौलिया उपकेन्द्र की दुर्व्यवस्था के सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । वर्तमान में गोदौलिया बास फाटक क्षेत्र एवं दशाश्वमेघ क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति शंकुल धारा उपकेन्द्र से निर्गत होने

वाले 11 के०वी० गोदौलिया फीडर से सुचारु रूप से की जा रही है । गौदोलिया उपकेन्द्र पर स्थानाभाव के कारण 5 एम०वी०ए० का परिवर्तक लगाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० विधान सभा सदस्यों को आवासीय भूखण्ड आवंटित किये जाने संबंधी जानकारी

21–श्री श्रीराम पाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० विधान सभा के सदस्यों को लखनऊ या उनके गृह जनपदों में एक आवासीय भूखण्ड आवंटित किये जाने की योजना के अन्तर्गत कितने सदस्यों को अब तक भूखण्ड आवंटित किये गये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-10-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विधान मण्डल के मा० सदस्यों को लखनऊ या उनके गृह जनपदों में एक आवासीय भूखण्ड आवंटित किए जाने की योजना के अन्तर्गत उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों यथा लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, गाजियाबाद, बरेली, मथुरा-वृन्दावन तथा मेरठ, इलाहाबाद विकास प्राधिकरणों के द्वारा कुल 227 भवन/भूखण्ड आवंटित किए गए हैं इसके अतिरिक्त अन्य विकास प्राधिकरणों से विवरण प्राप्त किया जा रहा है ।

प्रश्नकर्ता मा० सदस्य का पत्र जो जालौन नगर में भूखण्ड आवंटन से संबंधित है, को मा० सदस्य से प्राप्त कर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में विकास निधि से चेकडेम कम रपटों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

22–श्री श्रीराम पाल–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में कृषि भूमि को पर्याप्त सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अन्तर्गत माह मार्च, 2001 में स्वीकृत किये गये चेकडेम कम रपटों के निर्माण हेतु धनराशि जनपदों को आवंटित कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद जालौन के लिये स्वीकृत उक्त कार्य को आगामी बरसात के पूर्व प्रारम्भ कराकर पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से वित्तीय वर्ष 2000-2001 न कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अन्तर्गत माह मार्च, 2001 में स्वीकृत किये गये चेकडेम कम रपटों के निर्माण हेतु धनराशि जनपदों को आवंटित की गई है ।

दिनांक 30-3-2001 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत योजना को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी जालौन को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत विभाग में मा० उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अप्रेन्टिस प्रशिक्षुओं के संबंध में कार्यवाही की जानकारी

23–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रेन्टिस प्रशिक्षुओं को सेवा में लेने के आदेश मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका सं०-8095/98 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 23-3-98 को आदेश पारित किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश का क्रियान्वयन कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

मा० न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में प्रशिक्षुओं को चयन में वरियता दिये जाने के आदेश दिये गये थे किन्तु याचीगण विद्युत सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित तकनीशियन ग्रेड–II के रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

24–श्री अब्दुल सलाम–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद उन्नाव के शुक्लागंज में लगने वाली विद्युत सामग्री को उपलब्ध कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

25–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का विशेष सचिव, (ऊर्जा) को सम्बोधित एवं मुख्य अभियन्ता एवं भण्डार नियंत्रक को पृष्ठांकित पत्र दिनांक 5-10-2000 जो कि शुक्लागंज, उन्नाव में लगने वाली सामग्री के उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में हैं प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पत्र में उल्लिखित सामग्री उपलब्ध करायी गयी ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करायी जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है । वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम रणेना हबीब नगर के कथित मजरों में विद्युतीकरण कराने की मांग

26–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रणेना हबीब नगर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में चयनित किया गया था ? क्या यदि हां, तो क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के

अनुसार ग्राम रणेना हबीब नगर के मजरा अहमदापुर एवं हबीब नगर का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित आदेश वर्ष 1995-96 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर लागू नहीं होता है ।

क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न करने तथा धन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण कराना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम दौलतयारपुर के मजरा लालपुर में विद्युतीकरण कराने की मांग

27–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दौलतयारपुर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में चयनित किया गया था ? ग्राम दौलतयारपुर के मजरा लालपुर का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित आदेश वर्ष 1995-96 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर नहीं लागू होता है ।

क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न करने तथा धन न उपलब्ध होने के कारण विद्युतीकरण कराना संभव नहीं है ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम राजेपुर के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण की मांग

28–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम राजेपुर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में चयनित किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम राजेपुर के मजरा दिलदार पुरवा एव मटखोरिया तथा शाहबुद्दीन पुर का विद्युतीकरण करा लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित आदेश वर्ष 1995-96 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर लागू नहीं होता है ।

क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न करने तथा धन न उपलब्ध होने के कारण विद्युतीकरण कराया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम परचल रसूलपुर के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण की मांग

29–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम परचल रसूलपुर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक संख्या 2240/रेस्पो/ग्रा०वि०दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम परचल रसूलपुर के मजरा पवियानी, झण्डी पुरवा, हुलास पुरवा, ससेड़ा तथा मैला पुरवा एवं दुधेला का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित आदेश वर्ष 1996-97 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर नहीं लागू होता है ।

क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न करने तथा धन न उपलब्ध होने के कारण विद्युतीकरण कराना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू०पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के परिचालकीय वर्ग से अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति संबंधी श्री जय प्रकाश, सदस्य विधान सभा के पत्र पर कृत कार्यवाही

30–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी०पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत परिचालकीय वर्ग से अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी श्री जय प्रकाश, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 11-4-2001 जोकि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित बातों का संज्ञान में लेते हुये संदर्भित प्रकरण का परीक्षण किया गया । पत्र में आरोपित बातें सही नहीं पायी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करने संबंधी पत्र पर जांच

31–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत तत्कालीन निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन) एवं अन्य द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करने एवं जांच संख्या वी०सी० 19/2000

को प्रभावित करने सम्बन्धी श्री जय प्रकाश एम०एल०ए० का पत्र दिनांक 6-5-2000 एवं 30-6-2000 जोकि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० एवं मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) लखनऊ को सम्बोधित है , प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो यह जांच किसको सौंपी गई क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित पत्र जांच हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को भेजा गया है ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर क्षेत्र शिकारपुर नगर में 132 के०वी०ए० विद्युत स्टेशन के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने संबंधी जानकारी

32–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर नगर में 132 के०वी०ए० विद्युत स्टेशन के निर्माण हेतु लगभग 25 वर्षों पूर्व 3.5 एकड़ भूमि विद्युत विभाग द्वारा भू-स्वामियों का भुगतान कर अधिग्रहण की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्तावित विद्युत स्टेशन का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्युत स्टेशन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । वर्ष 1985-86 में भूमि अधिगृहीत की गयी थी ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण प्रस्तावित विद्युत स्टेशन का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो पाया ।

उक्त प्रस्तावित विद्युत स्टेशन के निर्माण हेतु पावर फाइनेन्स कारपोरेशन से वित्त पोषण के लिए योजना बनाकर भेजी गयी है उनसे अनुबन्ध होने/ऋण प्राप्त होने पर प्रस्तावित विद्युत स्टेशन का निर्माण कराया जायेगा ।

जनपद हाथरस, ब्लाक सहपऊ के ग्राम गढ़ी खंजमा में मकानों के ऊपर बिजली के तारों को हटवाने की मांग

33–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हाथरस के ब्लाक सहपऊ के ग्राम गढ़ी खंजमा में श्री धर्मवीर सिंह कुशवाहा के निजी प्लाट/मकान के ऊपर से विद्युत लाइन के तार खींचे हुए हैं जिससे कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम की विद्युत लाइन को निजी प्लाट से हटवाकर दूसरी तरफ खिंचवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम गढ़ी खंजमा में पहले से खींची विद्युत लाइन के नीचे श्री धर्मवीर सिंह द्वारा मकान बना लिया गया है । इस विद्युत लाइन से घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सूचना प्राप्त नही हुई है ।

जी हां ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के नियमों के अन्तर्गत लाइन हटाने हेतु संबंधित व्यक्तियों द्वारा आवेदन देने एवं प्राक्कलन की धनराशि जमा करने पर विद्युत लाइन दूसरे स्थान पर हटा दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में मुख्य नगर अधिकारी को बालागंज चौक में अतिक्रमण हटाने संबंधी जानकारी

34–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री के आदेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 द्वारा मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ को मोहल्ला रामनगर, (बालागंज) चौक लखनऊ के अन्तर्गत कुछ लोगों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

35–श्री समरपाल सिंह–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम शुक्लापुर भगत के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण की मांग

36–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शुक्लापुर भगत का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम शुक्लागंज भगत के मजरा चम्पा पुरवा एवं हेमायूंपुर तथा कछियान पुरवा व करौधियाई का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित आदेश वर्ष 1996-97 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर नहीं लागू होता है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न करने तथा धन के उपलब्ध होने के कारण विद्युतीकरण कराना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत खड्डा के सफाई कर्मचारियों के बोनस/एरियर की काटी गई धनराशि वापस करने की मांग

37–श्री दीपलाल भारती–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के सफाई कर्मचारियों के बोनस व एरियर की अध्यक्ष द्वारा की गयी कटौती की जांच दिनांक 7-4-2001 को उप जिलाधिकारी पडरौना द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो उक्त जांच के आधार पर सफाई कर्मचारियों के बोनस व एरियर की काटी गयी धनराशि वापस कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जिलाधिकारी, कुशीनगर के पत्र सं०–889/एल०बी०सी०/2001–2002, दिनांक 27-4-2001 द्वारा अध्यक्ष, नगर पंचायत, खड्डा जनपद कुशीनगर को सफाई कर्मचारियों के बोनस व एरियर की काटी गई धनराशि अविलम्ब वापस करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, कुशीनगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है तथा परीक्षणोपरान्त दोषियों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग

38–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शुक्लापुर भगत का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम शुक्लापुर भगत के मजरा कौड़ियापुर, वरीपुरवा, सियरहवा तथा हरिचन्दापुर का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित आदेश वर्ष 1996-97 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर नहीं लागू होता है ।

क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न करने तथा धन न उपलब्ध होने के कारण विद्युतीकरण कराना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

39–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बाबटमऊ अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में चयनित किया गया था ? क्या बाबटमऊ के मजरा मुथुवापुर का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं । शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-97 के अनुसार ग्राम बाबटमऊ के मजरा मुथुवापुर का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

वर्ष 1998-99 के चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं है जिस कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है ।

समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

40–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बिरौरी अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में चयनित किया गया था ? क्या ग्राम बिरौरी के मजरा झाला तथा खरेला पुरवा का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित आदेश वर्ष 1995-96 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर नहीं लागू होता है ।

क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न करने तथा धन न उपलब्ध होने के कारण विद्युतीकरण कराना संभव नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ बड़ा चांदगंज अलीगंज में नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में प्राप्त पत्र पर का कार्यवाही की जानकारी

41–श्री हरिशंकर माहौर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री संदीप अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 2001 जो बड़ा चांदगंज म० नं० 521/59 के सामने अलीगंज, लखनऊ

में नजूल की जमीन पर अवैध रूप से किया गया कब्जा तथा वहां व्याप्त गंदगी को दूर करने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

रिक्त पड़ी नजूल भूमि पर ईटा, मौरंग, मलवा आदि पड़ा हुआ पाया गया जिसे हटाये जाने के संबंध में कड़े निर्देश दे दिये गये हैं तथा सड़कों की गन्दगी की सफाई करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद, नगरपालिका के लालबाग वार्ड में नाले के पानी के निकासी की व्यवस्था की जानकारी

42–श्री अब्दुल सलाम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका फैजाबाद के लालबाग वार्ड में रकबा नम्बर–510 (जनौरा अन्दर नगरपालिका नान जेड ए) में जो नाला 1996 में लाकर गिराया गया है क्या उसके पानी के निकास की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस जलभराव से वर्ष 2000 के मानसूत्र सत्र में कितना क्षेत्र प्रभावित रहा और कितने घर गिरे ? क्या सरकार द्वारा इस जलभराव को समाप्त करने की कोई व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम में विद्युतीकरण की मांग

43–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम विरौरी का चयन वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि०, दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम विरौरी के मजरा रूधौली अटवा, हुल्लीपुरवा का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित आदेश वर्ष 1995-96 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर नहीं लागू होता है ।

क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न करने तथा धन न उपलब्ध होने के कारण विद्युतीकरण कराना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

44–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम वसहर कुतुलूपुर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 किया गया था ?

क्या शासन के पत्रांक संख्या 2240/रेस्पो/ग्रा०वि०, दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम मवसहर कुतुलूपुर के मजरा पुरवा सियाराम का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित आदेश वर्ष 1995-96 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर नहीं लागू होता है ।

क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न करने तथा धन न उपलब्ध होने के कारण विद्युतीकरण कराना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

45–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुरौली का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि०, दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम गुरौली के मजरा पुसेड़ा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित आदेश वर्ष 1995-96 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर नहीं लागू होता है ।

क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न करने तथा धन न उपलब्ध होने के कारण विद्युतीकरण कराना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

46–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम विरौरी का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि०, दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम विरौरी के मजरा चन्दन पुरवा खन्ना पुरवा, विलहटा तथा दुईयापुरवा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित आदेश वर्ष 1995-96 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर नहीं लागू होता है ।

क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न करने तथा धन न उपलब्ध होने के कारण विद्युतीकरण कराना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा

लखनऊ, जगदीश चन्द्र बोस वार्ड जोन हिंगलाज देवी पर अवैध निर्माण से जल निकासी अवरुद्ध होने का कथित प्रकरण

47–श्री जय प्रकाश–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जगदीश चन्द्र बोस वार्ड जोन माता हिंगलाज देवी मार्ग लखनऊ पर कई बहुमंजिले इमारतों का अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा बहुमंजिली इमारतों के निर्माण कार्य के कारण जल निकासी के अवरूद्ध होने से तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध निर्माणाधीन भवनों के अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत स्थल पर केवल एक निर्माण कार्य निजी भूमि पर काफी पूर्व में प्रारम्भ किया गया था जो कि वर्तमान समय में बन्द है । इस निर्माण से जल निकासी प्रभावित नहीं है ।

निर्माणकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–27 व 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी, तत्पश्चात निर्माणकर्ता द्वारा स्वैच्छिक शमन योजना 1998 के अन्तर्गत अपने निर्माण को शमनित कराने हेतु शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया जा चुका है । अतएव अतिक्रमण को हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

48–श्री वीरेन्द्र सिंह–

[दि० 4-5-2001 को अता० प्र० सं०–63 द्वारा उत्तरित]

जनपद जालौन के बेसिक शिक्षा परिषद अन्तर्गत विद्यालयों के अल्पसंख्यक छात्रों को गत वर्ष छात्रवृत्ति वितरण की जानकारी

49–श्री श्रीराम पाल–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक व सीनियर बेसिक विद्यालयों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को वर्ष 2000-2001 में 31 मार्च तक उपस्थिति पंजी के अनुसार दर्ज छात्रों में से मात्र 50 प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या खण्ड विकास महेवा के प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल मिटारी तथा खण्ड विकास जालौन के ग्राम हथना बुजुर्ग के विद्यालयों के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक छात्रवृत्ति का वितरण करा दिया जायेगा ?

राजा गजनफर अली–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फिरोजाबाद में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में दुरुपयोग/गबन के प्रकरण पर कार्यवाही की जानकारी

50–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में दुरुपयोग एवं गबन से संबंधित रु० 2.05 करोड़ की रिपोर्ट दिनांक 15-1-99 को तथा 28-5-2000 को रुपया 24.00 लाख की रिपोर्ट थाना मटसैना में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि के दुरुपयोग से संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गजनफर अली–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद में आवास विकास परिषद की वसुन्धरा योजना में एक धार्मिक संस्था को भूमि आवंटन का प्रकरण

51–श्री जय प्रकाश–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर–5 में एक धार्मिक संस्था के नाम मूल ले आउट में परिवर्तन कर लगभग 5 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है ? क्या मूल लेआउट में ऐसी भूमि पर भवनों एवं भूखण्डों के आवंटन का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो ले आउट में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या भवनों एवं भूखण्डों के स्थान पर ग्रीनबेल्ट के परिवर्तन की अनुमति मुख्य अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस भूमि परिवर्तन से परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षति हुई ? यदि हां, तो इसकी भरपाई किस प्रकार की जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । आवास विकास परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर–5 के मूल ले आउट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया एवं एक धर्मिक संस्था को दो एकड़ भूमि आवंटित की गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भवनों एवं भूखण्डों के स्थान पर ग्रीनबेल्ट में परिवर्तन नहीं किया गया । अतः मुख्य अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा अनुमति लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास विकास परिषद की वसुन्धरा योजना में ठेकेदारों को आवंटित निर्माण कार्य सम्बन्धी जानकारी

52–श्री जय प्रकाश–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् की वसुन्धरा योजना के सेक्टर–4 में लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत के भवनों के निर्माण कार्य बिना टेण्डर प्रकाशन के 2 फर्मों के नाम (मे० सावन इण्टर प्राइजेज व मे० राम आसरे गुप्ता) सेलेक्शन बांड बनाकर कार्य आवंटित किया गया ? क्या सेलेक्शन बांड पर कार्य कराना वित्तीय नियमों के विपरीत है ? यदि हां, तो सेलेक्शन बांड बनाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सेलेक्शन बांड की दरें वसुन्धरा में टेण्डर प्रकाशन के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों से लगभग 15 प्रतिशत अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

आवास विकास परिषद् की गाजियाबाद स्थित वसुन्धरा योजना में पत्रकारों की समिति "वार्ता लोक सहकारी आवास समिति" के लिए परिषदों द्वारा भवनों का निर्माण उनके व्यय पर डिपॉजिट वर्क के तहत में कराया जा रहा है । इसलिए पत्रकारों की समिति की मांग पर उनके लिए उनके द्वारा इंगित [illegible] माध्यम से कार्य कराने की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार सेलेक्शन बांड बनाकर कार्य कराया गया जिसकी लागत रु० 138.32 लाख है ।

जी नहीं ।

पत्रकारों को उक्त समिति के लिए भवनों का निर्माण परिषद् के द्वारा डिपाजिट कार्य के रूप में उनके व्यय पर 176 भवनों का निर्माण विधिवत् निविदा प्रकाशित कराकर व्यापक प्रचार प्रसार के उपरान्त कार्य ठेकेदारों में आवंटित किया गया है पत्रकारों की समिति के अनुरोध पर उनके लिए उनके व्यय पर 32 नग और भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना था जिस हेतु समिति ने दो ठेकेदारों के कार्य से संतोष व्यक्त किया और इन भवनों का निर्माण उनके माध्यम से कराये जाने की संस्तुति की गयी जिसके परिप्रेक्ष्य में पूर्व में व्यापक प्रचार प्रसार में प्राप्त टेण्डर की दरों पर ही सेलेक्शन बांड बनाकर उक्त दोनों ठेकेदारों के माध्यम से 16-16 भवनों का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् निर्माण खण्ड द्वारा सड़क में मिट्टी भराई के कार्य के भुगतान का प्रकरण

53–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् तत्कालीन निर्माण खण्ड–19 (वर्तमान में निर्माण खण्ड–18) कानपुर में वर्ष 90-91 में श्री रघुनाथ सिंह द्वारा हंसपुरम् योजना सेक्टर–2 के द्वितीय चरण में 30 मीटर चौड़ी सड़क में मिट्टी भराई का कार्य रु० 55,000.00 में करवाया गया था ? क्या उक्त भुगतान के आदेश पत्रांक 1224/डब्लू–18 दिनांक 3-5-99 के द्वारा दिये गये ? यदि हां, तो क्या भुगतान श्री रघुनाथ सिंह को प्राप्त हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् के तत्कालीन निर्माण खण्ड–19 कानपुर (वर्तमान में निर्माण खण्ड–18 कानपुर) में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर हंसपुरम् योजना सं०–2 कानपुर के द्वितीय चरण में 30 मी० चौड़ी सड़क में मिट्टी भराई का कार्य श्री रघुनाथ सिंह के द्वारा कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है ।

जी हां ।

जी हां ।

श्री रघुनाथ सिंह के द्वारा उक्त मिट्टी भराई के कार्य हेतु रु० 55500.00 के भुगतान हेतु दिनांक 24-7-92 में एक प्रार्थना-पत्र परिषद् में प्रेषित किया गया था जिसके साथ उनके द्वारा इस आशय का कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया कि उन्हें उक्त कार्य कराने हेतु खण्ड द्वारा कोई आदेश दिये गये थे अथवा कार्य हेतु उनके पक्ष में कोई अनुबन्ध किया गया था । श्री रघुनाथ सिंह के उक्त पत्र की जांच कराने पर तत्समय उक्त कार्य कराने के समय खण्ड में तैनात अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं अन्य तथ्यों की विस्तृत जांच किये जाने पर यह निष्कर्ष निकला कि प्रश्नगत कार्य श्री रघुनाथ सिंह के द्वारा कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है । इन परिस्थितियों में श्री रघुनाथ सिंह को उक्त कार्य का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत खड्डा के सफाई कर्मचारियों के बोनस/एरियर की काटी गयी धनराशि वापस करने के निर्देश

54–श्री दीपलाल भारती तथा श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के नियमित सफाई कर्मचारियों से फरवरी, 2001 को कार्यालय से बोनस व एरियर की रकम नकद भुगतान करते समय एक लाख एक हजार दो सौ इक्कीस रुपये कटौती किये जाने की खुली जांच जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 7-4-2001 को कराने पर लिपिक अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष तथा अध्यक्ष पति दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों को दण्डित करते हुये सफाई कर्मचारियों से कटौती की गयी धनराशि उन्हें वापस दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां । जिलाधिकारी, कुशीनगर के पत्र सं०–889/एल०बी०सी०/2001-2002 दिनांक 27-4-2001 द्वारा अध्यक्ष, नगर पंचायत खड्डा–कुशीनगर की सफाई कर्मचारियों के बोनस व एरियर की काटी गयी धनराशि वापस करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के आदि ग्रामों बढ़ैयाखेड़ा के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण की मांग

55–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा के ग्राम बढ़ैयाखेड़ा का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम बढ़ैया खेड़ा के मजरा कमालगंज जूरा एवं तकिया तथा चोखे पुरवा व धनीगंज का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां, ग्राम बढ़ैयाखेड़ा का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में किया गया था ।

ग्राम बढ़ैयाखेड़ा के मजरा कमालगंज जूरा एवं तकिया तथा चोखेपुरवा धनीगंज का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया । क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण संभव नहीं है ।

निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

56–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सेउकही का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम सेउकही के मजरा

बन्दीपुरवा एवं नन्दापुरवा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम सेउकही का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम विकास योजना के वर्ष 1997-98 में किया गया था ।

ग्राम सेउकही के मजरा बन्दीपुरवा एवं नंदापुरवा का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

57–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पसनामऊ का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम पसनामऊ के मजरा तकिया एवं मन्नापुरवा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम पसनामऊ का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 97-98 में किया गया था ।

संदर्भित मजरों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

जनपद सीतापुर नगर पालिका परिषद् के श्री बाबू लाल तिवारी के सेवानिवृत्ति पश्चात समस्त देयकों के भुगतान की जानकारी

58–श्री राधेश्याम जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबूलाल तिवारी भू०पू० अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् सीतापुर जिन्हें 31 मई, 1991 को पूर्ण सेवा अवधि समाप्त होने के बाद सेवा निवृत्त होना था, को 4 दिन पूर्व 27 मई, 91 को सेवा से अलग किये जाने के परिपेक्ष्य में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ ने दिनांक 21-4-2000 को अपने निर्णय में इन्हें बहाल कर दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी पेंशन तथा अन्य देयों का भुगतान किये जाने का आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, किन्तु श्री बाबूलाल तिवारी को दिनांक 27 मई, 1991 को नहीं अपितु शासनादेश दिनांक 10 मई, 1991 के द्वारा सेवा से पृथक किया गया था ।

इस सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त की जा रही है ।

प्राप्त विधिक राय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत तदर्थ नियुक्त कर्मियों का विनियमितीकरण

59–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश सं०–517/9/आ०–5/2001–204 ई/99 के द्वारा प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में अकेन्द्रियित कार्यरत कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु कट आफ डेट 29-12-89 के स्थान पर 29-6-91 कर दी गयी है ? यदि हां, तो उ० प्र० शासन द्वारा वर्ष 1987 में तदर्थ आधार पर नियमानुसार चयन प्रक्रिया के उपरान्त नियुक्त 117 अवर अभियन्ताओं का विनियमितीकरण न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इनके विनियमितीकरण की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 में निहित व्यवस्थानुसार अवर अभियन्ता का पद उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत है, जिनके विषय में प्रश्नगत शासनादेश लागू नहीं है । उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली (तृतीय संशोधन) 1992 में निहित प्राविधानों के अनुसार सम्प्रति दिनांक 01-10-1986 व इसके पूर्व तदर्थ नियुक्त कार्मिकों के ही विनियमितीकरण की कार्यवाही नियमानुसार सम्भव है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद उन्नाव में नगर पालिका परिषद् अन्तर्गत पड़ाव अड्डों की नीलामी की जानकारी

60–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् उन्नाव सीमान्तर्गत कितने पड़ाव अड्डे हैं ? क्या उन पड़ाव अड्डों की नीलामी की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद्, उन्नाव सीमान्तर्गत कुल 11 पड़ाव अड्डे हैं ।

जी हां ।

एक पड़ाव अड्डा दिनांक 16-6-99

एक पड़ाव अड्डा दिनांक 1-7-99

दो पड़ाव अड्डा दिनांक 2-7-99

एक पड़ाव अड्डा दिनांक 8-7-99

चार पड़ाव अड्डा दिनांक 17-7-99

एक पड़ाव अड्डा दिनांक 22-11-2000

केवल एक अड्डा नीलामी में बोली न आने के कारण नहीं उठ सका है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग

61–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हथौरा का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के आधार पर ग्राम हथौरा के मजरा नूरपुर मौसमपुर मढ़िया एवं भिखारीपुर, अटवा व टेड़वा तथा दुर्जनपुर का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम हथौरा का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में किया गया था ।

ग्राम हथौरा के मजरा नूरपुर, मौसमपुर मढिया एवं भिखारीपुर, अटवा, टेडवा तथा दुर्जनपुर का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

क्योंकि आदेश सं०–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-97 वर्ष 1996-97 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर लागू नहीं होता है ।

समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

62–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुजरई का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम गुजरई के मजरा वन्थरिया व ऊंची मंगरौली तथा नीची मंगरौली एवं मजराधौतलिया का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम गुजरई का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में किया गया है ।

ग्राम गुजरई के मजरा वन्थरिया व ऊंची मंगरोली तथा नीची मंगरोली एवं मजरा धोतलिया का विद्युतीकरण नहीं किया गया है । आदेश सं०–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 वर्ष 1996-97 के चयनित अम्बेडकर ग्रामों पर लागू नहीं होता है ।

उपरोक्तानुसार ।

समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

63–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डाभा का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के आधार पर ग्राम डाभा के मजरा कोढ़ई का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरे का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां। ग्राम डाभा का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में किया गया था।

ग्राम डाभा के मजरा सोढई का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। आदेश सं०–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-97 वर्ष 1996-97 के चयनित अम्बेडकर ग्रामों पर लागू नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

लखनऊ राजाजीपुरम् कालोनी में जल भराव के निराकरण हेतु ड्रेनेज के निर्माण की मांग

64–श्री रामाधार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में राजाजीपुरम् कालोनी से लगी हुयीं पारा कालोनी में पारा रोड के पूर्वी क्षेत्र में जल भराव की विषम समस्या है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी नाग मंदिर से पूरब जाने वाली रोड के किनारे ड्रेनेज का निर्माण कराकर हैदर कैनाल राजाजीपुरम् कालोनी से जोड़े जाने हेतु विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

नगर निगम स्तर पर धन की उपलब्धता के आधार पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, नगर पालिका सण्डीला की भूमि पर अधिशासी अधिकारी द्वारा अवैध कब्जे का कथित प्रकरण

65–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका सण्डीला जनपद हरदोई में नगरपालिका की बरौनी चुंगी नाका हरदोई रोड तथा नगरपालिका के पीछे पश्चिम उत्तर की ओर नगरपालिका की भूमि पर अधिशासी अधिकारी द्वारा अवैध कब्जा करवाकर मकान आदि का अवैध रूप से निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटाकर नगरपालिका की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई मोहल्ला हरिजन सहाय महतवाना सण्डीला में अवैध निर्माण के कारण बरसाती पानी से जल भराव के निराकरण हेतु सफाई की व्यवस्था

66–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला हरिजन सराय महतवाना संडीला जनपद हरदोई में अवैध निर्माण के कारण बरसाती पानी से नाला बन्द हो जाने से जल भराव का गम्भीर संकट उत्पन्न हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री मो० असलम द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाकर उक्त नाले की सफाई तत्काल किये जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

अवैध अतिक्रमण हटवाकर नाले की सफाई करा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली, राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र से सेवानिवृत्त श्रीमती रूपदेवी के पेंशन भुगतान की जानकारी

67–श्री विजय कुमार–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र, सी०बी० गंज बरेली कार्यालय से दिनांक 30-4-1998 को सेवानिवृत्त मेड सर्वेन्ट श्रीमती रूपा देवी को मई, 1998 से पेंशन का निर्धारण कर उनका भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पेंशन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

स्व० श्रीमती रूपा देवी, मेड, सर्वेन्ट द्वारा अपने सेवा अवधि एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30-4-1998 के उपरान्त भी जीवनकाल में आवश्यक पेंशन प्रपत्र अपर श्रमायुक्त कार्यालय बरेली में प्रस्तुत नहीं किये गये थे । दुर्भाग्यवश दिनांक 10-6-1998 को उनका देहान्त हो गया । पेंशनदेयता की तिथि 1-5-98 से स्व० रूपा देवी की मृत्यु दिनांक 10-6-98 की अवधि में अनुमन्य पेंशन की राशि कुल रु० 2420/- बनती है, को उनके आश्रित पुत्र श्री रामचन्द्र कनौजिया द्वारा ग्रहण करने से इन्कार कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग

68–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तेरवा कुल्ली का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम तेरवा कुल्ली के मजरा गुलाब पुरवा तथा सुल्तापुरवा और छोट्टा पुरवा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरे का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम तेरवा कुल्ली का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में किया गया था ।

ग्राम तेरवा कुल्ली के मजरा गुलाबपुरवा तथा सुल्तानपुर और छोट्टापुरवा का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

69–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम फुलई का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम फुलई के मजरा बंदरहिया तथा टेरिया भवानीपुर का विद्युतीकरण कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम फुलई का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में किया गया था ।

ग्राम फुलई के मजरा बंदरहिया तथा तेरिया भवानीपुर का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

70–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तेरवा कुल्ली का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम तेरवा कुल्ली के मजरा चपरटला, तेरवा तथा देवीपुरवा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम तेरवा कुल्ली का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में किया गया था ।

ग्राम तेरवा कुल्ली के मजरा चमरटसा, तेरवा, देवीपुरवा का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया । क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण संभव नहीं है ।

निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्रामों कतिपय मजरों में विद्युतीकरण कराने की मांग

71–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खंधोरिया खजहानपुर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम खंधोरिया खजहानपुर के मजरा खंधोरिया एवं पटियनपुरवा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम खन्दरिया खजहानपुर वर्ष 1999-2000 में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित है ।

ग्राम खन्दरिया खजहानपुर के मजरा खन्दरिया एवं पटियनपुरवा का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

प्रदेश में नजूल भूमि को फ्री होल्ड नीति के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद व लखनऊ में विगत वर्षों में फ्री-होल्ड की गई भूमि की जानकारी

72–श्री राम कृपाल सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने की शासन की क्या नीति है ? इलाहाबाद तथा लखनऊ जिले में वर्ष 1998, 1999, 2000 व मार्च, 2001 तक कितनी नजूल भूमि फ्री-होल्ड की गई और इससे विभाग को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

श्री लालजी टण्डन–

शासन की नजूल फ्री-होल्ड नीति के अन्तर्गत पट्टागत नजूल भूमि को पट्टेदार, उसके उत्तराधिकारी उनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रेता के पक्ष में, निर्धारित शुल्क देने पर, फ्री-होल्ड की जा सकती है । कतिपय परिस्थितियों में पंजीकृत विक्रय अनुबन्ध धारक के पक्ष में एवं नजूल भूमि पर भवनों के रेन्ट कन्ट्रोल के किरायेदारों के पक्ष में भी फ्री-होल्ड की जा सकती है । स्थानीय निकायों द्वारा भी उनके द्वारा उपयोग की भूमि भी उनके पक्ष में फ्री-होल्ड की जा सकती है । रिक्त भूमि को भी नीलामी द्वारा फ्री-होल्ड/विक्रय की जाती है ।

वर्ष 1998, 1999, 2000 व मार्च, 2001 तक जनपद इलाहाबाद में 98,99,736.30 वर्ग फिट नजूल भूमि फ्री-होल्ड की गयी और इससे रु० 2989.41 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई तथा जनपद लखनऊ में 16.10.121 वर्ग फिट नजूल भूमि फ्री-होल्ड की गयी और इससे रु० 794.45 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई ।

73–श्री लालमणि प्रसाद–

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्रामों कतिपय मजरों में विद्युतीकरण कराने की मांग

74–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बाबटमऊ का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम बाबटमऊ के मजरा लशगरीपुर डालपुरवा, रमपुरवा तकिया, जटेरा, साधौपुरवा, मठिया, मुचुवापुर बगिया, तौकलाबाद तथा खालेपुरवा एवं दुर्जनपुरवा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम बाबटमऊ का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ।

ग्राम बाबटमऊ के मजरा लझगरीपुरवा डालापुरवा, रमपुरवा, तकिया, जटेरा साधोपुरवा, मढिया, मधुवापुर बगिया, तोकलाबाद तथा खालेपुरवा एवं दुर्जनपुरवा का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

जनपद मथुरा, नगला चिन्ता पो० मगोरी के जाटव समुदाय के लोगों को सामुदायिक पेयजल व्यवस्था विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

75–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगला चिन्ता, पो० मगोर्रा (पोडर) जनपद मथुरा के जाटव समुदाय के लोगों को जलकर माफ करने एवं सामुदायिक पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–/44443/मथुरा/ 2001 दिनांक 30-3-2001 प्रबन्ध निदेशक जल निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगला चिन्ता, पोस्ट मगोर्रा (पोडर) जनपद मथुरा की जलापूर्ति अप्रैल, 1999 से बाधित है । अतएव उक्त ग्राम का जलकर दिनांक 1-4-1999 से 31 मई, 2001 तक का माफ कर दिया गया है । जलापूर्ति सुचारु रूप से करने हेतु पाइप लाइन की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा ।

उक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ, जल निगम में विगत 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

76–चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे अवर अभियन्ता हैं, जो विगत पांच वर्षों से अधिक समय से जल निगम मुख्यालय, लखनऊ पर कार्यरत हैं ? क्या ऐसे अवर अभियन्ताओं को कार्यहित में जनपद के बाहर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जल निगम मुख्यालय में वर्तमान में 5 वर्षों से अधिक समय से 15 जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं ।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम में विद्युतीकरण की मांग

77–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रूदामऊ का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम रूदामऊ के मजरा छेदा पुरवा कोरानिया एवं भूड़पुरवा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम रूदामऊ का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ।

ग्राम रूदामऊ के मजरा छोटापुरवा कोरानियां एवं भूडपुरवा का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

78–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कन्थरी का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम कन्थरी के मजरा ठकुरी खेड़ा एवं मढ़िया तथा नेवादा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम कन्थरी का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ।

ग्राम कन्थरी के मजरा ठकुरी खेड़ा एवं मढ़िया तथा नेवादा का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

79–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ठठिया जाहिदपुर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम ठठिया जाहिदपुर

के मजरा जियालाल पुरवा तथा फत्तेपुर एवं नरायनमऊ का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम ठठिया जाहिदपुर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ।

ग्राम ठठिया जाहिदपुर के मजरा जियालालपुरवा तथा फत्तेपुर एवं नरायनमऊ का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

80–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुतुवापुर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम कुतुवापुर के मजरा सेमरीपुरवा एवं चकपुरवा तथा कलेनापुर का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

ग्राम कुतवापुर के मजरा सेमरीपुरवा एवं चन्दपुरवा तथा कलेनापुर का विद्युतीकरण नहीं किया है ।

रेस्पो के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा० वि० दिनांक 10-4-97 सहपठित पत्रांक–6019/रेस्पो/ग्रा०वि० दि० 17-8-97 के अनुसार चयनित अम्बेडकर ग्राम के सभी मजरों का विद्युतीकरण इस मद में धनराशि अवशेष न होने के कारण कराना संभव नहीं है ।

समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

81–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रोइया का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम रोइया के मजरा मितानपुरवा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

ग्राम रोइया के मजरा मिलान पुरवा का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

रेस्पो के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 सहपठिता पत्रांक 6019/रेस्पो/ग्रा०वि० दि० 17-6-97 के अनुसार चयनित अम्बेडकर ग्राम के सभी मजरों का विद्युतीकरण इस मद में धनराशि अवशेष न होने के कारण कराना संभव नहीं है ।

समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

82–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अटवाअली मर्दानपुर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम अटवाअली मर्दानपुर के मजरा भैनामऊ एवं तकिया का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम अटवा अलीमर्दानपुर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ।

ग्राम अटवा अलीमर्दानपुर के मजरा मैनामऊ एवं तकिया का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

जनपद बस्ती के नगरपालिका परिषद् के महामंत्री का अवर अभियन्ता (जल) श्री सूर्य भान सिंह द्वारा अवैधानिक कराये गये कार्यों की जांच सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

83–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-8-2000 को जलकर कर्मचारी संघ नगरपालिका परिषद् बस्ती के महामंत्री श्री तेवूलाल सोनकर ने एक पत्र सचिव, नगर विकास, उ० प्र० शासन, लखनऊ को प्रेषित किया था जो अवर अभियन्ता (जल) श्री सूर्यभान सिंह द्वारा कराये गये अवैधानिक कार्यों की जांच कराने के संबंध में था ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ राजाजीपुरम् सपना कालोनी में अवैध रूप से दुग्धधारी जानवरों को बांधने की जांच

84–श्री अरुणवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा आवास विकास कालोनियों में दुग्धधारी पशुओं को बिना अनुमति के रखना निषिद्ध किया गया है ? क्या यह सही है कि भवन

संख्या–3778, सी–3792 एवं सी–3800 सेक्टर–6 सपना कालोनी, राजाजीपुरम में अनधिकृत रूप से दूध का व्यापार कर, जानवरों को सार्वजनिक रास्ते में बांधा जा रहा है जिससे कालोनी वासियों को आवागमन में असुविधा होती है तथा वातावरण प्रदूषित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त मवेशियों को शहर से बाहर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

भवन संख्या–3778 के पास कोई भी पशु नहीं पाये गये । भवन संख्या–सी-3792 जो श्री गुप्ता का मकान है उसमें एक गाय निजी प्रयोग हेतु पालते हुए पायी गयी है । सी–3800 मकान में श्री राम निवास करते हैं जिनके पास एक छोटी सी बछिया दरवाजे पर पायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषदों के अधिशासी अभियन्ताओं आदि द्वारा अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उपलब्ध कराने की मांग

85–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आवास विभाग के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियन्ताओं एवं उससे उच्च स्तर के अभियन्ताओं ने सेवा में आने से पूर्व अपनी चल व अचल सम्पत्ति का ब्योरा विभाग में प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो क्या सेवा में आने के बाद उनकी सम्पत्ति की जांच उनकी आय को दृष्टिगत रखते हुए करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

आवास विभाग के अन्तर्गत उ०प्र० आवास विकास परिषद् में सहायक अभियन्ता संवर्ग में (सीधी भर्ती/प्रोन्नति) से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नतियां अधिशासी अभियन्ता व उससे उच्चतर पदों पर की जाती हैं एवं इनके द्वारा परिषद् में प्रथम नियुक्ति के समय घोषणा पत्र देते समय चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है ।

आवास विभाग के अन्तर्गत ही विभिन्न विकास प्राधिकरणों से इस विषय में दिनांक 30 जून 2001 तक सूचना/विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

यदि कोई शिकायत इस विषय में प्राप्त होती है तो उसकी जांच करायी जाती है ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ इन्दिरा नगर कालोनी के ले आउट में खुले स्थल के रूप में छोड़े गये स्थल पर कथित कब्जे का प्रकरण

86–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी के भवन संख्या ए–1239 से ए–1239/2 के सामने आवास विकास परिषद द्वारा पार्क स्थल छोड़ा गया है ? यदि हां, तो पार्क की लम्बाई व चौड़ाई क्या है ? क्या उक्त पार्क में अवैध रूप से कुछ व्यक्तियों द्वारा

दुकानें बना कर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध निर्माण हटाकर पार्क का सुन्दरीकरण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

संदर्भित स्थल आवास एवं विकास परिषद् के ले-आउट में खुला स्थल के रूप में है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० में कर्मचारियों को स्थानान्तरण/निलम्बन के आदेश विषयक पत्र पर जांच

87–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के अन्तर्गत अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को मार्च 2001 से 30 अप्रैल 2001 के मध्य कितने कर्मचारियों को लखनऊ से स्थानान्तरण करने एवं निलम्बन करने के आदेश उनके द्वारा दिये गये थे ? क्या इस सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया विधायक का पत्र दिनांक 2-5-2001 जो कि मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव, उ० प्र० को सम्बोधित है प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मार्च, 2001 से 30 अप्रैल, 2001 के मध्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं निलम्बन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल विद्युत निगम को ऊर्जा मंत्री द्वारा कोई आदेश नहीं दिये गये थे ।

जी हां ।

संदर्भित पत्र पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० को जांच हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० आवास विकास परिषद् में सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय के पश्चात् 40 प्रतिशत लाभांश की लागू प्रक्रिया का औचित्य

88–श्री विद्या सागर गुप्ता–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में लागू व्यावसायिक सम्पत्तियों के क्रय-विक्रयं के पश्चात् 40 प्रतिशत लाभांश की प्रक्रिया शासन द्वारा समाप्त की जा चुकी है ? क्या उक्त लाभांश आवास विकास परिषद में अभी भी लागू हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी उक्त विरोधाभास को समाप्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् की सम्पत्ति के निस्तारण संबंधी विनियम 1980 (यथा संशोधित फरवरी, 1993) के नियम–16 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक सम्पत्तियों में बिकने के फलस्वरूप लाभ का 40 प्रतिशत लिया जाता है । आवास आयुक्त को सम्पत्ति के प्रस्तावित हस्तान्तरण के दिनांक पर बाजार भाव से सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य तथा उस स्वीकृत मूल्य जिस पर पहले सम्पत्ति प्रदिष्ट हुई थी, के अन्तर का 40 प्रतिशत प्रदेशन ग्रहीता से लेने के अधिकार होंगे, का भी प्राविधान है ।

प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है एवं गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेकर यथा समय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

बछावत/पालेकर आयोग की संस्तुति के अनुसार दैनिक समाचार-पत्रों के पत्रकारों को वेतन निर्गत करने की जानकारी

89–श्री प्रदीप कुमार–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमृत प्रभात, जनमोर्चा, स्वतंत्र चेतना, स्वतंत्र भारत एवं न्यायाधीश में कार्यरत पत्रकारों को बछावत/पालेकर आयोग की संस्तुति के अनुपालन में वेतनमान निर्गत किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, जनमोर्चा, स्वतंत्र चेतना, स्वतंत्र भारत एवं न्यायाधीश हिन्दी दैनिकों में कार्यरत पत्रकारों को बछावत/पालेकर आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतनमान दिया जा रहा है । अमृत प्रभात पत्रिका जिसके प्रतिष्ठान (इलाहाबाद पत्रिका) में बछावत/पालेकर आयोग की संस्तुति लागू नहीं की गई है ।

अमृत प्रभात पत्रिका के प्रतिष्ठान (इलाहाबाद पत्रिका) की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बछावत/पालेकर आयोग की संस्तुतियां लागू नहीं है ।

90–श्री हरदेव सिंह–

(6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के लखनऊ एवं फैजाबाद क्षेत्र में अलग-अलग हुए ब्रेक डाउन का विवरण

91–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत 1 जनवरी, 2000 से दिसम्बर, 2000 के मध्य लेसा लखनऊ, लखनऊ क्षेत्र एवं फैजाबाद क्षेत्र में कुल कितने अलग-अलग ब्रेक डाउन हुए ? ब्रेक डाउन के नाम पर उप खण्ड अधिकारियों द्वारा कब-कब कितने-कितने की टी०आई० खोली गयी ? क्या यह सत्य है कि ब्रेक डाउन को ठीक कराने का कार्य कर्मचारी करते हैं और पेमेन्ट ठेकेदार को किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

1 जनवरी, 2000 से दिसम्बर, 2000 के मध्य लेसा, लखनऊ, लखनऊ क्षेत्र एवं फैजाबाद क्षेत्र में अलग-अलग लगभग निम्न ब्रेक डाउन हुए :–

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	ब्रेक डाउन की संख्या
1	लेसा, लखनऊ	1611
2	लखनऊ क्षेत्र	2717
3	फैजाबाद क्षेत्र	32164

ब्रेक डाउन के नाम पर उपखण्ड अधिकारियों द्वारा कोई भी टी०आई० नहीं खोली गयी ।

जी नहीं ।

ठेकेदारों को केवल उनके द्वारा सम्पादित कार्यों का ही भुगतान किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जिलाधिकारी द्वारा सचिव हुसैनाबाद एण्ड एलाईड ट्रस्ट्स के पद पर की गई अवैध नियुक्ति की कार्यवाही की जानकारी

92–श्री राम औतार शाक्य–

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/ 36318 मैनपुरी/2000 सचिव, अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्राप्त हुआ है जो श्री नजमुल हसन जैदी की सचिव, हुसैनाबाद एण्ड एलाईड ट्रस्टस के पद पर जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा की गयी अवैध नियुक्ति से संबंधित है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गजनफर अली खां–

जी हां ।

कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम बुधवाना में विद्युत आपूर्ति के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

93–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-5-2000 जो ग्राम बुधवाना से मझौला विकास खण्ड जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से किये जाने के विषय में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

ग्राम बुधवाना से मझौला तक की लाईन के चोरी गये तारों को लगाने की कार्यवाही स्थानीय कृषकों के विरोध के कारण (खेतों में लगी फसल के नष्ट हो जाने से होने वाले नुकसान की संभावना) स्थगित कर दी गयी है। फसल के कट जाने के बाद उपरोक्त कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो आज की कार्यसूची में जो कार्यक्रम है नियमतः वह आज ही समय से हो जाना चाहिये। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मद संख्या–3 से 6 तक हैं उनके लिये आप दो मिनट का भी समय रख लें, मद संख्या–8 से 15 तक के लिये आप 5 मिनट का समय रख लें और मद संख्या–16 में, दस विभागों के बजट हैं और इन सबके लिये अगर आप एक-एक घन्टे का भी समय मान लें तो इसके लिये 10 घन्टे का समय हो गया और चार चर्चाएं हैं इनके लिये आप चार घन्टे का समय मान लें और कार्यस्थगन के प्रस्तावों का समय आप दो घन्टे मान लें, नियम–51 की 17 सूचनाएं हैं इनके लिये आप 17 मिनट का समय मान लें तो इस समय 12.25 मिनट हो रहे हैं। कम से कम मान्यवर, 17 घंटे का समय चाहिये यदि हम लगातार कार्य करते रहें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सदन का एक-एक मिनट का समय कीमती है और जो मदें आज की कार्यसूची में शामिल हैं वह नियमतः आज ही पूर्ण हो जानी चाहिये। इसलिये मान्यवर, तो इस तरह से इस व्यवस्था के आधार पर इसे पूर्ण करना संभव न होगा। श्रीमन् कृपया आप इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अर्न्तगत कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 4 सूचनाएं स्वीकार की गई।

श्रीमती मांया प्रसाद, श्री ओमकार सिंह, डा० अशोक बाजपेयी, श्री अरविन्द गिरि की सूचनाए पढ़ी हुई मानी जाती हैं। श्री सुधाकर सिंह की सूचना अस्वीकार की जाती हैं।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानीं गयीं।)

जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत तीन विकास खण्डों के कतिपय गांवों में भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अर्न्तगत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से मैं, अपने क्षेत्र की ज्वलन्त समस्या सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करती हूं।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र 71–श्रीनगर लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड नकहा में आने वाले गांव खैरीपुरवा जमुनिहा, विकास खण्ड फूलबेहड़ में खम्हरिया, फूलबेहड़, पसियन पुरवा तथा दुर्गापुर एवं विकास खण्ड बिजुआ में दाउदपुर तथा मूड़ा खुर्द आदि गांव जो भीषण अग्निकाण्ड के शिकार हुए हैं वहां के निवासियों का घरेलू सामान तथा मवेशी भी अग्निकाण्ड के शिकार हुए हैं कुछ परिवारों में पुत्र पुत्रियों के विवाह का सभी सामान जलकर नष्ट हो गया है कुछ गांववासियों को अपर्याप्त अहेतुक सहायता प्रदान की गयी है लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको किसी भी प्रकार की राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गयी है वहां की जनता में काफी आक्रोश है ।

अतः कृपया प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें ।]

जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्र में विद्युत समस्या का निदान कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में अपने क्षेत्र की विद्युत समस्या को लाना चाहता हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहसवान में विद्युत की बेहद समस्या है । चार-चार दिनों तक कस्बा सहसवान में बिजली की सप्लाई नहीं होती है, जो सप्लाई दी जाती है उसमें से भी कस्बा उद्धिमानी में व्यापारियों से सांठ-गांठ कर सहसवान की सप्लाई तो कम कर दिया जाता है कोई भी ट्रान्सफार्मर तीन-चार दिन से कम समय में नहीं बदला जाता है जिससे आये दिन जनता को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है । मेरे क्षेत्र में विधायक कोटे से विद्युतीकरण करवाये गये गांवों में कार्य विभाग द्वारा बनाये गये प्राक्कलन के आधार पर नहीं किया गया है । प्राक्कलन के विपरीत तार एवं खम्भे अधिक मात्रा में कम लगाये गये हैं । बार-बार शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं होती कुछ गांव घोसली, होतीपुर, देवलपुर आदि में 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया लेकिन ट्रांसफार्मर अब तक नहीं लगाये गये हैं, जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा जनता आन्दोलित है ।

मान्यवर, कुछ गांव तो ऐसे हैं जिसमें विभाग द्वारा कागजों पर विद्युतीकरण दर्शा दिया गया है, लेकिन मौके पर कोई भी कार्य विद्युत संबंधी हुआ ही नहीं है जैसे समतपुर, हिण्डोल आदि कुछ गांवों में चार-चार साल से खम्भों पर तार नहीं है । मुजरिया भीकमपुर, जिझाट आदि मान्यवर मैं इस विषय को आपके संज्ञान में इसलिये लाना आवश्यक समझता हूं कि ताकि उपरोक्त सभी तथ्यों की जांच करवाने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी जाय तथा क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिये क्षेत्र में दो नये विद्युत सब स्टेशन ग्राम मड़िकावली व नाधा में खोलने की संस्तुति प्रदान की जाय । मान्यवर, यह मानव जीवन से जुड़ा प्रकरण है इस पर शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं ।]

गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ के निदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० अशोक बाजपेयी–

[मान्यवर, खेल विभाग के अधीनस्थ गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में ऐसे निदेशक/प्रधानाचार्य कार्यरत हैं जो शासनादेशों, सरकारी नियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं । ऐसे अपात्र व्यक्ति भी जो प्रधानाचार्य के पद न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं उन पदों पर कार्य कर रहे

[illegible] यह अंश पढ़ा हुआ माना जायेगा

हैं । आज खेल विभाग में जंगलराज की स्थिति कायम हो गयी है । मान्यवर, इससे खिलाड़ियों का मनोबल गिर रहा है । खेल विभाग में ही कार्यरत कई प्रधानाचार्य के खिलाफ वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं करने की शिकायत मा० मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हो चुकी है और उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जांच के आदेश भी दिये किन्तु उक्त प्रधानाचार्य की राजनैतिक/प्रशासनिक "पहुंच" के नाते जांच अधिकारी ने भी जांच करने में असमर्थता प्रकट कर दी ।

अतः लोक हित के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से अपेक्षा करता हूं कि उक्त निदेशक/प्रधानाचार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकरननाथ में गोला बाई पास एवं अलीगंज रोड रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरविन्द गिरि–

[महोदय, अनुरोध है कि गोलागोकरन नाथ जनपद लखीमपुर खीरी का प्रमुख एवं ऐतिहासिक नगर है । विगत 20-20 वर्षों से गोला बाईपास एवं अलीगंज रोड रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की मांग होती आयी है ।

सन् 1995-96 में गोला बाईपास से कुटार रोड मोहम्मदी रोड को जोड़ती हुई लखीमपुर रोड तक बाईपास है भूमि का अधिग्रहण किया गया, और लोक निर्माण विभाग द्वारा ही लाखों रुपये व्यय करके मिट्टी का कार्य कराया गया । इसके बाद किन्हीं कारणों से कार्य बन्द करा दिया गया जबकि जनहित में अति आवश्यक कार्य था । साथ ही साथ अलीगंज रोड रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की स्वीकृत हेतु शासन का स्टीमेट आदि प्रस्तुत किये गये थे किन्तु वह भी अधर में लटका हुआ है ।

मान्यवर, नगर गोला गोकरन नाथ में गोला बाईपास व ओवर ब्रिज जनहित में अति आवश्यक है । कृपया लोक निर्माण विभाग को निर्देशित कर उक्त दोनों कार्यों को कराने का कष्ट करें एवं जनहित के इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें ।]

सत्र के दौरान जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीतिगत घोषणाएं सदन से बाहर किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25-5-2001 को नियम–300 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण के बारे में एक संकल्प सदन में आया था और माननीय सदस्यों ने इस पर सुझाव दिये थे कि क्या इस संबंध में सरकार कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है, क्योंकि वर्तमान कानून सक्षम नहीं है । लेकिन कल मुजफ्फरनगर में परिवार कल्याण मंत्री जी ने घोषणा की है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर शीघ्र विधेयक ला रही है । 1 मई को असरकारी संकल्प पर इस सदन में चर्चा हुई थी आप प्रोसीडिंग दिखवा लें । माननीय मंत्री जी ने कहा था कि किसी नये कानून की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक हफ्ते के भीतर सत्र के चलते हुए अन्य जनपद में माननीय

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि कानून बनाया जायेगा । जब सदन चल रहा है तो कानून के संबंध में सदन में घोषणा करनी चाहिये । आज भी समाचार पत्रों में छपा है कि प्रदेश की जनसंख्या 25 प्रतिशत बढ़ी है और राजस्थान की 27 प्रतिशत बढ़ी है यह चिन्ता का विषय है । मैं इस पर आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, ऐसा बयान आपको कहां मिल गया ? माननीय मंत्री जी ने यहां पर विस्तार से अपना उत्तर दिया था । बाजपेयी जी इसको कहां से ले आये ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, कृपा करके आप इस पर व्यवस्था सुरक्षित रख लें जब माननीय मंत्री जी शहर में आ जायें तो उनसे पूछ लें और आप संतुष्ट हो जायें तो व्यवस्था दे दें । इस स्वेच्छाचारिता पर कहां तक अंकुश लगना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष-

हो सकता है कि आपके विचार नये लग रहे हों और चर्चा के दौरान जो माननीय सदस्यों के विचार हों उनसे ज्ञान प्राप्त करके ऐसा किया हो और पुनर्विचार कर लिया होगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस व्यवस्था को प्राप्त करने में मुझे कोई शीघ्रता नहीं है आप कार्यवाही को दिखवा लें माननीय मंत्री जी आ जाये आप उनसे वार्ता कर लें । सदन के नियमों और परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है जो नहीं होना चाहिये । मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । आप सदन के अधिकारों के रक्षक हैं । इस बीच कोई ऐसी घटना नहीं घट गई कि घोषणा करने की जरुरत पड़ गयी ।

श्री अध्यक्ष–

यह एक संस्थापित प्रक्रिया है कि नीतिगत घोषणायें अधिवेशन के दौरान सदन में ही की जानी चाहिये ।

श्री रामवीर उपाध्याय स० वि० सभा को प्राप्त गनर न हटाये जाने तथा उनकी पत्नी को भी सुरक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से जो भी निर्देश होते हैं उसको सरकार आदेश मानकर 'शिरोधार्य करती है । माननीय रामवीर उपाध्याय जी से संबंधित यह मामला है । वह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी मिले थे । आपसे भी सम्पर्क किया था । उनको हाईकोर्ट के आदेश के तहत सुरक्षा मिली हुयी थी, रामवीर उपाध्याय की सुरक्षा को हटाया गया है । वह प्रमुख सचिव गृह से मिले थे उन्होंने इस संबंध में इंकार कर दिया कि वह नहीं दे सकते हैं । माननीय सदस्य की जान को खतरा है । जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे उस समय यह प्रकरण आया था इनको 2 अतिरिक्त गनर मिले थे । इनकी पत्नी जिला पंचायत हाथरस की अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सुरक्षा के लिये लिखकर दिया लेकिन उनको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुरक्षा नहीं दी गयी । आपकी पीठ से निर्देश दिया गया है और आप हमारे हितों के संरक्षक हैं । हम यहां नहीं कहेंगे तो फिर कहां कहेंगे ? रामवीर उपाध्याय जी की जान को खतरा है । मान्यवर, जब यह विधायक नहीं थे तब भी इनको सुरक्षा दी गयी थी । हत्यारों ने इन पर आक्रमण किया था हत्या करने के लिये इसलिये मैं चाहूंगा कि इनको अतिरिक्त सुरक्षा मिले इस पर आप निर्देश देने की कृपा करें ।

* संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो जानकारी है उसके अनुसार शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः पालन किया गया है । पुलिस अधीक्षक द्वारा भेट प्रोटेक्शन का आकलन करते हुए सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है । माननीय विधायक की बात सही है । 2-3 बार उनसे भेंट हुयी लेकिन मैं कोई बात अभी तक नहीं कर सका ।

श्री अध्यक्ष–

आज बात कर लीजिये ।

* श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, 27-11-93 को मेरे ऊपर जानलेवा, हमला हुआ और एक आदमी जो मेरे साथ था उसकी हत्या हो गयी । मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया था । 1998 में जब माननीय कल्याण सिंह जी थे उन्होंने जानबूझकर जो सुरक्षा दी थी उसको हटा दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो आप बता रहे हैं यह सब प्रतिलिपि में लिखा हुआ है ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मैं कल प्रमुख सचिव गृह से मिला था उन्होंने साफ इन्कार कर दिया उन्होंने कहा कि ला डिपार्टमेंट को भेजते हैं । मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश के सबसे विद्वान अधिवक्ता हैं आपका निर्णय हमें मंजूर है हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि दो गनर सरकारी फीस पर मुझे दिये जायें उसमें से एक वापस ले लिया ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि वह आज बात कर लेंगे । कल लखनऊ में न रहने के कारण वह बात नहीं कर सके । आप एक दिन की प्रतीक्षा कर लीजिये । आज रात तक मंत्री जी से सम्पर्क कर लें ।

बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

अगली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह व डा० अशोक बाजपेयी की है ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह सूचना मैंने इसलिये दी ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो ।

श्री अध्यक्ष–

आज कार्यसूची में बहुत सी मदें हैं । समय कम है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, कई बार स्पष्ट रूप से विधान सभा में इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया आपने भी अपेक्षा की थी कि साहित्य 48 घंटे पहले बट जायेगा साहित्य बांटने के लिये नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है जिससे सदस्य तैयारी कर सकें और वाद विवाद में ठीक ढंग से भाग ले सकें। इस पर एक बार नहीं कई बार आपने निदेश दिया है लेकिन उनका पालन होता नहीं है। यहां तक कि बजट आज होना है एक घंटा पहले उसका साहित्य मिलता है उससे क्या फायदा ? बहुत से डिपार्टमेंट जैसे ऊर्जा विभाग जब राज्य विद्युत परिषद् विखण्डित नहीं हुआ था तो पूरा परफार्मेन्स आता था जब से विखण्डित हो गया है एक छोटी सी पुस्तिका केवल उत्तर प्रदेश की उसमें आती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरह के विभाग जो हैं उनसे भी कहें कि पूरे साहित्य दिया करें व 48 घंटे पहले साहित्य उपलब्ध कराएं व इसके लिये जो उत्तरदायी हों विभाग के विभागाध्यक्ष हों या कोई भी हों उनके खिलाफ भर्त्सना की जाए निन्दा प्रविष्टि दी जाए ताकि सही समय पर आगे से साहित्य मिल सके और सार्थक ढंग से यहां वाद विवाद हो सके। यह प्रश्न सदन के सभी सदस्यों से जुड़ा हुआ है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के ग्यारहवें संस्करण के निर्देश संख्या 158(1) को देखें। विधान सभा के सदस्यों में वितरण हेतु जो साहित्य भेजा जाए उसकी 600 प्रतियां हिन्दी में आनी चाहिये। यदि वही साहित्य अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता है तो हिन्दी की प्रतियों के अतिरिक्त 250 प्रतियां अंग्रेजी में भी भेजी जाएं। सरकारी विभागों को वह साहित्य जिस पर सदन को विचार करना है कम से कम 4 दिवस पूर्व विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज देना चाहिये। सदन में कोई भी पत्र अध्यक्ष की आज्ञा के बिना सदस्यों को वितरित नहीं किया जाएगा।

इसी तरह से अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन के पृष्ठ 50 को देखें जिसमें साहित्य के संबंध में अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गई थी यह प्रश्न अध्यक्ष के सामने लाया गया कि बजट साहित्य समय पर वितरित किया जाना चाहिये। 8 अप्रैल, 1995 में श्री जगदीश शरण अग्रवाल स्वायत्त शासन मंत्री जब अपने विभाग की अनुदान मांगें प्रस्तुत करने जा रहे थे उस पर श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने आपत्ति उठा दी कि विभाग के क्रिया कलाप से सम्बन्धित साहित्य साढ़े 10 बजे तक नहीं मिला इस पर अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था हुई कि साहित्य कम से कम एक दिन पहले मिलना चाहिये क्योंकि सदस्यगण उसका उपयोग उसी दिन अगर न मिले तो नहीं कर सकते मैं समझता हूं कि इस बात का ख्याल सभी विभागों के मंत्रियों को रखना चाहिये। मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इस पीठ द्वारा समय-समय पर अनेक बार ऐसे निर्देश दिये गये लेकिन जो यह परम्परा बनती चली जा रही है ठीक नहीं है। इस पीठ द्वारा निर्देश दिये जाते हैं लेकिन सरकार उनके प्रति उदासीन होती जा रही है। प्रतिदिन व्यवस्था के प्रश्न के रूप में यह सवाल उठाया जाता रहा है। अगर बजट साहित्य 48 घंटे पहले मिल जाय तो हम उसका अध्ययन कर सकते हैं कि किस योजनागत मद में कितना धन गया है आया है और कहां क्या विकास कार्य हुआ है कहां नहीं किया गया है। बजट गूढ़ साहित्य है जिसका तत्समय अध्ययन उसकी विवेचना नहीं की जा सकती है। कृपया कड़ाई के साथ शासन को निर्देशित करें। बजट ही नहीं अन्य विधेयकों का साहित्य भी समय से पूर्व मिल जाय और यदि समय से साहित्य उपलब्ध न हो सके तो कृपया बजट प्रस्तुत होने की अनुमति न दें।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह सही है और यह प्रकरण कई बार उठा है । आज जितने भी अनुदान लगे हुए हैं मैं सभी के संबंध में प्रमुख सचिव संसदीय कार्य से अनुरोध कर लूंगा वे परीक्षण करा लेंगे कितने कितने अनुदानों में साहित्य नहीं आया है और जिन विभागों द्वारा साहित्य देर से भेजा जाता है उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के आश्वासन के उपरान्त मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । चौथी सूचना श्री कैलाश सिंह राजपूत और श्री चन्द्रेश पासवान की है यह नियम–300 में नहीं आती है और पांचवीं सूचना श्री मतेश चन्द्र सोनकर की किसी श्रीमती सक्सेना की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जाना, यह भी नियम–300 में नहीं आती । अब मद संख्या–3, 4, 5, 6 में कुछ नहीं है ।

जनपद वाराणसी में बावतपुर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में किसानों का उत्पीड़न किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शासन से स्पष्टीकरण की मांग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7 कार्य-स्थगन से पहले नेता प्रतिपक्ष ने जो बात उठाई है उसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ..

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैंने प्रमुख सचिव गृह से अनुरोध किया है, सूचना अभी दो चार मिनट में आने वाली है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । इंतजार कर लें ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

ऐसा है जो कल कार्य-स्थगन बल्कि 311 में चर्चा की मांग की थी उसमें उत्तर संसदीय कार्य मंत्री का आया है मैं चाहता हूं कि उसमें दो तीन बाते एड करते हुए पूछ लें और हमारे कुंवर रेवती साहब, बाजपेई जी और अम्बिका जी ने जो नोटिस दिया उसको संदर्भित करते हुए बातों को सुना जाय और उत्तर आ जाय । दो प्रश्न और जोड़ना चाहता हूं । एक तो यह कि एस०डी०एम० को लाइसेंसी रिवाल्वर कहां से कब और क्यों मिली दूसरी बात अभी तक रिपोर्ट जो दर्ज नहीं की गई तो क्या रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सदन में घोषणा होगी और क्या सभी घायलों को जो इस वक्त अस्पताल में मौत जिन्दगी से जूझ रहे हैं गोलियां नहीं निकली हैं हाथ पैर टूट गये हैं इन सबको एक-एक लाख रुपया इलाज के लिए दिया जायेगा और उस मेवालाल को 10 लाख रुपया दिया जायगा और जिस दिन वह दाह-संस्कार हो रहा था उस समय उसकी एक पड़िया को दूध पानी नहीं दिया जा सका जिससे वह मर गई । श्रीमन्, वह भी मर गई । श्रीमन्, क्या उस पड़िया के लिये जो हर्जाना है, वह हर्जाना भी उसको मिलेगा ? एक बात मैंने कल भी कही थी और मान्यवर, आज भी कह रहा हूं कि वह बाउन्ड्री वाल ज्यादा ऊंची नहीं है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

। इस बाउन्ड्री वाल के ऊपर ही ईंट जानबूझकर निकाल दी है जिससे यह कह दिया जाय कि यह लोग बाउन्ड्री को गिरा रहे थे, इसलिये गोली चलानी पड़ी जब बाउन्ड्री गिराई जाती है तो उसको धक्का दिया जाता है हल्के से और बाउन्ड्री टूट जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी आदमी को वहां भेजिये । मैं तो सबसे कमजोर व्यक्ति जो 72 साल का होगा, क्या गिरायेगा ? एक धक्के में वह बाउन्ड्री न गिर जाय तो श्रीमन् जो हर्जाना आप चाहें ले लीजियेगा । केवल एक बहाना बना रहे है । इतनी घटिया थर्ड क्लास की ईंट उसमें लगाई गई । 10-11 का नहीं 10–16 का मसाला लगाया गया और उसको जल्दी-जल्दी इसलिये बना रहे थे कि 2 करोड़ रुपया जो मिला है उसको मिल बांट कर साफ कर लिया जाय । मान्यवर, यह उत्तर आ जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया ? ऊपर के खाने की 15-16 ईंट और दूसरा थोड़ा सा हटकर 40–45 ईंट जानबूझकर प्रशासन के लोगों ने बहाना बनाने के लिए तोड़ने का काम किया है । मान्यवर, इसमें कुंवर साहब और बाजपेयी जी को भी थोड़ा सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

फिर तो यह चर्चा हो जायेगी ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हम लोग चर्चा नहीं करेंगे । कल जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में कहा है उसके बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस सदन में कहा है कि शासन के स्पष्ट निर्देश थे कि 80 प्रतिशत धन वितरित करने के बाद ही काम शुरू किया जा सकेगा । शासन ने 1 करोड़ 60 लाख रुपये इसके लिये दे भी दिये थे वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिशट्रेशन को । केवल 4 करोड़ 9 लाख रुपये उस अधिग्रहीत भूमि के लिये देना था । जब यह तय था कि 80 प्रतिशत धन देने के बाद काम शुरू किया जायेगा तो ऐसी कौन सी जल्दी पड़ गई कि बिना धन वितरित किये उन किसानों को, वहां पर जल्दी-जल्दी अफरा-तफरी में काम शुरू कर दिया जिस वजह से वहां पर गोली भी चलाई गई । आपने निर्दोष किसानों का उत्पीड़न करने का काम किया है । जिला प्रशासन चाहता तब गोली चलती ।

[इस समय 12 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।]

एक बार नहीं अनेकों बार वहां के किसानों ने जिलाधिकारी से और सम्बन्धित अन्य अधिकारियों से बार-बार अपनी दर्खास्त के द्वारा यह निवेदन किया कि हमको धन मिल जाय उसके बाद आप काम करें । इसमें क्या परेशानी थी ? तीसरी बात यह है कि बाजार भाव से वे उसका मूल्य मांग रहे थे जबकि जिला प्रशासन बाजार भाव के मूल्य नहीं दे रहा था । इस बी०जे०पी० सरकार की 'फैक्ट फाईडिंग कमेटी' वहां गई थी उसने लिखकर भेजा है कि वहां के जिलाधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं । जब यह तय हो गया है कि जिला प्रशासन की अदूरदर्शिता के कारण यह घटना हुई तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही की गई ? विधान सभा की एक संयुक्त समिति भेजकर जांच कराते । कमिश्नर और कोई भी अधिकारी क्या जांच करेगा ? श्रीमन्, यह बिन्दु ऐसे हैं जिनका सदन में जवाब आना नितान्त आवश्यक है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। आज सबसे गम्भीर और चिन्ता का विषय है जिस तरह से निर्दोष और निरीह किसानों पर गोली चली, मेवालाल की मृत्यु हो गई, 50 से अधिक किसान घायल हो गए, हम जानना चाहते हैं आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि प्रशासन ने जल्दबाजी में और जिस गैर जिम्मेदाराना ढंग से निर्दोष किसानों पर गोली चलाई, यह कहा गया कि वहां के किसान बाउन्ड्री वाल गिरा रहे थे अगर किसानों ने बाउन्ड्री वाल गिराई तो आप किसी अधिकारी से वहां जांच करा लें, अगर किसान सामूहिक रूप से बाउन्ड्री वाल गिराते तो वह पूरी गिर जाती लेकिन उस बाउन्ड्री वाल में से बीच-बीच से कहीं-कहीं एक-एक ईंट निकाली गई है अधिकारियों ने कहा किसान बाउन्ड्री वाल गिरा रहे थे वह बाउन्ड्री वाल नहीं गिरा रहे थे वह तो चाहते थे कि उनकी जमीन जो ली गई है उसका भुगतान हो जाए। दूसरी बात उस बाउन्ड्री वाल को बनाने से 3-4 गांव का रास्ता अवरुद्ध हो रहा था वहां अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना था तो ग्रामीणों के आवागमन का दायित्व निर्धारित करते। पहले वहां जाकर देखना चाहिए था कि क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। श्रीमन्, अब उन ग्रामीणों पर बयान बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जो जांच आई है उसके अनुसार बयान दें। तीन दिन से लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है नेता विरोधी दल स्वयं वहां निरीक्षण करके आए हैं, अधिष्ठाता महोदय आप विद्वान व्यक्ति हैं प्रशासन दोषी है तो कमिश्नर निष्पक्ष जांच कैसे करेगा ? सदन की मांग है कि आप सदन की समिति बना दें जो इसमें जांच करे कल से दो दिन का अवकाश है वह कमेटी जाकर स्थल निरीक्षण करके लोगों से बातचीत करके एक सम्यक् रिपोर्ट प्रस्तुत करे। वहां कमिश्नर निष्पक्ष जांच नहीं कर पायेंगे जो प्रशासनिक अधिकारी दोषी हैं उनको अभियुक्त नहीं बना पायेंगे एक छोटा सा अनुरोध है नेता विरोधी दल ने मांग की है दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाए। जिन अधिकारियों ने सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाने का काम किया, जिनको गोली चलाने का अधिकार नहीं था और उन्होंने गोली चलाई उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाए। अगर प्रशासन बाउन्ड्री वाल बनाने पर विचार कर रहा था तो पहले स्थितियों का जायजा लेना चाहिए था तो ऐसी परिस्थिति न आती। अगर ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे थे तो कुछ दिन काम रोककर, उनके भुगतान के बाद निर्माण कराते इस मामले में पूरा प्रशासन दोषी है, सरकार कटघरे में खड़ी है, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए यह पहली बार किसान पर गोली नहीं चली जब से यह सरकार बनी है इसने लाचार किसानों पर गोली चलाने का काम किया है चाहे वह बबराला के किसान हों, चाहे वह रामकोला के किसान हों जब उन्होंने अपने गन्ने के भुगतान की बात की तो उन पर गोली चलवाई गई। गीडा के किसानों ने पैसे की मांग की तो उन पर सरकार ने गोली चलवाई। इस सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं। यह जो काण्ड हुआ है इसमें जांच सदन की सर्वदलीय समिति से कराने का कष्ट करें।

* श्री अम्बिका चौधरी–

दो मिनट मुझे भी सुन लें, मैंने अनुरोध किया था मेरे हस्ताक्षर नोटिस में हैं।

श्री अधिष्ठाता–

दो माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस प्रकरण पर, जिस पर बड़े विस्तार से चर्चा हो चुकी है, सरकार तथ्यों को स्वीकार नहीं करना चाहती है, तोड़-मरोड़ कर दूसरी तस्वीर सरकार प्रस्तुत करना चाहती है। मान्यवर, नेता विरोधी दल ने आदेश दिए हैं मुझे भाषण नहीं देना है दो-तीन प्रश्नों के उत्तर आ जाते तो नियम–311 में हमने और नेता विरोधी दल ने जो सूचना दी है वह देने की आवश्यकता नहीं थी मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पहले दिन यह कहा कि रिवाल्वर से गोली चली और यह स्वीकार किया कि मेवालाल की हत्या हुई, एस०डी०एम० द्वारा जो गोली चलायी गयी थी। अन्य लोगों को भी गोली लगी है और वह घायल हैं इसको भी सरकार ने स्वीकार किया है और उनका उपचार बनारस के नर्सिंग होम में चल रहा है। मान्यवर, क्या सभी लोगों को एस०डी०एम० की गोली लगी और क्या मेवालाल की हत्या होने के बाद उनकी गोलियां चलनी बन्द हो गयीं ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उनको रिवाल्वर दी गयी वह मालखाने से दी गयी होगी तो वह किस मालखाने से दी गयी इसकी सूचना नहीं आयी है। सदर मालखाने से दी गयी या पुलिस का मालखाना भी होता है उससे दी गयी। अगर वहां से दी गयी है तो जी०डी० में इसकी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए तो क्या वह रिपोर्ट दर्ज है और उसका नम्बर क्या है और समय क्या है यह बताने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा वह यह है कि इसके पूर्व भी एस०डी०एम० महोदय प्रशासनिक ड्यूटी में जाते रहे होंगे, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो इसके पूर्व कितने अवसरों पर उनको और कब-कब रिवाल्वर मालखाने से दी जाती रही है ? मान्यवर, एक भ्रामक स्थिति और हो गयी है उसके बारे में भी जानना चाहूंगा। मान्यवर, 22 तारीख को यह पहली बार चर्चा हुई थी। उसकी असंशोधित कार्यवाही के पृष्ठ–57 पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि "माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली मीटिंग में गये हैं फिर भी उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री सिंह को निर्देश दिया कि बनारस जायें और जो मृतक परिवार हैं, जो परिवार घायल हैं उनको सान्तवना दें उनके उपचार की व्यवस्था करें" यह है हमारी संवेदनशीलता। अगले दिन उन्होंने कहा कि चूंकि वह वहीं थी इसलिए चली गयीं, उनको भेज दिया जबकि सच्चाई यह है कि दो गाड़ियां यहां से गयीं जिसमें वे थीं। मैंने उसी दिन यह बात कही थी पुनः दोहराना चाहता हूं कि पांच-पांच मंत्री आपके उस इलाके के हैं आपको अपने मंत्रि-परिषद् में विश्वास नहीं है। पत्नी को आपने यहां से भेजा है। मान्यवर, जो भी धनराशि इत्यादि दी गयी है वह उन्हीं के माध्यम से दी है। डी०आई०जी०, कमिश्नर, कलेक्टर इन लोगों का पूरा काफिला को लेकर जाने का काम किया है। मंत्रि-परिषद् के साथियों में आपका विश्वास नहीं रहा है। पत्नी, साले और बेटे सरकारी राज काज चलाने का काम कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि चूंकि वहीं थीं इसलिए संवेदना में चली गयीं। 22 तारीख को उन्होंने जो कहा है और मैंने उसको अभी उद्धृत भी किया है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि पहले दिन प्रत्येक माननीय सदस्य ने यह मांग की थी कि संयुक्त समिति को भेज दिया जाय। आप चाहें तो काउन्सिल और लेजिस्लेटिव असम्बेली को मिलाकर एक संयुक्त समिति को भेज दें मान्यवर, न चाहें तो संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हम चलने को तैयार हैं। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का तो इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रहा न वे विश्वास रखते हैं इसलिए संयुक्त समिति बना दी जाये और उसमें सत्तारूढ़ दल के हरीश जी और हुकुम सिंह जी और विपक्ष के सदस्य वहां चल दें और तथ्य ले आयें। मान्यवर माननीय नेता विरोधी दल वहां स्वयं गये और समाजवादी पार्टी के लोग गये। भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय केशो मेहरा जी यहां नहीं हैं और जो भी विधायक वहां गये छान-बीन किये और बताया कि अधिकारियों की ज्यादती है वे इस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं उनको दण्डित किया जाय

चाहिए । मान्यवर सत्तारूढ़ दल के विधायक की छान-बीन में और माननीय नेता विरोधी दल और दूसरे लोगों की छान-बीन में यह बात आती है तो फिर आधिकारिक तौर पर एक समिति गठित करने में इस सरकार को ऐतराज क्यों है यह सरकार हत्यारे अधिकारियों को बचाने में मजबूती से क्यों लगी हुई है ? मान्यवर, सरकार अपने इस आचरण से बाज आये और जो अपराधी हैं उनको दण्डित कराने में जो हमारी मांग है उसको स्वीकार करे । सरकार यह घोषणा करे कि अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं या रिपोर्ट दर्ज हो गयी है, मान्यवर, एक निर्दोष किसान अपनी जमीन की हिफाजत के लिए खड़ा था उनकी हत्या करने का काम किया गया बाकी लोगों को घायल करने का काम किया गया तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का काम यह सरकार करे । मान्यवर, जो सूचना नियम–311 में दी गयी है उस पर बल देते हुए चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है और जिस प्रश्न को लेकर के माननीय नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं हुए थे मैं वहीं से शुरू करता हूं । मान्यवर, यह आपने रिवाल्वर की बात कही कि कब ये इशू की गयी और क्यों की गयी ? यह मान्यवर, 17-3-2001 को जिलाधिकारी, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र दिया गया रिवाल्वर इशू कराने के लिए जिलाधिकारी, वाराणसी ने नजारत माल खाने से दिनांक 4-4-2001 को एक रिवाल्वर बेवर स्काट जिसका बोर .32 है संख्या ए–59355 श्री राकेश कुमार मिश्रा को जनपद वाराणसी में उनकी तैनाती तक की अवधि के लिए जारी किया गया । जारी इसलिए किया गया कि उससे पहले कानपुर में एक घटना हो गयी थी जहां पर एक ए०डी०एम० पर प्राणघातक हमला हुआ था और उसकी मृत्यु हो गयी थी उसके बाद एक नीति बनी और स्थानीय स्तर पर नीति बनी कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने दायित्व निर्वहन के लिए कोई प्रार्थना-पत्र देता है तो सरकारी मालखाने में जमा हथियारों में से कोई हथियार इशू कराना चाहता है तो उसकी उपलब्धता को देखते हुए विचार किया जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

रिपोर्ट की बात मुख्य है जो रिपोर्ट दर्ज हुई ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय रेवती रमण सिंह जी ने एक मौलिक प्रश्न यह उठाया था कि 80 प्रतिशत धन देने की बात थी तो धन देने से पहले निर्माण कार्य क्यों शुरू किया गया ? मान्यवर, निर्माण कार्य 80 प्रतिशत मुआवजा देने के बाद शुरू किया गया ।

श्री धनीराम वर्मा–

यह पूर्णतया असत्य है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक करोड़ पच्चीस लाख यह 80 प्रतिशत बैठता था वह अदा करने के बाद ही .....

श्री धनीराम वर्मा–

मैंने कल राजदेही, रामपति आदि का उल्लेख किया था क्या इनको जमीन का मुआवजा मिला ? क्या स्थानीय कीमत के हिसाब से 80 प्रतिशत मिलता है या परता रेट से मिला है ?

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल यह जानना चाहते हैं कि जो स्थानीय रेट था उस पर 80 प्रतिशत धन दे दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वहां पर सर्किल रेट पर असिस्मेन्ट तय किया गया था उसका 80 प्रतिशत मिल गया उसके बाद किसानों ने यह मांग की कि जो बाजार भाव है उसके हिसाब से मिलना चाहिए तो शासन ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि किसानों से बात करिये उसके बाद किसानों से बात हुई और एक समझौता हो गया और उसके बाद रिपोर्ट भेजी गयी कि बाजार भाव यह है इसके ऊपर किसान सहमत हैं, इसके ऊपर मुआवजा दिया जाये । 18-5-2001 को प्रमुख सचिव उड्डयन विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई, शासन स्तर पर तय हो गया कि बाजार भाव से मुआवजा दिया जाय ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, इसकी बात से स्पष्ट है कि किसान बाजार भाव से संतुष्ट थे ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले सारी बात कह लेने दीजिए ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आपके जवाब से स्पष्ट हो गया कि किसान इस बात से संतुष्ट थे कि बाजार भाव जो स्थानीय रेट है उस रेट पर संतुष्ट हो गये तो क्या स्थानीय बाजार भाव से 80 प्रतिशत दे दिया गया, यह बात आ जानी चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वह भी आ जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर इस प्रकार से प्रत्येक उत्तर पर तत्काल शंका की जायेगी और तत्काल उत्तर चाहेंगे तो कठिनाई आयेगी । अपनी आप सूची बनाते चलें और एक साथ पूछ लें उत्तर आ जायेगा । अगर एक-एक उत्तर पर शंका करेंगे तो यह वालीबाल की तरह चलता रहेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो समझौता किसानों और जिलाधिकारी के बीच हुआ था यह समझौता 30 अप्रैल, 2001 को हुआ था और वह रिपोर्ट यहां पर भेज दी गयी थी । निर्माण कार्य समझौता होने के बाद शुरू हुआ ।

मान्यवर, पैसे तो इससे पहले बांट दिये गये पहले जो सर्किल रेट था, असिस्मेन्ट था, मान्यवर यह मैं बता दूं कि एक होता है असिस्मेन्ट जिसमें एस०एल०ओ० होता है वह अपनी असिस्मेन्ट करता है कि यह मुआवजा बैठेगा । जो वहां का सर्किल रेट होता है उसको आधार मानकर, कि यह होता है उसका 80 प्रतिशत बांट दिया गया । किसानों ने मांग की कि बाजार भाव से मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों पर स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया की बात करिये । समझौता होने के बाद जब यह आश्वस्त कर दिया गया कि यह प्रकरण शासन को संदर्भित कर रहे हैं शासन इस पर निर्णय कर सकता है शासन में उन्होंने भेजा, 18-5-2001 को शासन स्तर पर निर्णय हो गया ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान ।)

श्री धनीराम वर्मा–

यह रिपोर्ट गलत है ।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, उनके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें रास्ते के बारे में आपने कहा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, इसकी यह रिपोर्ट गलत है ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सारे सदन को ब्लैकमेल करना चाहते हैं केवल अपनी न्यूसेन्स वैलू के अनुसार सारे सदन को ब्लैकमेल करना चाहते है कई दिनों से इन्होंने सारे सदन का समय बर्बाद किया है ।

(व्यवधान)

ग्राम विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं है । (व्यवधान) (समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आसन गृहण करें ।

(शोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जब तक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की घोषणा नहीं करते हैं, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे ।

(सदन के फ्लोर से कुछ सदस्यों द्वारा बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

उत्तेजना में जो कुछ कहा जा रहा है, उसे अंकित न करने का निदेश देता हूं । कृपया उत्तेजित होकर कोई बात न कहें ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्यों के वापस न जाने और नारेबाजी करते रहने पर)-

मैं सदन को 2 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 14 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री धनीराम वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि जो एक किसान की हत्या हुई है और कई घायल हुए हैं, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने की घोषणा सदन में हो जाए । सर्विस रिवाल्वर

कहां से आयी, इसमें हेरा-फेरी हो सकती है लेकिन एक बात है कि डी० जे० पी० का शिष्ट मण्डल भी गया था, केशो मेहरा जी भी गये थे और अखबारों में भी छपा है कि इसमें अधिकारियों की गलती है। इससे ज्यादा किसानों के लिए दुःखद पहलू क्या हो सकता कि रिपोर्ट भी दर्ज न हो, अन्य उत्तर आयें इससे पहले रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सरकार घोषणा करे।

श्री हुकुम सिंह–

मैं मान्यवर, स्पष्ट कर चुका हूं कि कमिश्नर की जांच के बाद ही इस पर कोई निर्णय हो सकेगा।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य खड़े होकर जोर-जोर से बोलते रहे जिससे सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह सरकार हत्यारों को बचा रही है, यह सरकार किसानों की हत्या पर अमादा ही नहीं है, शामिल है। एस० डी० एम० वहां सीधा-सीधा किसान की हत्या करता है और उसको बचाने का कार्य यह सरकार कर रही है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए वेल में आ गये।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें। लोकतंत्र की कुछ मर्यादाएं और परम्पराएं हैं। आपने अपनी बात कह ली ...

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, लेकिन यह बड़े शर्म की बात है, यह किसान विरोधी सरकार है.....

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

नेता विरोधी दल की कुर्सी खतरे में है इसलिए वह सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं...

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह, नेता विरोधी दल तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुन के बाद मैं 311 की इस सूचना को निरस्त करता हूं।

(वेल में आये हुये सदस्य नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान/शोर जारी रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीवन अनाशित कूड़ा, कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2001†

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीवन अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीवन अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीवन अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में उत्पीड़न (रैगिंग) का प्रतिषेध विधेयक, 2001

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में उत्पीड़न (रैगिंग) का प्रतिषेध विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में उत्पीड़न (रैगिंग) का प्रतिषेध विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में उत्पीड़न (रैगिंग) का प्रतिषेध विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा, कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण का स्थगन

उत्तर प्रदेश उच्चतर एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में उत्पीड़न (रैगिंग) का प्रतिषेध विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–12, 13, 14 एवं 15 को स्थगित किया जाता है।

नोट :–† दिनांक ..... के असरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 की आज की सूचनाएं निरस्त की जाती हैं ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,38,84,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(किसी भी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,38,84,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,76,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

कोई माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है अतः मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,76,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,43,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है अतः मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,43,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,80,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

कोई माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है अतः मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–87– सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,80,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–47
प्राविधिक शिक्षा विभाग

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,88,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

कोई माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है अतः मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47– प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,88,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–49–
महिला एवं बाल कल्याण विभाग

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,89,29,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है अतः मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,89,29,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (सुश्री शीमा रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,25,15,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है अतः मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,25,15,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग

र्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,29,36,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है अतः मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–45– पर्यावरण वेभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,29,36,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–22 खेल विभाग

लकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,19,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है अतः मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22– खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,19,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–70
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,55,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है अतः मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–70– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,55,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–17 एवं 18 को स्थगित किया जाता है ।

प्रदेश में नई औद्योगिक नीति के संबंध में चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

कानपुर विकास प्राधिकरण के हजारों करोड़ रुपये मूल्य की भूमि लुप्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

राज्य के अनेक पिछड़े क्षेत्रों के लिये विकास निधि के गठन के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि .....

श्री अधिष्ठाता–

इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश में गम्भीर विद्युत कमी को देखते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में वातानुकूलन संयंत्रों को बन्द कर दिया जाय विषयक में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

नियम–[illegible] के अन्तर्गत सूचनाएं

आज नियम–[illegible] के अन्तर्गत कुल [illegible] सूचनायें प्राप्त हुयीं ।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं :–

1–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — राष्ट्रीय धरोहर नेताजी सुभाष चन्द्र स्मारक घंटाघर मेरठ की एक शताब्दी पुरानी ऐतिहासिक घड़ी की चोरी तथा पुलिस की लापरवाही के संबंध में है ।

2–श्रीमती माया प्रसाद — जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों की जिला योजना में वर्ष 1996 से 2000 तक प्रस्तावित अधूरी पड़ी सड़कों को पूरा कराए जाने के संबंध में है ।

3–श्री ओमकार सिंह — जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत गेहूं खरीद में की जा रही शासन के आदेशों की अवहेलना के संबंध में है ।

4–श्री बाबू खां — जनपद हरदोई में सवायजपुर एवं बरबन रजवाहों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

विधान सभा

निम्नलिखित सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं :–

1–श्री रामचन्द्र यादव — फैजाबाद जिले की विकास योजनाओं की हिस्सेदारी में सत्तारूढ़ तथा प्रतिपक्ष के विधायकों के मध्य विभेद किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

2–श्री अजय कुमार पोइया — जनपद मथुरा में चकबन्दी कार्य में की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में है।

3–डा० पूर्णमासी पंकज — जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियांवां में वरना नदी पर गोपीघाट के एप्रोच रोड के ध्वस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

4–श्री रघुवर दयाल वर्मा — जनपद अलीगढ़ में अपराध सं०–435/90 कोतवाली अलीगढ़ में बरामद बाल विकास अधिकारी अलीगढ़ की जीप को बिना नीलामी के बेचे जाने के संबंध में है।

निम्नलिखित सदस्य की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

1–श्री प्रदीप कुमार — जनपद रायबरेली में संचालित राजकीय निराश्रित कर्मशाला, फुरसतगंज को रायबरेली स्थानान्तरित करने तथा पलायन करने वाली संवासिनियों को अन्य संस्था में स्थानान्तरित कर दोषी अधिकारियों को दण्डित किए जाने के संबंध में है।

माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री रूप चौधरी, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री दीप लाल भारती, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री हरपाल सिंह, श्री परवेज हलीम, श्री काशीराम, श्री उदय राज यादव, श्री विजय पाल सिंह, डा० अशोक बाजपेयी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुधाकर सिंह, जो नियम 56 में प्राप्त हुयी थीं, श्री राम औतार शाक्य, श्री गोपाल कृष्ण, श्री मतेश चन्द्र सोनकर, श्री सुधाकर सिंह की सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं।

जनपद बांदा में तैनात मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा की जा रही तानाशाही से बन्द हो रहे सिनेमाघरों के संबंध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–24, 25, 26, 27, 28, 29, एवं 30 पर निर्धारित वक्तव्य हैं को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पढ़े हुये माने गये।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० विधायक ने नियम–51 के अधीन दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद–बांदा में तैनात मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा दमन पूर्ण तानाशाही भ्रष्ट नीति एवं राजस्व क्षति पहुंचाने के कारण जनपद बांदा की अतर्रा स्थित ''नारायण सिनेमा'' व शहर बांदा का प्रकाश सिनेमा बन्द कर दिया गया है तथा अमर टाकीज ने भी मात्र 3 माह के लिये रिनूवल कराया है । लगभग वह भी बन्दी की कगार पर है । उक्त अधिकारी की पिछली नियुक्ति हमीरपुर जनपद में थी । वहाँ भी विवादपूर्ण कार्य किये हैं । दिनांक 5–5–2000 को राठ में पुष्पराज सिनेमा में लाखों की कर चोरी छापे के दौरान पाई गई, जो इनकी मिली भगत के कारण रफा-दफा हो गई । दिनांक 14–4–2001 को आयुक्त, मनोरंजन कर को पत्र लिखकर कार्यवाही एवं टाकीजें पुनः चालू करने की मांग की गई किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी । टाकीजें बन्द होने से जहाँ एक ओर लाखों रुपये राजस्व की क्षति हो रही है वहां दूसरी ओर गरीब मजदूर दर्शक निराश हो रहे हैं ।

2–उपरोक्त कथन के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति यह है कि ''नारायाण टाकीज'' अतर्रा में छविगृह सिनेमा स्वामी के पार्टनरशिप विवाद के कारण अनुज्ञा नवीनीकृत नहीं कराई गई है एवं वे स्वेच्छा से छविगृह बन्द किये हुये हैं । अमर टाकीज, बांदा लाइसेंसी द्वारा मात्र तीन माह के ही लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया जो सम्प्रति उक्त अवधि के लिये अनुज्ञा स्वीकृत की जा चुकी है । प्रकाश टाकीज, स्वामी द्वारा अपने छविगृह में निरीक्षित त्रुटियों को दूर कराने के उपरान्त पूरे वित्तीय वर्ष के लिये लाइसेंस स्वीकृत कराया जा चुका है । सम्प्रति छविगृह संचालन हो रहा है ।

3–मा० विधायक श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद का पत्र दिनांक 14–4–2001 जो मनोरंजन कर आयुक्त को दिनांक 19–4–2001 को प्राप्त हुआ, पर मुख्यालय के सहायक मनोरंजन कर आयुक्त द्वारा जांच की गयी । जांच के दौरान यह पाया गया कि राठ स्थित पुष्पराज सिनेमा के छविगृह स्वामी द्वारा करापवंचन/अनियमिततायें की गईं तथा इन अनियमितताओं में जिला मनोरंजन कर अधिकारी श्री काली शंकर दीक्षित व सम्बन्धित मनोरंजन कर निरीक्षक श्री जगदीश प्रसाद वर्मा आलिप्त थे । जिला मनोरंजन कर अधिकारी और मनोरंजन कर निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है । छविगृह स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर को मनोरंजन कर आयुक्त द्वारा निर्देश दिये गये हैं ।]

पत्रावाली संख्या–बीस–एस(70)/2001,
कर एवं निबन्धन अनुभाग–6,
लखनऊ : दिनांक : 24 मई, 2001

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से सम्बद्ध बी०एस०ए० कालेज, मथुरा में स्वीकृत सीटों के स्थान पर दुगुने प्रवेश एवं अवैध धन की वसूली किये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी०एस०ए० कालेज, मथुरा में स्वीकृत सीटों के स्थान पर दुगुने प्रवेश एवं अवैध धन की वसूली की गयी है तथा बी०एड० के प्रवेश में गोलमाल किया गया है । मा० सदस्य द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त कालेज में सायंकालीन कक्षाएँ भी संचालित हैं जिनमें प्रवेश अवैध वसूली द्वारा किये गये हैं । इन कक्षाओं में अन्य प्रदेश के छात्रों से 10,000 रुपये अवैध लेकर 40 प्रतिशत से अधिक प्रवेश कर दिये हैं परन्तु कालेज में कोई भी धनराशि जमा नहीं हुयी है और न ही छात्रों को कोई रसीद दी गयी है । इसमें लगभग 50 लाख रुपये का गोलमाल किया गया । एल०एल०बी० महाविद्यालय ग्रान्ट इन–एड पर है । इसके बारे में कहा गया है कि एल०एल०बी० कक्षा पाँच वर्षीय खोली गयी तथा एक हजार रुपये प्रति छात्र फीस ली गयी । इस सत्र में पाँच वर्षीय छात्रों से पाँच हजार से अधिक धन प्रति छात्र से वसूली किया गया । यह भी उल्लेख किया गया है कि कुलपति के द्वारा इस विभाग को वित्त विहीन कर दिया गया जबकि शिक्षकों को बैंक पेमेन्ट हैं । बी०एड० के बारे में कहा गया है कि बी०एड० विभाग में मात्र 90 सीटें हैं जो कि 14 सीट एस०आर०आई० कोटा तथा 76 सीटें छात्रों की सूची विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट के आधार पर भरी जाती हैं परन्तु 14 सीटें एन०आर०आई० कोटे से न भरकर 13 सीटें कालेज द्वारा लाखों रुपये मार्च, 2001 में तथा 63 सीटें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटों से भरी गयी हैं । यही नहीं एक छात्रा कु० मंजू सिंह पुत्री श्री मान सिंह, प्रवक्ता बी०एस०ए० कालेज के 166–167 अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश कर दिया गया है जबकि सैकड़ों छात्र–छात्रा अभ्यर्थी के नम्बर इससे अधिक हैं । अन्त में मा० सदस्य द्वारा उक्त कालेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में व्याप्त तीव्र असंतोष एवं रोष का उल्लेख करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण के तत्काल रिकार्ड को सील करके टास्क फोर्स स्पेशल से जांच कराकर सभी अवैध धन वसूली एवं नियम विरुद्ध करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक बताया गया है ।

उक्त के संबंध में मा० सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि मा० सदस्य द्वारा विधान सभा में उठायी गयी शिकायत के संदर्भ में डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के कुलपति द्वारा एक जाँच समिति गठित की गयी । उक्त गठित जाँच समिति ने दिनांक 29-4-2001 को बी०एस०ए० कालेज, मथुरा जाकर महाविद्यालय के अभिलेखों की जाँच की । जाँच समिति ने महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्वीकृत एवं प्रवेशित सीटों की संख्या लगभग समान पाया । लेकिन बी०एस०सी० कम्प्यूटर साइन्स में स्वीकृत 45 सीटों के स्थान पर 64 छात्रों को प्रवेश दिया गया है जो कि अपवाद है ।

साथ ही सायंकालीन कक्षाओं के प्रवेश में अवैध वसूली जैसे एम०एस०सी० (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, एल०एल०बी० प्रथम में) उ०प्र० के बाहर के छात्रों से जो रु० 10,000 लेकर 40 प्रतिशत से अधिक प्रवेश करने के सम्बन्ध में साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका तथा प्रवेश में रु० 50 लाख के गोलमाल का जो आरोप लगाया है, के संबंध में कोई समुचित साक्ष्य नहीं मिला । जहाँ तक एल०एल०बी० पंचवर्षीय कक्षाओं में गत वर्ष रु० 1,000 के स्थान पर इस वर्ष रु० 5,000 से अधिक धन वसूलने के सम्बन्ध में जो आरोप लगाया गया है वह विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य है तथा शिक्षकों के

बैंक पेमेन्ट की जो शिकायत की गयी है उसके सम्बन्ध में महाविद्यालय अभिलेखों के देखने से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ ।

जांच रिपोर्ट के अनुसार महाविद्यालय द्वारा बी०एड० में प्रवेश किये गये छात्रों की सूची विश्वविद्यालय में जाँच हेतु तथा पुष्टि के लिए जमा कर दी गयी है ।

बी०एड० स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत फ्री सीट पर रु० 7,558.00 पेमेन्ट सीट पर रु० 21,558.00 तथा एन०आर०आई० सीट पर रु० 31,558.00 लिया गया जो कि महाविद्यालय के अभिलेखों में पाया गया ।

जाँच समिति ने उक्त प्रकरण पर अपनी संस्तुति की है कि महाविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कोई आरोप तथा अनियमितता सिद्ध नहीं हो रही है ।]

नवीन मण्डी स्थल सहारनपुर को आदर्श मण्डी के रूप में विकसित करने हेतु श्री संजय गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[नवीन मण्डी स्थल सहारनपुर को आदर्श मण्डी के रूप में विकसित करने हेतु किसानों एवं व्यापारियों की माँग के अनुरूप पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा रिक्त पड़ी भूमि को 25 वर्षों की लीज पर लेने के सम्बन्ध में इण्डियन आयल कारपोरेशन के पत्र संख्या–जी 140, दिनांक 24–4–2001 द्वारा अनुरोध-पत्र मण्डी समिति, सहारनपुर को प्राप्त हुआ है जिस पर सचिव मण्डी समिति, सहारनपुर के पत्र दिनांक 03–5–2001 जो दिनांक 18–5–2001 मण्डी परिषद् मुख्यालय में प्राप्त हुआ, द्वारा मण्डी परिषद् से मार्ग दर्शन माँगा गया । मण्डी परिषद् में परीक्षणोपरान्त पाया गया कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में पेट्रोल पम्प के व्यापार की सुविधा दिया जाना प्राविधानित नहीं है । भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गयी भूमि जो केवल कृषि उत्पादन के विपणन के प्रयोजन हेतु व्यवस्था के दृष्टिगत मण्डी स्थल के लिये अधिग्रहीत भूमि पेट्रोल पम्प के प्रयोजन हेतु पट्टे (लीज) पर दिया जाना मण्डी अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य नहीं है ।

अतएव पेट्रोल पम्प हेतु इण्डियन आयल कारपोरेशन को मण्डी समिति, सहारनपुर की भूमि पट्टे (लीज) पर दिये जाने की मांग स्वीकार करने योग्य नहीं है । तदनुसार मण्डी परिषद् द्वारा दिनांक 22–5–2001 को मंडी समिति, सहारनपुर को मार्गदर्शन दिया जा चुका है ।]

प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस विभाग में वारी से पहले प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

[गृह (पुलिस) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6651/छः–पु–1–24/93, दिनांक 3 फरवरी, 1994 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आरक्षी उप निरीक्षक, और प्लाटून कमांडर जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया हो, का मनोबल और साहस बढ़ाने के लिए एक रैंक ऊपर आउट आफ टर्न प्रोन्नति की व्यवस्था की गई है ।

उक्त कार्यालय ज्ञाप में आउट आफ टर्न प्रोन्नति के संबंध में की गई व्यवस्था का सारांश निम्नवत् है :–

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

1–"अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शन करने वाले पुलिस बल के उक्त कर्मियों को, यथास्थित आरक्षी से मुख्य आरक्षी तथा उप निरीक्षक से निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर के निःसंवर्गीय पद पर नियुक्त किया जायेगा।

2–प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, यथास्थित मुख्य आरक्षी या निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर के निःसंवर्गीय पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के प्रस्ताव पर किया जा सकेगा।

3–पुलिस बल के ऐसे आरक्षी या उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर अदम्य साहस और शौर्य प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मी की कोटि में आयेंगे, जिन्होंने कुख्यात आतंकवादी या जघन्य अपराधी के साथ मुठभेड़ या उनकी गिरफ्तारी में साहस और शौर्य प्रदर्शित किया हो या कर्तव्य पालन के दौरान जोखिम भरा कार्य किया हो।

उक्त निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्ति पुलिस महानिदेशक के पूर्वानुमोदन के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।"

चूँकि वर्तमान में निःसंवर्गीय पदों का सृजन प्रतिबन्धित है, अतः शासनादेश संख्या–7249/छः–पु–1–98–24/93, दिनांक 1–5–99 में यह व्यवस्था की गई है कि ;

1–आउट आफ टर्न प्रोन्नति उपलब्ध संवर्गीय पद में रिक्त पदों के सापेक्ष की जाय, जो निःसंवर्गीय मानी जायेगी और इसका लाभ ज्येष्ठता निर्धारण में अनुमन्य नहीं होगा।

1–इस प्रकार की प्रोन्नतियां वर्ष में 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपरोक्त के संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिदेशक के स्तर पर एक प्राधिकृत समिति गठित की गयी है जिसके अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक स्वयं हैं। उक्त कार्यालय ज्ञाप में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो पुलिस कर्मी जान जोखिम में डालकर शौर्य एवं साहस का प्रदर्शन करते हैं उनके प्रकरण उक्त प्राधिकृत समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाते हैं और औचित्य होने की दशा में निःसंवर्गीय पदों पर पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्रदान करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाती है।]

जनपद मिर्जापुर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वस्थ नगर (हिल्दी सिटी) अंगीकृत किये जाने के संबंध में श्री० सरजीत सिंह डंग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद मिर्जापुर में सेनिटेशन के संबंध में कुछ दिन पूर्व नगर में स्वच्छकार विमुक्ति योजना लागू करने पर हुडको द्वारा रुपये 583.15 लाख की परियोजना की स्वीकृति कर दी गयी है, जिसके तहत 10195 यूनिटों को निर्माण करने का लक्ष्य है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जहां तक पेयजल की समस्या के निदान का प्रश्न है, इसके लिए वांछित कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा अपेक्षित होगी । सालिड एण्ड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट के निस्तारण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथा संभव प्रयास किये जा रहे हैं । इस कार्य में नगर विकास विभाग की भूमिका भी निहित है । पर्यावरण सुधार की दिशा में अग्रेतर कार्यवाही पर्यावरण विभाग द्वारा की जाती है । जनपद मिर्जापुर के नगरीय क्षेत्र में संसाधनों के आधार पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

जनपद मिर्जापुर नगर में राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम लागू है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 के प्रस्तावित बजट में मिर्जापुर नगर के लिए 55.63 लाख रुपये की धनराशि व्यय करके 36735 मानव दिवस सृजित करने तथा लगभग 22080 लोगों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है । इस प्रकार भौतिक लक्ष्य 58515 का है ।

उक्त योजना शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषित है । केन्द्र सरकार से धन प्राप्त होते ही उक्त नगर को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धनराशि अवमुक्त करके मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराये जायेंगे । ।

मेरठ नगर निगम द्वारा नालों की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 17-5-2001 में नगर निगम, मेरठ द्वारा नालों की सफाई न कराये जाने का उल्लेख करते हुए नगर निगम, मेरठ क्षेत्र में आने वाले कतिपय नालों की सफाई पोर्क लेन मशीन से कराये जाने हेतु रु० 15.00 लाख की धनराशि राहत आयुक्त के माध्यम से जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने का बिन्दु उठाते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है ।

मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ द्वारा प्रकरण के संबंध में अवगत कराया गया है कि नगर निगम, मेरठ द्वारा नालों की सफाई कराये जाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है । नगर निगम द्वारा नालों की सफाई का कार्य दो शिफ्टों में सम्पन्न कराया जा रहा है । प्रथम शिफ्ट प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 1.30 बजे से सायं 7.30 बजे तक । पूरे महानगर को 7 सफाई जोंस में बांटा गया है । प्रत्येक जोन में एक-एक सफाई निरीक्षक को उसका प्रभारी बनाया गया है । प्रश्नगत नालों की सफाई के लिए 4 जे०सी०बी० 21 ट्रक और 7 ट्रैक्टर ट्रालियां लगायी गयी हैं, जो नालों की सिल्ट उठाकर शहर के बाहर फेंक रही हैं । इसके अतिरिक्त जिन नालों पर जे०सी०बी० मशीन नहीं लगायी जा सकती वहां पर लेबर लगाकर उन नालों की सफाई करायी जा रही है । ओडियन नाला, आबू नाला, थापर नाला आदि को जहां-जहां पर जे०सी०बी० मशीन लगायी जा सकती है वहां जे०सी०बी० मशीन लगाकर सफाई करायी जा रही है ।

छतरी पीर से किशनपुरी, छतरी पीर से फिल्मीस्तान बच्चा पार्क तक रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे अहमद नगर तथा थापर नगर व बच्चा पार्क तक, सुभाष नगर, मोहनपुरी, बढ़ाना गेट, इन्द्रा चौक,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लक्ष्मीनगर, हनुमानपुरी, आर्य नगर तथा फूलबाग, सराय बहलीन, पोदीबाड़ा, पुर्वाइलाही बक्श, शहमासा, भगत सिंह मार्केट, मकाचियान रोड में नालों को लेबर लगाकर सफाई करायी जा रही है और वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से पूर्व साफ करा दिया जायेगा । शहर के इन भीतरी हिस्सों में नालों पर पोर्कलेन मशीन नहीं जा सकती और न ही उस पर कार्य करना सम्भव है क्योंकि वहां नालों के किनारे भवन आदि बने हैं । अतः वहां पर लेबर से ही कार्य कराया जा रहा है । आबू नाला तथा ओडियन नाले पर नगर निगम की वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पोर्कलेन मशीन को नहीं लगाया जा सका है, किन्तु नगर निगम द्वारा इन नालों को लेबर से तथा जे०सी०बी० मशीन से साफ कराया जा रहा है ।

नगर निगम के नालों की सफाई पोर्कलेन मशीन से कराये जाने हेतु रु० 15.00 लाख की धनराशि राहत आयुक्त के माध्यम से जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त माध्यम से प्रश्नगत धनराशि जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान नहीं है किन्तु यदि उक्त संबंध में नगर निगम, मेरठ से स्पष्ट प्रस्ताव शासन को प्राप्त होता है तो उक्त धनराशि दैवी आपदा राहत कोष से दिये जाने पर विचार किया जा सकता है ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानिया के अन्तर्गत एकनइया नाले पर पुलिया निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कैलाश यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जबुर्ना सिंहानी त्रिकोनी सम्पर्क मार्ग, जिस पर उक्त पुलिया स्थित है, पर मिट्टी एवं पुलिया के निर्माण हेतु जवाहर रोजगार योजना (विशेष) के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड–गाजीपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन रु० 18.82 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रु० 9.25 लाख की धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर के पत्रांक–मेमों, दिनांक 25-3-95 द्वारा प्राप्त हुई थी । इसी मार्ग के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 97-98 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रु० 9.57 लाख की धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पत्र दिनांक 3-9-97 द्वारा प्राप्त हुई ।

2–इस मार्ग पर मिट्टी का कार्य वर्ष 95-96 में पूर्ण करा दिया गया एवं पुलिया पर छत 96-97 में डाल दी गई थी । पुलिया का निर्माण 4 मीटर ऊंचाई के एबटमेंट के लिये स्वीकृत नक्शे पर निर्माण कार्य शुरू किया गया । 4 मीटर ऊंचाई तक एबटमेंट निर्माण के बाद इसी ऊंचाई पर छत न डालकर एबटमेंट की ऊंचाई 8 मीटर बढ़ा दी गई । छत इसी 8 मीटर की ऊंचाई पर डाली गई । एबटमेंट की अतिरिक्त ऊंचाई 4 मीटर तो बढ़ा दी गई, लेकिन नींव की गहराई एवं चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । नींव की गहराई एवं चौड़ाई 4 मीटर एबटमेंट के अनुसार ही रखा गया, जिसके कारण पूरी पुलिया असुरक्षित हो गई । इस कार्य में एबटमेंट की अतिरिक्त ऊंचाई को 4 मीटर बढ़ाया गया, परन्तु उसकी चौड़ाई को यथावत रखा गया । अर्थात् अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ाते समय एबटमेन्ट की स्लोप को नहीं बढ़ाया गया । पुलिया के असुरक्षित होने का यह भी एक कारण है ।

3–पुलिया की छत डालने के पश्चात् दूसरे किस्त की धनराशि रु० 9.57 लाख से एप्रोच की मिट्टी एवं बिंगवाल का कार्य वर्ष 1998-99 में आरम्भ किया गया । पुलिया के दोनों ओर बिंगवाल का कार्य पूरा कराने के बाद अब एक ओर एप्रोच की मिट्टी का कार्य कराया जा रहा था, तो अर्थ प्रेशर के कारण

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एक ओर की दोनों बिंगवाल गिर गई । फलस्वरूप दूसरी ओर से एप्रोच का कार्य नहीं कराया जा सका । मिट्टी एवं पुलिया के मद में अब तक क्रमशः 9.1752 लाख रु० एवं 8.74971 लाख रु० का व्यय हो चुका है ।

4–मिट्टी एवं पुलिया निर्माण में बरती गई अनियमितता की जांच हेतु मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर ने एक तकनीकी समिति का गठन किया, जिसमें अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–गाजीपुर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड–गाजीपुर तथा सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर सदस्य थे । समिति ने अपनी जांचाख्या मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर को प्रस्तुत कर दी है । मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर की जांचाख्या एवं उनकी संस्तुति अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है । जांचाख्या प्राप्त होते ही दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।]

जनपद जालौन में आगजनी की घटनाओं में फसलों के जल जाने से पीड़ित किसानों को राहत दिये जाने के संबंध में श्री राम पाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–31 को स्थगित किया जाता है ।

मद सं० 32, 33 एवं 34 पर निर्धारित वक्तव्य पढ़े हुये माने जाते हैं ।

(वक्तव्य पढ़े हुये माने गये ।)

जनपद वाराणसी के बेसेन्ट थियोसेफिकल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमच्छा से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन का भुगतान न किये जाने के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[बेसेन्ट थियोसेफिकल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन भुगतान के संबंध में दी गयी उक्त सूचना पर निर्धारित वक्तव्य के संबंध में अवगत कराना है कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग (बालक) के 393 विद्यालयों के शिक्षकों को राजाज्ञा संख्या–3048/15-8-89/2051 (87), दिनांक 6-9-89 द्वारा वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अनुदान सूची पर लिया गया था । सम्बद्धता की शर्तें निम्नवत् हैं :–

1–सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाएं माध्यमिक विद्यालयों के साथ वर्ष 1971 के पूर्व चल रही हो ।

2–जिन विद्यालयों को सम्बद्ध मानकर एक इकाई मानकर 1-4-1971 के पूर्व आय-व्ययक के माध्यम से क्षतिपूर्ति अनुदान स्वीकृत किया गया हो ।

3–सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग की स्थायी मान्यता कक्षा–1 से 8 तक एक साथ प्रदान की गयी हो ।

4–प्राइमरी कक्षाओं की सम्बद्धता के आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिए गये हों ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

5–सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाओं के लिए पृथक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी हो तथा विद्यालय का एक ही प्रधानाध्यापक हो ।

6–विद्यालय सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाओं सहित एक ही प्रबन्ध तंत्र के नियंत्रण में हो ।

7–कक्षा–1 से 5 तक उत्तीर्ण छात्रों की कक्षा–6 में बिना टी०सी० के स्वतः प्रवेश की व्यवस्था विद्यमान हो ।

8–प्राइमरी प्रभाग उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अभिन्न अंग हो ।

कालान्तर में शासनादेश संख्या–4842/15-8- /3054/87-90, दिनांक 15-12-1990 में उक्त 993 विद्यालयों में से 73 ऐसे विद्यालयों को निकाल दिया गया जो सम्बद्धता की शर्तों को पूरा नहीं करते थे ।

ज्ञातव्य हो कि प्रश्नगत बेसेन्ट थियोसाफिकल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमच्छा, वाराणसी के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग सम्बद्धता की विहित उक्त मूलभूत शर्तों की पूर्ति न करने के कारण ही शा० दिनांक 6-9-89 द्वारा वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत नहीं लिया गया था । उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत विद्यालय सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के एक संगठन आल इण्डिया प्राइमरी एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी की सदस्य संस्था है ।

उक्त संस्था आल इण्डिया प्राइमरी एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध (तथाकथित) प्राइमरी 126 बालक तथा 35 बालिका विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने हेतु मा० उच्च न्यायालय में क्रमशः याचिका संख्या–3005/96 तथा 3211/96 योजित किया था जिसमें मा० उच्च न्यायालय के दिनांक 16-11-98 को यह आदेश पारित किया कि शिक्षा निदेशक (मा०), याचिका संख्या–29290/90 श्री रमेश कुमार उपाध्याय बनाम उ० प्र० शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18-1-93 की भांति, निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो माह के भीतर याची विद्यालयों का प्रत्यावेदन निस्तारित करें । मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के समादर में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा याची विद्यालयों के तथ्यों एवं अभिलेखों का सर्वेक्षण/परीक्षण कराया गया और सम्यक् परीक्षणोपरान्त दिनांक 24-4-99 एवं दिनांक 26-2-2000 को प्रकरण को निस्तारित करते हुए यह निर्णय निर्गत किया गया कि 126 बालक तथा 35 बालिका विद्यालयों को सम्बद्धता हेतु विहित मानकों की पूर्ति न करने के कारण वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है । उल्लेखनीय है कि उक्त सर्वेक्षण एवं तद्जन्य निर्णय में बेसेन्टथियोसोफिकल उ० मा० विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी भी सम्मिलित था ।

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा किये गये उक्त निस्तारण के उपरान्त श्री के०के० शर्मा, अध्यक्ष, आल इण्डिया प्राइमरी एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी ने पुनः एक रिट याचिका 2929/2000 योजित किया । इस याचिका में प्रश्नगत विद्यालय सहित कुल 107 बालक एवं 28 बालिका सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय थे । इस याचिका में मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 6-11-2000 को यह आदेश पारित किया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध बालक/बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन वितरण के अन्तर्गत वेतन भुगतान किए जाने हेतु विनोद कुमार शर्मा व अन्य बनाम शिक्षा निदेशक (बेसिक) व अन्य (98), उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या–404/, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन तथा अन्य बनाम रजनीबाली व अन्य–2000(2) उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या–42 में पारित आदेश के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया जाए ।

मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 6-11-2000 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में दिनांक 21-12-2000 को विशेष अपील योजित की गई, जो मूल याचिका में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर स्टे-वकेशन प्रार्थना-पत्र दाखिल किये जाने के निर्देश के साथ खारिज हो गई । मूल याचिका में दिनांक 30-1-2001 को प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर, मा० उच्च न्यायालय के पारित आदेश दि० 6-11-2000 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया जा चुका है । सम्प्रति प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

चूंकि प्रश्नगत बेसेन्ट थियोसोफिकल उ० मा० विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी सम्बद्धता की विहित शर्तों की पूर्ति नहीं करता और उक्त याचिका में याची संस्था का सदस्य है । अस्तु प्रकरण के सबजूडिस रहते हुये कोई निर्णय लिया जाना विधि सम्मत नहीं है । मा० उच्च न्यायालय के निर्णयोपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।]

जनपद गाजियाबाद में उ० प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि० में हो रही अनियमितताओं के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० विधायक श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया जी द्वारा उक्त नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनपद गाजियाबाद में उ० प्र० राज्य सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० की शाखाओं में डेरी योजना के अन्तर्गत जो ऋण वितरण किया जा रहा है उसकी चेकें दो-तीन व्यक्तियों के नाम से ही बनाकर ऋण दिया जाता है जिसमें काफी कमीशन काटा जाता है और अधिकारी इसकी जांच नहीं करते हैं । इस संबंध में अवगत कराना है कि बैंक की शाखा हापुड़ में पशु विक्रेताओं की संख्या–26, शाखा मोदीनगर में 29 तथा शाखा पिलखुआ में 41 है । इससे स्पष्ट है कि मात्र दो या तीन पशु विक्रेताओं के नाम हुलिया बनवाकर ऋण वितरण की बात सत्य नहीं है । इसके क्रम में यह भी अवगत कराना है कि बैंक के परिपत्र दिनांक 19-4-2000 द्वारा यह व्यवस्था लागू कर दी गई है कि अब ऋणी सदस्य के नाम एकाउन्टपेयी चेक काटकर उसे उपलब्ध कराया जायेगा और वह इसे किसी भी व्यवसायिक/सहकारी बैंक में जमा करके एवं धन आहरित करके इच्छित पशु विक्रेता से पशु क्रय कर सकता है । ऋणी सदस्य को पूरी स्वीकृत धनराशि का चेक दिया जाता है तथा किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती । जहां तक डेरी ऋण वितरण की जांच का प्रश्न है जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाती है ।

नोटिस का दूसरा बिन्दु यह है कि डनलप योजना के अन्तर्गत भी एक या दो फर्मों के नाम से चेक काटकर ऋण का दुरुपयोग किया जाता है । यह फर्में सेल टैक्स की चोरी करती हैं । इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर डनलप विक्रेता से संबंधित फर्मों का पंजीकरण किया जाता है और उनसे रु० 20,000/– की जमानत जमा करायी जाती है । इन्हीं फर्मों के माध्यम से डनलप कार्ट की आपूर्ति हेतु ऋण दिया जाता है । इसमें भी कृषकों को यह छूट होती है कि वह जिस फर्म से चाहे डनलप कार्ट क्रय कर सकते हैं । उक्त फर्म बिक्रीकर विभाग से पंजीकृत होती है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोटिस का तीसरा बिन्दु यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो लगाकर फर्जी व्यक्ति के नाम से ऋण निकालकर धोखाधड़ी की जा रही है । इस संबंध में अवगत कराना है कि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है । पिलखुआ में श्री खचेड़ू पुत्र बाबू द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी से कृषक ने अपनी गलती मानते हुये शिकायत निरस्त करने को कहा है, उक्त प्रकरण की फाइनल रिपोर्ट दिनांक 14-12-2000 को लगाई जा चुकी है ।

नोटिस में वर्णित बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गांव में अपने दलाल छोड़ रखने और दलालों के माध्यम से कृषकों का शोषण करने के आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी ।]

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमानीगंज, फैजाबाद के भवन विहीन होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमानीगंज, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में वर्ष 1991 से स्वीकृत एवं संचालित है । इस विद्यालय में वर्तमान में कक्षा 9 में 45 तथा कक्षा 10 में 89 कुल 134 छात्रायें अध्ययनरत हैं । विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है । विद्यालय एक अशासकीय माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी इण्टर कालेज अमानीगंज, फैजाबाद के दो कक्षा–कक्षों में संचालित हो रहा है । विद्यालय के नाम भूमि की व्यवस्था तथा भू-अभिलेखों में उसका नाम दाखिल हो जाने के उपरान्त शिक्षा निदेशक (मा०) से प्रस्ताव प्राप्त कर विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने पर विचार किया जायेगा ।

विद्यालय को हाई स्कूल से इन्टर स्तर तक उच्चीकृत करने के संबंध में अवगत कराना है कि विद्यालय में छात्राओं की संख्या में वृद्धि हो जाने तथा भवन निर्माण के उपरान्त उनके बैठने का स्थान उपलब्ध होने व अन्य मानक शर्तें पूर्ण होने पर ही विद्यालय को उच्चीकृत करने पर नियोजन तथा वित्त विभाग की सहमति से यथा समय विचार किया जा सकता है ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–35, मद संख्या–37, मद संख्या–38, मद संख्या–39, मद संख्या–40 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं । मद संख्या–36 को स्थगित किया जाता है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अनियमित एवं मानक के विरुद्ध अध्यापकों की तैनातियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री राम औतार शाक्य, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अनियमित एवं मानक से अधिक शिक्षक तैनात हैं तथा प्रदेश के प्रत्येक जिलों में सैकड़ों की संख्या में ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जहां छात्र संख्या काफी है परन्तु मानक के अनुसार शिक्षक कार्यरत नहीं हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था पूर्णरूपेण अव्यवस्थित हो गयी है जिससे शिक्षा का स्तर बराबर नीचे जा रहा है। उदाहरणस्वरूप जनपद मैनपुरी में 88 प्राइमरी विद्यालयों एवं 31 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा लगभग 200 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें मात्र एक-एक अध्यापक ही कार्यरत हैं जिससे जनपद में ही नहीं ऐसी कुव्यवस्था से पूरे प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था पंगु हो गयी है।

इस संबंध में स्थिति यह है कि वार्षिक प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की मानक के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर से उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण/समायोजन हेतु शासनादेश संख्या–4672/15-5-99-87/95, दिनांक 28 अक्टूबर, 1999 में मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये गये थे जिनके बिन्दु संख्या–5, 6 एवं 7 में निम्नलिखित प्राविधान किये गये थे :–

बिन्दु संख्या–5 स्थानान्तरण करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी विद्यालय में स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापक न तैनात हों। यदि स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापक तैनात होते हैं तो उसका दायित्व बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा तथा उस अध्यापक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।

6–प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक तैनात किये जायेंगे। यह भी प्रयास किया जायेगा कि उक्त दो अध्यापकों में से कम से कम एक महिला अध्यापक हों। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 अध्यापक तैनात किये जायेंगे।

7–किसी भी वर्ष में स्थानान्तरण जिले के अध्यापकों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक किसी भी अवस्था में नहीं किये जायेंगे।

शासन स्तर से निर्गत उक्त मार्गदर्शी निर्देशों के अनुपालन में सचिव, उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 22-11-99 द्वारा जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये जिसके अनुसार कोई भी विद्यालय एकल अध्यापकीय न रहे, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापकों की व्यवस्था की जाये तथा दूरदराज के विद्यालयों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। वर्णित व्यवस्था के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी द्वारा मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती हेतु वार्षिक प्रबंध में स्थानान्तरण/समायोजन की कार्यवाही न करने के संबंध में विस्तृत जांच के आदेश शिक्षा निदेशक (वे०) को शासन के पत्र दिनांक 22-5-2001 द्वारा निर्गत कर दिये गये जांच के उपरान्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगामी सत्र में प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करने तथा आवश्यकतानुसार शिक्षकों के समायोजन/स्थानान्तरण हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18-5-2001 द्वारा जनपद मैनपुरी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही साथ प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं ।]

प्रदेश में 'अ' श्रेणी मान्यता प्राप्त तथा अंग्रेजी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित केवल वक्तव्य का स्थगन

जनपद बलरामपुर में जिला योजना व दीनदयाल सम्पर्क मार्ग योजना में स्वीकृत मार्गों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिन्दु लाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य विधान सभा श्री बिन्दुलाल द्वारा जनपद बलरामपुर में जिला योजना व नाबार्ड–4 में बन रहे मार्ग,दो तीन वर्षों से अधूरे पड़े रहने व नाबार्ड का धन 2000 में सरेन्डर किये जाने व जिला योजना का धन न मिल जाने के कारण जनता को हो रही कठिनाइयों का उल्लेख करते हुये वक्तव्य की मांग की गई है ।

इस संबंध में जनपद बलरामपुर में नाबार्ड–4 योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई । इन कार्यों हेतु वर्ष 1999-2000 में आवंटित धनराशि से कुछ कार्य कराये गये, परन्तु स्थानीय परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण कार्यों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप मार्च, 2000 में धन सरेन्डर करना पड़ा । वर्ष 2001-2002 में धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है ताकि अवशेष कार्य पूर्ण कराये जा सकें ।

जिला योजना के चालू कार्यों पर जनपद बलरामपुर में वर्ष 2000-2001 में रु० 320.34 लाख का उपयोग किया गया तथा वर्ष 2001-2002 में रु० 77.12 लाख का आवंटन किया गया है ।]

जनपद बिजनौर के थाना चाँदपुर क्षेत्रान्तर्गत बहमन शोरा ग्राम में हुई युवक की हत्या की जाँच सी०बी०सी०आई०डी० से कराकर वास्तविक दोषियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में डा० वेद प्रकाश सिंह एम०एस० द्वारा नियम –51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह) –

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत डा०वी०पी० सिंह एम०एस०, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 26/27 अप्रैल, की रात्रि करीब दो बजे गांव बहमनशोरा में एक हरिजन युवक की हत्या हो गई । जो कि अपराध सं०–191/2001 धारा 302/306 आई०पी०सी० 3/2/5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तहत थाना चाँदपुर, जनपद बिजनौर में दर्ज है । इस मामले में सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि की लालच तथा गाँव गोयली की पुरानी स्थानीय गुटबाजी के कारण झूठ व गलत तरीके से सिराजू, अल्ताफ अहमद, पप्पू व निक्की आदि निर्दोष व्यक्तियों को नामजद कर दिया गया है ।

2–पुलिस अधीक्षक, बिजनौर से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार दिनांक 27–4–2001 को वादी श्री कांशीराम पुत्र मुंशीराम, निवासी ग्राम–बहमनशोरा, थाना चाँदपुर द्वारा अभियुक्तगण (1) सिराजू पुत्र बुनदेहसन (2) निक्की पुत्र फिरासत हुसैन (3) अल्ताफ पुत्र सरफराज (4) पप्पू पुत्र अधर निवासीगण ग्राम गोयली, थाना चाँदपुर के विरुद्ध अपने पुत्र ननुआ की हत्या कर दिये जाने के संबंध में थाना चाँदपुर पर अभियोग अपराध सं०–191/2001 धारा 302/506 भा०द०वि०व 3/2/5 एस०सी०/एस०टी ऐक्ट पंजीकृत कराया गया उक्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी चांदपुर के माध्यम से करायी गयी । विवेचना के मध्य निरीक्षण घटनास्थल एवं बयान गवाहान तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर नामित अभियुक्तगणों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर गिरफ्तार हेतु तहरीर गिरफ्तारी प्रभारी निरीक्षक चाँदपुर को देकर दबिश देकर तलाश कराये जाने पर अभियुक्तगण दस्तयाब नहीं हुए और अपने-अपने घरों से लापता होकर फरार चल रहे हैं । अभियुक्तगणों की रिफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध 82/83 द०प्र०सं० की कार्यवाही हेतु मा० न्यायालय में अनुरोध किया गया है । विवेचना प्रचलित है ।

स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्षता के साथ की जा रही विवेचना और मा० न्यायालय में किये गये अनुरोध तथा विवेचना प्रचलित होने के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त जाँच/विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है ।

राजकीय इण्टर कालेज बलिया में वर्ष 2001 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में रघुबर दयाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

वर्ष 2001 की परिषद् परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु बलिया में तीन मूल्यांकन केन्द्र निर्धारित किये गये थे जिनमें 2 मूल्यांकन केन्द्र राजकीय बलिया और मुरली मनोहर टाउन इ०का० को हाई स्कूल तथा राजकीय इण्टर कालेज को इण्टरमीडिएट का मूल्यांकन केन्द्र बनाया गया था ।

मूल्यांकन कार्य दि० 4–5–2001 से प्रारम्भ हुआ । इस वर्ष प्रथमबार शासनादेशानुसार समस्त मूल्यांकन केन्द्रों पर अंकक्षण की व्यवस्था की जानी थी । जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुसार दि० 9–5–2001 को राजकीय इण्टर कालेज बलिया में अंकक्षण के कार्य को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ । राजकीय इण्टर कालेज के उपनियंत्रक द्वारा एक परीक्षक को अंकक्षण के रूप में नियुक्त करने को लेकर परीक्षकों एंवं उप नियंत्रकों के बीच कहा सुनी हुयी और परीक्षकों द्वारा उपनियंत्रक के साथ दुर्व्यवहार करने के परिप्रेक्ष्य में उपनियंत्रक द्वारा एक परीक्षक श्री सुरेश चौधरी सी०बी० इण्टर कालेज सहतवार, बलिया के खिलाफ एफ०आई०आर० हेतु रिपोर्ट दर्ज किया गया ।

राजकीय इण्टर कालेज बलिया के उपनियंत्रक द्वारा क्षेत्रीय सचिव, वाराणसी को श्री सुरेश चौधरी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के बारे में सूचित किये जाने पर क्षेत्रीय सचिव, वाराणसी ने परीक्षकत्व के कार्य से मुक्त करने का निर्देश दिया परन्तु श्री चौधरी ने कार्यमुक्ति का पत्र लेने से इन्कार कर दिया और शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ परिसर से बाहर नारेबाजी करने लगे । इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी बलिया तथा क्षेत्राधिकारी, बलिया ने स्थिति संभालने का बहुत प्रयास किया किन्तु इन नेताओं ने स्थिति सुधारने के बजाय अन्य केन्द्रों पर भी मूल्यांकन कार्य अवरुद्ध कराते हुये निम्न माँगों का प्रस्ताव रख दिया :–

1–उपनियंत्रक, राजकीय इ०का० बलिया श्री जावेद आलम आजमी का तत्काल निलम्बन एवं स्थानान्तरण वापस लिया जाय ।

2–श्री सुरेश चौधरी का परीक्षकत्व निलम्बन वापस लिया जाए ।

3–श्री सुरेश चौधरी के विरुद्ध किया गया मुकदमा वापस लिया जाय ।

4–शिक्षकों/परीक्षकों के साथ कोई अभद्रतापूर्ण/उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किया जाय ।

छात्र हित को ध्यान में रखते हुये उक्त 2, 3 और 4 मांगों को स्वीकार करते हुये मूल्याँकन कार्य प्रारम्भ करने का हर संभव प्रयत्न किया गया परन्तु शिक्षक नेतागण प्रथम माँग को लेकर अड़िग रहे और मूल्यांकन कार्य दि० 18–5–2001 तक प्रारम्भ नहीं हो सका ।

उल्लेखनीय है कि शासनादेशानुसार सभी मूल्यांकन केन्द्रों पर अंकेक्षण कराया जाना अनिवार्य था । राजकीय इण्टर कालेज बलिया मूल्यांकन केन्द्र पर यह कार्य प्रारम्भ किया गया था जबकि इसी जनपद के अन्य दोनों केन्द्रों पर यह व्यवस्था नहीं हो पायी थी । यह गतिरोध दि० 18–5–2001 को जिला प्रशासन/शिक्षा विभाग एवं शिक्षक प्रतिनिधियों के मध्य वार्ता/समझौते के तहत समाप्त हुआ और तद्उपरान्त मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ हुआ ।

बलिया के तीनों मूल्याँकन केन्द्रों पर शेष मूल्याँकन कार्य सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में चल रहा है ।

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत कप्सा राजबहा की पटरी पर चेवता तक सड़क बनाये जाने के संबंध में श्री बसीम अहमद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उक्त सूचना के माध्यम से मा० सदस्य, विधान सभा ने विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत कप्तानगंज, महराजगंज रोड पर कप्सा राजबाहा नहर की पटरी जिसकी लम्बाई 9 कि०मी० है, को डामरीकरण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य दिये जाने की मांग की है ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 1997–98 में नहर पटरियों को पक्का कराये जाने का निर्णय लिया था, तद्नुसार वर्ष 1997–98, 1998–99 एवं 1999–2000 में नहर

की पटरियों को पक्का किये जाने हेतु स्वीकृतियां प्रदान की गईं । वित्तीय वर्ष 2000–2001 से प्रश्नगत योजना समाप्त कर दी गई है अतः सूचना में अंकित नहर की पटरी के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं है । ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं । दिनांक 28–5–2001 को सूबह 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 2 बजकर 25 मिनट पर सोमवार दिनांक 28 मई, 2001 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊः

दिनांक 25 मई, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 351 विधान सभा (5)2)–23-1-2002–813 (डी०टी०पी०) ।